हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 अगस्त, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाहन आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

25.08.2015/1100/NS/DC/1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, कल नियम-67 के अंतर्गत एक भ्रष्टाचार से सम्बंधित मामले के संदर्भ में यह सदन चर्चा करे जिसमें मुख्य मंत्री का कार्यालय, मुख्य मंत्री स्वयं अधिकारी को दबाकर के मनी लॉंड्रिग के केस को दबाने की जो बात कर रहे हैं उसका नोटिस दिया था। उसके लिए आपने व्यवस्था दी थी कि मैंने उसको सरकार को भेजा है और इस पर निर्णय दूंगा। आज मैं यह जानना चाहता हूं कि उस नियम- 67 के नोटिस का क्या हुआ और हमारी चर्चा कब लगेगी?

Speaker: I have received your notice. मैंने उसको स्टडी किया। वह सारा मामला ट्रांसफर का है। उसमें कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। This is not a matter of corruption anywhere. और वैसे भी यह मैटर नियम- 67 के अंदर नहीं आता है। (---व्यवधान---) इसमें एडजर्नमैंट मोशन नहीं बनता है। I request all the Hon'ble Members not to insist for Rule 67. इसका एडजर्नमैंट मोशन नहीं होगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये सुनी-सुनाई बातों पर जा रहे हैं। ये जिस अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं he came to call on me और उसके बाद कुछ नहीं। इसमें मिनिस्टर की बात करने की और धमकाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह बिल्कुल झूठ है।

25.08.2015/1100/NS/DC/2

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने यहां पर नियम-67 के अंतर्गत एक एडजर्नमैंट मोशन दिया था। उस पर अभी तक आपकी रूलिंग नहीं आई है। उसमें

अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी इन्ट्रप्ट किया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि इसके साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन जो हमारे पुलिस ऑफिसर ...

श्री नेगी द्वारा -----जारी।

25.08.2015/1105/negi/Dc/1

श्री रविन्द्र सिंह... जारी...

लेकिन जो हमारे पुलिस आफिसर मिस्टर भूपेन्द्र नेगी हैं उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी, होम, को एक डिटेलड लैटर लिखी हुई है। उस लैटर में जो यह सारी घटना घटी, कब से वह ई.डी. में गवर्नमैन्ट ऑफ इण्डिया में गए, उसके बाद कब-कब एन.ओ.सी. या बाकी सर्टिफिकेट्स जो प्रोमोशन्ज़ के लिए या वहां जाने के लिए देने होते हैं, वे सारे सब्मिट किए ? सब्मिट करने के उपरान्त जब मनी-लांडरिंक का केस मुख्य मंत्री के प्रिंसीपल सेक्रेटरी के सामने आया तो उन्होंने जांच शुरू की और उनको मुख्य मंत्री कार्यालय में बुलाया गया और उनको कहा गया कि आप जाकर प्रिंसीपल सेक्रेटरी टू सी.एम. के साथ बात करें। जो वह कहेंगे, जैसे वह कहेंगे ,वैसे ही इनको वहां पर नौकरी दिया जाए।

अध्यक्षः मैटर बोलने की जरूरत नही है। ....(व्यवधान)...

श्री रविन्द्र सिंह ःउसके बाद जब उसने मना किया तो उसको धमकाया गया। ..(व्यवधान)..

मुख्य मंत्री ः सुनिये आप। ....(व्यवधान) ...आपको यह कौन कहता है? सुनिये, अब मैं आपको बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं उसको जानता नही हूं। ...(व्यवधान).. मैं उस व्यक्ति को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। When he was posted here, he sought for appointment with me for courtesy call. He came to my office. Courtesy call के लिए आया था और चला गया। उस पहली मीटिंग के बाद मेरी उसके साथ कोई मीटिंग नहीं हुई ,कोई बातचीत नहीं हुई। किसी को डराने या धमकाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। .....(व्यवधान) ...चर्चा में क्या होगा? मैंने

बोल दिया जो बोलना है। This is just a conspiracy. I know that. आप में से लोग इसमें शामिल हैं। ....(व्यवधान)....

श्री रविन्द्र सिंह : अब विषय पूरे प्रदेश की जनता के सामने आ गया है। अगर मुख्य मंत्री महोदय इसमें इन्टरफेयर न करते, न बोलते तो हम मानते । इसमें मेरा आपसे

25.08.2015/1105/negi/Dc/2

अनुरोध है कि कृपया मुख्य मंत्री महोदय ने जो कांस्पिरेंसी की बात की है, इस पुलिस ऑफिसर ने जो Joint Secretary, Home to the Government of Himachal Pradesh को पत्र लिखा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे इसको यहां पढ़ने दिया जाए। जो-जो, कब-कब और क्या -क्या इस विषय के ऊपर इस ऑफिसर ने सरकार को लिखा है और सरकार ने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को कैसे टार्चर किया है, वे सारे तथ्य इसमें हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि 2 मिनट का समय आप निकालें और मैं यह तथ्य इस माननीय सदन के सामने और......(व्यवधान) ...प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहता हूं।

Speaker: No, I won't allow you. You please sit down. (Interruption) I will cut off your speech. Please listen to me. I have thoroughly gone through the case and I find that this matter cannot be discussed under Rule 67. This is not a case for 67. Therefore, I reject this Motion under Rule 67. यह एडजर्नमैन्ट मोशन का मैटर नही है। This is a matter which is not fit for Adjournment Motion. I won't allow you to speak under Rule 67. ......(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपका चर्चा का क्या मकसद है? You just want to say lies for something which has been inciting you. उसको आप यहां कहना चाहते हैं। .....(व्यवधान) ...You are wasting the time of the House. ....(व्यवधान)....

अध्यक्षः आपको मैंने कह दिया है, आप मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान). .. Please sit down.

मुख्य मंत्री : प्रश्न काल शुरू कीजिए।

अध्यक्षः आपको मैंने जब कह दिया ...(व्यवधान)..

25.08.2015/1105/negi/Dc/3

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब आपने इसको रिजैक्ट कर दिया तो अब आप प्रश्न काल शुरू कीजिए।...... (व्यवधान).....

अध्यक्षः बिन्दल जी, यह नियम-67 का मैटर नहीं बनता है। ....(व्यवधान)...

श्रीमती यू.के. द्वारा जारी...

25/1110/08.2015.यूके/एजी/1

व्यवधान के पश्चात्----

अध्यक्ष : आप प्लीज़ बैठिए । यह नियम 67 का मैटर नहीं बनता है ।

डा0 राजीव बिंदलः आपने नियम 67 के अर्न्तगत एक नोटिस ओके नहीं किया है । इसका मतलब यह हुआ कि आप नियम-67 की धारा को निकाल दीजिए । --(व्यवधान)

Speaker: But I still say that this is not a matter of national importance.

ससंसदीय कार्य मंत्रीः आपने कितने नियम 67-के तहत चर्चा की ,आप बताएं? 5 साल आपकी सरकार रही । आपने कितनी बार चर्चा की । यदि आपने कोई परम्परा डाली होती तो आप कह सकते थे ।

Speaker: Rule 67 cannot be invoked. Please sit down.

डा0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए। (---व्यवधान---)

संसदीय कार्य मंत्री : आप प्रश्नकाल के बाद कर लें। (---व्यवधान---)

अध्यक्षः आप माननीय मुख्य मंत्री जी को तो सुन लो।

डा0 राजीव बिंदलः आप चर्चा का टाईम बता दीजिए, प्रश्न काल भी चल जायेगा।

अध्यक्षः मेरी आपसे एक निवेदन है कि यह नियम-67 का विषय नहीं बनता है। अगर आप किसी और मैटर पर डिसकस करना चाहें तो there are so many matters. लॉ एंड ऑर्डर पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। I reject the Motion under Rule 67.

25/1110/08.2015.यूके/एजी/2

Chief Minister: I am sorry, Sir, that this matter has been raised in this House in this manner. Obviously somebody has said, "wrong information" and I have lot of information about it. But I will reveal later on the conspiracy behind this matter to bring it in limelight and in this Hon'ble House.

Sir, it is not a money laundering case. The summons received by Shri Subhash Ahluwalia shows that it is a case under Foreign Exchange Management Act. The Enforcement Directorate is indeed looking into a case in which they have summoned Shri Subhash Ahluwalia on 26th August, 2015 i.e. tomorrow to Chandigarh. This case is being handled by the Enforcement Directorate of Chandigarh office. Thus, Shri Bhupinder

Singh Negi, who is posted at Shimla, is no way connected with this case. Thus the allegations of calling or threatening Shri Bhupinder Singh Negi are totally untrue. The allegations are politically motivated. Thank you, Sir.

अध्यक्ष : प्रश्न काल आरम्भ (--व्यवधान---) अब बात हो गयी ।

डा0 राजीव बिंदल: अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा होगी क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी बोला है ।

Speaker: I have rejected Motion under Rule 67. However, I would say that there is a discussion on law and order. You can speak on it. (Interruption) No, no. I won't allow you. This is not a matter for discussion under Rule 67. यह एडजॉर्नमैंट का विषय नहीं हो सकता । इसलिए इस पर चर्चा नहीं होगी । आप इसमें चर्चा करना चाहेंगे तो नियम 130-पर चर्चा लगी है, कानून

25/1110/08.2015.यूके/एजी/3

और व्यवस्था पर चर्चा लगी है, उस पर आप बोल सकते हैं । You can speak on law and order. लॉ एंड ऑर्डर पर बोलिए आप । (----व्यवधान--)

श्री रणधीर शर्मा: सर, जिन्होंने चर्चा मांगी है उनको उस पर बोलने का मौका नहीं दिया । चर्चा हमने मांगी हमें बोलने का मौका नहीं दिया और मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया । (--व्यवधान--)

अध्यक्ष: मुख्य मंत्री जी ने जवाब देना है, क्यों नहीं देना ? (--व्यवधान--)

श्री रणधीर शर्मा: पहले हमको बोलने दें उसके बाद जवाब दें ।

अध्यक्षः ऐसा नहीं है, यह एडजॉर्नमैंट मोशन नहीं है I I say that it doesn't come under Adjournment Motion. (Interruption) I reject your Motion.

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैने वक्तव्य नहीं दिया है । मैने फैक्ट्स रखे हैं to show that there is no justification to bring this matter by way of Adjournment Motion in this House.

Speaker: I reject this Motion. प्रश्न काल आरम्भ । श्री जय राम ठाकुर, प्रश्न संख्या (--व्यवधान--)

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

25.08.2015/1115/SLS-AG-1

माननीय अध्यक्ष... जारी

(विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कहते रहे।) आप नियम-130 के अंतर्गत होने वाली चर्चा में भाग लेते समय इस पर भी अपनी बात कह लें। ...(व्यवधान)... श्री जय राम ठाकुर जी, आप अपना प्रश्न पूछें। ...(व्यवधान)... चर्चा आएगी, तब आप इस पर बात कर लें। ...(व्यवधान)... Motion is not admitted. मुख्य मंत्री जी ने उत्तर नहीं बल्कि क्लैरिफिकेशन दी है। Government can give clarification at any time. गवर्नमैंट क्लैरिफिकेशन दे सकती है। This is a clarification by the Hon'ble Chief Minister from the Government side. This is not a discussion. यह मैटर आज की बिजनस में लिस्टिड नहीं है। ...(व्यवधान)... This matter has not been listed today. I have rejected the Motion and he has given the clarification. (Interruption) आपने जो मोशन दिया था, उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपको अवगत कराया है। यह कोई चर्चा नहीं है। ...(व्यवधान)... यह चर्चा नहीं है। It is not a discussion. *(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने*

लगे।) आप आगे आने वाली चर्चा में भाग लीजिए। ...(व्यवधान)... यह गलत बात है। This is wrong thing. आपसे मैंने कहा कि चर्चा में भाग लीजिए। You can speak, but this Adjournment Motion is rejected. चर्चा आ रही है, अभी आगे चर्चा आ रही है। जब चर्चा होगी, उस समय आप इस पर भी बोलिए। वह नियम-67 की चर्चा नहीं थी, न ही मुख्य मंत्री जी ने उसका कोई उत्तर दिया है। ...(व्यवधान)... वह केवल क्लैरिफिकेशन थी। ...(व्यवधान)... That is a clarification about this. I have already rejected the Motion. मैंने वह मोशन रिजैक्ट कर दिया है। ...(व्यवधान)... जो लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा है, आप उसमें बोल सकते हैं। I will give you time. There is a discussion on law and order under Rule 130. You can speak on that. मैं यह कह रहा हूं कि जो नियम-130 के अंतर्गत चर्चा होगी ,आप उस समय इसपर बोलें। ...(व्यवधान)...

25.08.2015/1115/SLS-AG-2

श्री रविन्द्र सिंह : ...(व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय, हम आपकी रूलिंग से सहमत हैं; जो व्यवस्था आपने दी है ,हम उससे सहमत हैं। हमने जो चर्चा नियम-67 के स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत मांगी है, मुख्य मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया। ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : मैंने जवाब नहीं दिया है बल्कि स्टेटमैंट दी है। आज यह समाचार अख़बारों में छपा है जिसके बारे में मैंने स्टेटमैंट दी है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप जो कह रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का सब्जैक्ट उससे दूसरा है which doesn't come under that. ये कह रहे हैं कि यह मनी लौंडरिंग का केस नहीं है। This is a case under Foreign Exchange Management Act. मेरी रिक्वैस्ट मान जाइए। It is my request.

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इनको पता होना चाहिए कि लीडर ऑफ द हाऊस कभी भी इंटरवीन कर सकते हैं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : श्री जय राम ठाकुर जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। ...(व्यवधान)... I request all of you to discuss any matter under law and order which discussion is coming forward. जल्दी ही वह चर्चा आ रही है; अभी आधे घंटे के अंदर आ रही है। आधे घंटे के बाद उस चर्चा में आप इस पर बोल सकते हैं लेकिन मैं नियम-67 के अंतर्गत इसे अलाउ नहीं करूंगा। ...(व्यवधान)...

जारी...श्री गर्ग द्वारा

25/08/2015/1120/RG/AS/1

(विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गए।)

-----(**व्यवधान**)-----

अध्यक्ष : अब तो आप लोग बैठ जाइए क्योंकि प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप लोग बैठ जाएं।

(विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर बैठ गए।)

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि मैं नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा अलॉऊ नहीं कर रहा हूं ,तो क्या अब आप इस चर्चा को नियम-130 के अन्तर्गत अलॉऊ कर रहे हैं? आपने कहा कि यह चर्चा किसी दूसरे नियम के तहत कर ली जाए। तो क्या यह चर्चा नियम-130 के अन्तर्गत अलॉऊ कर दी जाएगी?

अध्यक्षः मेरे कहने का मतलब यह है कि नियम-67 में इस पर चर्चा का कोई ओचित्य बनता ही नहीं है। इसमें यह है कि आप लॉ एण्ड ऑर्डर पर जो कुछ बोलना चाहते हैं उसमें बोल सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स आपको इन्होंने बता दिया है कि these are the facts. You have to make subject matter of the statement. इसमें स्टेटमैंट आ गई है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, आप वन साइडेड बात को कह रहे हैं कि ये फैक्ट्स हैं और दूसरी बात सुनते नहीं हैं। हमारा निवेदन यह है कि यदि आप नियम-

67 के अन्तर्गत इस चर्चा को फिट नहीं मानते, तो इसको कनवर्ट करके इस चर्चा को नियम-67 के बजाय नियम- 130में कंसीडर करें।

अध्यक्ष : आप नियम-130 के अन्तर्गत बोलिए। उसमें तो आपको कोई रोक नहीं सकता, उस पर आप बोलिए।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : ठीक है, आप इस विषय को नियम-130 में अलॉऊ करिए।
अध्यक्ष : आप इस पर नियम- 130के अन्तर्गत बोल सकते हैं।

प्रश्नकाल

25/08/2015/1120/RG/AS/2

प्रश्न सं. 1625

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना यहां पर दी गई है उसके अनुसार वर्ष 2014 में प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के 68, निजी बसों के 158 तथा अन्य राज्यों की बसों के 22 हादसे हुए हैं और इन हादसों में कुल 227 लोगों की मृत्यु हुई है। अध्यक्ष महोदय, निजी बसों की दुर्घटनाओं का आंकड़ा सरकारी बसों की दुर्घटनाओं के आंकड़ों से लगभग तीन गुणा ज्यादा है जोकि बहुत अधिक है। अर्थात उत्तर के अनुसार निगम की बसों की दुर्घटनाओं की संख्या 68 के स्थान पर निजी बसों की दुर्घटनाओं की संख्या 158 है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दुर्घटना तो किसी भी गाड़ी की हो सकती है चाहे वह सरकारी हो या निजी हो , लेकिन इससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो दुर्घटनाएं निजी बसों की हो रही हैं जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है क्या उसकी वजह कभी जानने की कोशिश की कि जो ड्राईवर्ज उन्होंने रखे हैं वे ट्रेंड नहीं हैं और वे बस चलाने की स्थिति में नहीं हैं? क्या कभी यह जानने की कोशिश की कि सरकारी बसों की दुर्घटनाओं के बजाय जो निजी बसें दुर्घटनाग्रस्त ज्यादा हो रही हैं कहीं उनका कारण यह तो नहीं कि जो निजी बसें सड़कों पर चलाई जा रही हैं उनका ठीक प्रकार से रख-रखाव नहीं किया जा रहा है और वे छकड़ा बसों को भी चलाए जा रहे हैं जिसके कारण ये दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। पहले तो ये दो मुख्य बातें आपसे जानना चाहता हूं बाकी बाद में पूछूंगा।

खाद्य ,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री :अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि निगम की बसों की दुर्घटनाओं एवं निजी बसों की दुर्घटनाओं के रेशो में काफी अन्तर है। वैसे विभाग समय-समय पर इसकी जांच भी करवाता है और स्टडी भी करवाता है कि कैसे इन दुर्घटनाओं को कम-से-कम किया जाए। इस बारे में हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। पुलिस विभाग और परिवहन विभाग अपने-अपने तौर पर इस बारे में प्रयास करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले हमने वाहन दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए Road Accident Data Management System प्रस्तावित किया है और इसमें विश्व बैंक की सहायता ली जा रही है और यू.के. की एक कंपनी है इसके साथ

25/08/2015/1120/RG/AS/3

इसमें काम किया जा रहा है। जहां तक माननीय सदस्य ने निजी बसों में अप्रशिक्षित ड्राइवर्ज की बात कही है, तो कई बार यह देखा गया है कि निजी बसों में जो वास्तव में ड्राईवर होता है उसके स्थान पर वे दूसरा ड्राईवर बैठा देते हैं। तो इस बारे में कई बार चैकिंग करके कई दफा एफ.आई.आर. दर्ज कराई है-----**जारी**

एम.एस. द्वारा जारी

25/08/2015/1125/MS/AS/1

प्रश्न संख्याः1625 क्रमागत---- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जारी-----

तो उसके ऊपर चैकिंग करके एफ0आई0आर0 दर्ज़ करवाई है। इसी तरह से जैसे मनाली में हादसा हुआ था, उसके ऊपर हमने 302 के तहत केस दर्ज़ करवाया है। जहां तक यह बात है कि इन हादसों को कैसे रोका जाए, हमने आदेश दिए हैं कि ड्राइवर वर्दी पहनें और वर्दी में उनकी नेम प्लेट होनी चाहिए। क्योंकि यह प्रैक्टिकल नहीं है कि हर आदमी को हर वक्त चैक किया जा सके। It is not possible. अब हम प्राइवेट ऑपरेटर्ज पर भी यह लागू करने जा रहे हैं कि एक महीने का कोर्स जैसे एच0आर0टी0सी0 ड्राइवर्ज को देते हैं, वैसे ही प्राइवेट बसों को चलाने वाले ड्राइवर्ज को भी इसे जरूरी किया जा रहा है और इसके ऊपर यह स्टैप लिया जा रहा है।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

मुख्य मंत्रीः प्रश्नकाल में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर कहां से आ गया?

अध्यक्षः इसमें प्वाइंट ऑफ ऑर्डर थोड़े न होता है।

डॉ0 राजीव बिन्दल: अध्यक्ष जी, डिसप्ले में आ रहा है कि यह प्रश्न गृह विभाग से संबंधित है और संबंधित मंत्री मुख्य मंत्री है। क्या यह उत्तर मुख्य मंत्री जी की जगह बाली जी दे रहे हैं या बाली जी मुख्य मंत्री के बिहाफ पर उत्तर दे रहे हैं?

Speaker : Because it pertains to buses. बसिज के बारे में ये उत्तर दे रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इनको कहा है।

Chief Minister : The question came to me. But it pertains to the Transport Department. So, it was transferred to them. इसमें प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है।

अध्यक्ष: ऑन बिहाफ ऑफ मुख्य मंत्री ये जवाब दे रहे हैं।

श्री जय राम ठाकुर: अध्यक्ष जी ,माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सरकारी बसों की तुलना में निजी बसों की ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं और उसका एक कारण इन्होंने यह बताया है कि हो सकता है कि इनमें ड्राइवर्ज उतने ट्रेंड नहीं हैं, जिस तरह से होने चाहिए। दूसरी बात यह भी कही गई कि

25/08/2015/1125/MS/AS/2

कई बार एक ड्राइवर के बदले में दूसरे ड्राइवर को बस चलाने के लिए भेज दिया जाता है। अध्यक्ष जी, यह सीधा सा आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि प्राइवेट बसों को चलाने के लिए जिन ड्राइवर्ज को प्राइवेट बस ऑपरेटर नियुक्त करते हैं, उनके लिए आप ऐसे नियमों का प्रावधान करेंगे कि उनकी ड्राइविंग और बस की टैस्टिंग विभाग पहले सुनिश्चित करे ताकि बाद में बस चलाने की उनको अनुमति मिल जाए। एक प्रावधान मुझे लगता है कि यह करने की आवश्यकता है। मैं यह सुझाव भी साथ में दे रहा हूं।

इसके अलावा दूसरा पार्ट जिसका माननीय मंत्री जी आपने जवाब नहीं दिया है। मैंने यह कहा कि बसों की हालत बहुत खराब है। सरकारी बसों की भी हालत खराब है लेकिन निजी बसों के आंकड़े इतने ज्यादा जा रहे हैं जिसकी बहुत बड़ी

वजह यह भी है कि ये बहुत सी बसें चलने की स्थिति में नहीं हैं और उसके बावजूद भी उनको चलाया जा रहा है। जो एक मैक्सिमम लिमिट किलोमीटर के हिसाब से उनको चलाने के लिए है, उसको क्रॉस कर दिया गया है। क्या आपने इस बात को भी चैक करके जानकारी हासिल करने की कोशिश की है कि जो बसें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं क्या वे चलने योग्य थीं? जितने किलोमीटर उनको चलने के लिए परमिशन दी जाती हैं क्या वे उस लिमिट में थीं या उससे अधिक चल पड़ी थीं। जो आपने कहा कि मु0-/2,85,80,100रुपये की राशि जो इन हादसों में घायल हुए हैं या जिनकी जान गई है ,उनको मुआवजे के रूप में दी गई है। इसमें मैं एक बात और जानना चाहता हूं। सरकारी बसें जिनका एक्सीडैंट हो जाता है और उसमें किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है तो क्या उनको भी उतनी ही राशि दी जाती है जितनी राशि प्राइवेट बस के एक्सीडैंट में मरने वाले व्यक्ति को दी जाती है? जो दूसरे प्रदेशों से हिमाचल प्रदेश में बसें ऑपरेट कर रही हैं उनका यदि एक्सीडैंट हो जाता है तो उसमें मरने वाले को भी क्या उतनी ही राशि मुआवजे के तौर पर दी जाती है क्योंकि हिमाचल की ज्युरिस्डिक्शन में जहां भी एक्सीडैंट होता है उसमें राज्य सरकार मृतकों को राहत देती है। वह राशि भी क्या आप उतनी ही देते हैं ?ये राशि कितनी-कितनी तीनों कैटेगरीज को जिनका मैंने जिक्र किया, दी जाती है, यह मैं जानना चाहता हूं?

25/08/2015/1125/MS/AS/3

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री: अध्यक्ष जी ,जो बात माननीय सदस्य जयराम जी ने कही और जो इन्होंने सुझाव दिए हैं, उनके ऊपर जो अमल करने लायक होंगे बिल्कुल, उन पर सलाह करके अमल भी करेंगे। मगर सरकार ने बस दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कई पग उठाए हैं। हमने जहां दुर्घटनाएं हुई हैं ,उनके डाटा बेस के आधार पर पूरी स्टडी करवाई है कि इन दुर्घटनाओं के क्या कारण रहे हैं। मगर जहां तक आपने बसों की बात कही है। पहली बार एच0आर0टी0सी0 की हिस्ट्री में हुआ है कि 1300 नई बसें,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------------

25/1130/08.2015.जेएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः ---1625जारी---------

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः-----जारी----

मगर जहां तक आपने बसों की बात कही पहली बार एच.आर.टी.सी. की हिस्ट्री में हुआ है कि 1300नई बसें एच.आर.टी.सी. के बेड़े में आई। माननीय वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार में पहली बार हुआ है। It has happened for the first time.

दूसरी हमने व्हिकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की बात की है, उसका प्रोसैस जारी है। जैसे ही व्हिकल ट्रैकिंग सिस्टम लग जाएगा तब इससे काफी जानकारी हो जाएगी। जी.पी.एस. सिस्टम लगा रहे हैं। जहां तक सवाल है मुआवज़ा देने का तो बाहर की बसें हो या राज्य की बसें हों, उनको मुआवज़ा बराबर का दिया जाता है। अब एक लेटैस्ट नोटिफिकेशन भारत सरकार से आई है, उसमें मुआवजा किसी भी कारण से यदि डैथ होती है तो 4 लाख रूपया कर दिया है जो कि पहले कम था। यह अभी लेटैस्ट नोटिफिकेशन आई है। यह तो बड़ा कारण होता है जिसकी डैथ हो जाती है उसको पैसे के साथ कम्पैन्सेट नहीं किया जा सकता है। मगर जहां तक आपने सवाल किया है कि ड्राईवर चेंज हो जाता है इसको थोड़ा पकड़ना मुश्किल होता है मगर उसके बावजूद भी हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिसिप्लेन में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने यहां पर चर्चा की कि पुरानी गाड़ियां क्यों नहीं चल रही है? अभी माननीय गडकरी जी ने पीछे कांफ्रैंस की थी उसमें बात हुई थी कि 10 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चलाई जाएं। अगर यह हाऊस एकमत हो और आप इसका प्रस्ताव रखें तो हम 10 साल पुरानी गाड़ियों को बन्द कर देंगे। सरकार तो करेगी ही लेकिन हम जैसे ही करेंगे आप उसमें भी राजनीति करेंगे। इसलिए कई चीजों के ऊपर कन्सैंसस बनाने की आवश्यकता है। आप कृपा करके कन्सैंसस बनाईए। मैं यह बात हाऊस में कह रहा हूं आप कन्सैंसस बनाईए और हम 10 साल से पुरानी गाड़ियों को बन्द कर देंगे और एक्सिडैंट्स से बचने का प्रयास करेंगे।

25/1130/08.2015.जेएस/डीसी/2

श्री रविन्द्र रविः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि अभी माननीय मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव विपक्ष की ओर से आए। सरकार यह प्रस्ताव ले कर आए। गुण-दोष के आधार पर हम इसका समर्थन करेंगे। आप इस प्रस्ताव को ले कर आए। सरकार को कोई कानून-व्यवस्था ढंग की करनी है या कोई और कुछ करना होता है तो सरकार उस प्रस्ताव को लाती है। इसके ऊपर मंत्री जी आपकी क्या सोच है?

दूसरे, आपने यहां पर कहा कि 1300 नई बसें आई उन 1300 बसों में से केन्द्र सरकार ने कितनी बसें प्रदेश सरकार को भेजी ? वे बसें किस-किस डिपो को कितनी-कितनी दी गई? उन बसों की हालत क्या है? 1300में से कितनी बसें भारत सरकार के द्वारा दी गई और किस-किस डिपो को कितनी-कितनी गई है? इन बसों की स्थिति डिपुओं में क्या है ? ये बसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? इनको चलाने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आपका जो बीच में संतुलन बिगड़ गया था क्या वह ठीक हो गया है या नहीं क्योंकि 37 बसें आपकी अपनी है? क्या उन ड्राईवर्ज/कन्डक्टर्ज को भरने की कोई नीति नहीं बनी? आप यह सब कुछ माननीय सदन में प्रदेश की जनता को बताएं। जो 4 लाख रूपया भारत सरकार ने दिया है उसके लिए आपने धन्यवाद किया है। यह तो सही है कि भारत सरकार निश्चित तौर पर सभी देशवासियों के बारे में सोच रही है, इसलिए केन्द्र सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः यह जो पैसे हैं यह स्टेट गवर्नमैंट के खाते से जाएंगे। जहां तक आपने दूसरी बात कही उसमें 800 गाड़ियां वे जे.एन.एन.यू.आर.एम. की स्कीम के तहत दी गई है। मैंने यहां पर कई बार बता दिया है कि यह बात 2013 में हुई थी। वर्ष 2013 से लगातार यह प्रोसिजर चला हुआ है। 90 करोड़ रूपए पहले आ गए हैं और बाकी अभी कुछ पैंडेंसी है और वे अभी

25/1130/08.2015.जेएस/डीसी/3

आएंगे। हम उसके लिए धन्यवादी हैं। केन्द्र में कोई भी सरकार होती है उनके साथ बातचीत होती है और वहां से पैसे भी लाते हैं और प्रोजैक्ट ले कर आते हैं। आपकी इसमें क्या जानने की मंशा है? जो आप जानना चाह रहे हैं वह मैं कह रहा हूं और अब सुन लो। अच्छी तरह से लिख भी लो।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी-----

/1135/25.08.2015केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 1625 जारी---

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जारी--

आप लिख लीजिए। रामपुर डिपो को दी है 35 बसें, रोहडू को 25, रूरल को 20, लोकल को 55, तारादेवी में 5, सोलन में 12, नाहन में 20, नेरवा में 10, करसोग में 10, परवाणू में 10, मण्डी में 54, कुल्लू में 30, सरकाघाट में 30, सुन्दरनगर में 43, धर्मशाला में 39, चम्बा में 75, पालमपुर में 35, बैजनाथ में 25, पठानकोट में 30, हमीरपुर में 62, देहरा में 35, ऊना में 31, बिलासपुर में 43, नालागढ़ में 25, नगरोटा में 41, टोटल-800 बसें दी है। आपको अब तसल्ली हो गई होगी, मैं कभी गलत काम नहीं करता।

दूसरे, 10 साल पुरानी बसों के बारे में बताना चाहूंगा कि 10 साल पुरानी बसों का गडकरी जी ने इनिशिएट किया है । केन्द्र सरकार ने जो इनिशिएट किया है, उसके ऊपर हम लोग भी विचार कर रहे हैं और समय आने पर आपसे इस बात पर कन्सैंसस होगा तो बिल्कुल इम्पलीमैंट करेंगें।

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि गडकरी जी ने इनिशियेट किया है कि 10वर्षों वाली बैन कर

दो लेकिन आपको तो एज़ ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर पता होना चाहिए कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। गडकरी को तो इसके लिए फोर्स किया जा रहा है और उनसे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूछा जा रहा है कि कब बन्द कर रहे हो। तो तथ्य यह है कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद है या यह फैसला केन्द्र सरकार ने किया है?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं तो गडकरी जी की मीटिंग अटैंड करता हूं । जो मुझे सैंटर के मंत्री आदेश देते हैं, उनके आदेश के मुताबिक करता हूं वैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं देखा परन्तु मुझे तो गडकरी जी ने जो आदेश दिए थे, काँफ्रेंस में जो बात हुई, उनकी बात के ऊपर जो उन्होंने कहा, इसके ऊपर चर्चा हुई काँफ्रेंसिज़ तो तीन हो चुकी हैं । इसमें बुरी बात

/1135/25.08.2015केएस/डीसी/2

क्या है अगर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया है ? जयराम जी ने हिमाचल में इनिशिएटिव लिया है, ये कह रहे हैं कि पुरानी बसें हटनी चाहिए और मैं भी कह रहा हूं कि यह जो चर्चा है, इसके ऊपर कन्सैंसस बनना चाहिए। हर चीज़ के ऊपर कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए। कृपा करके इसके ऊपर आपस में बातचीत कर लेंगें और जैसे भी होगा इसका हल कर लेंगें।

प्रश्न समाप्त

/1135/25.08.2015केएस/डीसी/3

प्रश्न संख्याः 1795

श्री बम्बर ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जानना चाहा था, मेरा स्पैसिफिक क्वैश्चन था कि सन् 2007 से 2012 तक भाजपा सरकार ने कितने कॉलेज, कितने प्लस टू, कितने आई.टी.आई. खोले और क्या उनको पैसा भी दिया गया था या नहीं दिया? इसी के साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के शासन काल के दौरान कितने कॉलेज, प्लस टू स्कूल, हाई व मिडिल स्कूल खोले गए और

कितने भवनों को पैसा दिया गया? मेरा स्पैसिफिक प्रश्न यह था लेकिन इसको क्लब कर दिया गया है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर कितने शिक्षण संस्थान आपने दिए और कितने शिक्षण संस्थानों को आपने पैसा दिया? मेरा प्रश्न यह भी था कि बिलासपुर जिला के अंदर कितने डिग्री कॉलेज हैं और उन डिग्री कॉलेजों को कितना-कितना पैसा किस-किस सरकार ने दिया?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो प्रश्न है, वह कॉलेजों के बारे में नहीं है, सिर्फ स्कूलों के बारे में है। मैं यह बताना चाहूंगा कि 31.12.2007 से लेकर 24.12.2012 तक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

25.8.2015/1140/av/ag/1

प्रश्न संख्या : 1795 --------क्रमागत

मुख्य मंत्री ---जारी

31.12.2007से 24.12. 2012तक हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। उस दौरान कुल मिलाकर 511 स्कूल खोले गए जिसमें प्राईमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। हमारी सरकार ने दिनांक 25.12.2012 को प्रदेश में पद ग्रहण किया और तब से आज तक कुल मिलाकर 923 स्कूल खोले गए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको यह जानकारी भी दे सकता हूं कि किस श्रेणी के कितने-कितने स्कूल खोले गए हैं। मगर दिनांक 25.12. 2012से आज तक कुल 923 स्कूल खोले गए हैं और भाजपा सरकार के समय दिनांक 31.12.2007 से 24.12.2012 तक कुल 511 स्कूल खोले गए। अभी मेरे पास कॉलेजिज की सूचना

नहीं है। मगर मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी डिग्री कॉलेज खुले हैं और उनका जो बहुमत है वह (---व्यवधान---)

डॉ. राजीव बिन्दल : आपने जो अभी टोटल बताया और जो लिखित सूचना दी गई है उसमें काफी अंतर है।

मुख्य मंत्री : आप बाद में बता देना। What I am saying is authentic. मेरे से कई दफ़ा गलती होती है तो मैं उसमें सुधार कर देता हूं। जहां तक कॉलेजिज का सवाल है, during the present tenure only we have opened 22 colleges. माननीय सदस्य ने स्पेसिफिकली बिलासपुर के बारे में पूछा है, मेरे पास अभी वह सूचना नहीं है। मगर आपको जो भी सूचना चाहिए वह मैं बाद में भेज दूंगा।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय खोले गए प्राइमरी स्कूल्ज ,मिडिल स्कूल्ज ,हाई स्कूल्ज और सीनियर सैकेंडरी स्कूल्ज की

25.8.2015/1140/av/ag/2

संख्या 511 हैं। दूसरा आपने जो आंकड़ा दिया है उसको थोड़ा देखने की आवश्यकता है क्योंकि मैंने अभी इसको टैली नहीं किया है। आपने कहा कि दिसम्बर, 2012 के बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में सत्ता में आई तब से आज तक 923 स्कूल खोले हैं। मगर मेरे हिसाब से यह आंकड़ा 883 बनता है।

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य, आप शंका क्यों करते हैं? मैं आपको सब स्कूलों के नाम भी भेज दूंगा।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं शंका नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रतिस्पर्धा केवल स्कूल खोलने के लिए ही है? मेरे हिसाब से हमारी सरकार का लक्ष्य नम्बर एक गुणात्मक शिक्षा की ओर

होना चाहिए। केवल फट्टा लगाने और वहां पर उद्‌घाटन के दौरान नेताओं का नाम छाप देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो स्कूल खोले हैं क्या इन तमाम स्कूलों में आपने अध्यापकों के लिए सारी पोस्टें क्रिएट की हैं? दूसरी मैं यह जानकारी चाहता हूं कि अगर पोस्टें क्रिएट कर दी गई हैं तो क्या वहां पर अध्यापक उपलब्ध हैं? हम यहां पर अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की जानकारी दे सकते हैं कि वहां पर स्कूलों में अध्यापकों की कैसी-कैसी स्थिति है। मेरे वहां एक प्राईमरी स्कूल है मगर उसमें मास्टर नहीं है। एक मास्टर तीन-तीन प्राईमरी स्कूल्ज को देख रहा है। वह दो दिन एक स्कूल में लगाता है और अगले दो-दो दिन दूसरे दो स्कूलों में लगाता है। मिडिल स्कूल में केवल एक मास्टर है और हाई स्कूल में दो मास्टर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस तरह से प्रतिस्पर्धा पर मत जाइए नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रदेश का नाश हो जायेगा। शिक्षा के क्षेत्र से हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है। जब हम कोई घोषणा करते हैं तो अच्छा लगता है--

श्री टी सी वर्मा द्वारा जारी

/1145/25.08.2015टीसी/ए0जी1/0

प्रश्न संख्याः ----1795क्रमागत

श्री जय राम ठाकुर---------जारी

घोषणा करने के बाद हम भी ताली बजाते हैं, लोग भी ताली बजाते हैं और उद्‌घाटन करने के बाद तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन फट्टा लगने से वहां पर शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं। यदि स्कूल खुला है तो वहां पर अध्यापक होना चाहिए, अगर स्कूल खुला है तो वहां पर बिल्डिंग होनी चाहिए बच्चों को बैठने के लिए । अध्यक्ष महोदय में आपके माध्यम से इतना ही जानना चाहता हूँ कि क्या सभी स्कूल जो खोले, उन स्कूलों में पोस्टें क्रिएट कर दी गई है? क्या वहां पर अध्यापक भेजे दिए गए हैं ? तीसरी बात, जो आपने स्कूल खोले गए वहां स्कूल के भवनों के लिए बजट प्रावधान करके,स्कूल भवन की व्यवस्था की गई, यह मैं जानना चाहता हूँ

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्कूल खोलने में प्रतिस्पर्धा का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है, यह दृष्टिकोण में फर्क है। हम यह कहते हैं कि यह सरकार का कर्त्तव्य है। जहां पर प्राईमरी एजुकेशन का सवाल है अगर वहां पर दूर-दराज के क्षेत्र में 2या 3 बच्चे भी हों और वह स्कूल आ नहीं सकते तो यह सरकार का कर्त्तव्य हैं कि उनके लिए स्कूल खोलें, उनको शिक्षा दी जाये । यह कोई दुकानदारी नहीं है, यह हमारा कर्त्तव्य हैं कि उनको शिक्षा दें । जहां तक आपने कहा है, मैं आपको जानकारी दूगां कि पिछले अढ़ाई तीन वर्षों के अन्दर हजारों नये टीचर्ज भर्ती किए गए हैं। चाहे वे जे0बी0टी0 है, चाहे टी0जी0टीज हैं, लैक्चरर हैं, हर प्रकार के टीचर्ज हैं। जितने टीचर्ज इस अवधि में भर्ती हुए हैं, प्रमोट हुए हैं, उतने शायद पिछले पांच साल में भी नहीं हुए होंगे । हमारी कोशिश है कि हर जगह पर टीचर्ज़ भेजे जाएं (--व्यवधान--) ऐसा है टिप्पणी मत करो । ***

***** Expunged as ordered by the Chair.**

/1145/25.08.2015**टीसी**/**ए0जी**/02

Speaker: Please sit down. बैठ जाईए । आप बैठ जाईए । (--व्यवधान-) Please keep quiet. (Interruption) Please sit down. बैठ जाईए I Please sit down.बस हो गया ।

मुख्य मंत्री: मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचने का नहीं था । मगर मैं चाहता हूँ, जब मैं हाऊस में बोल रहा हूँ , अगर आपको टिप्पणी करनी है तो मेरे बैठने के बाद करें । आपको नहीं चाहिए जब धूमल साहब बोल रहे हैं then we should listen to him with respect. इसलिए बीच में intervene मत करिए । मैं जानता हूँ आपको भी, अच्छी तरह से जानता हूँ । मैं यह कह रहा था अध्यक्ष महोदय, -------

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी--

25.08.2015/1150/NS/AS/1------

मुख्य मंत्री------- क्रमागत

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जिस किसी सदस्य ने यह सवाल उठाया बहुत वाजिब उठाया। स्कूल और कालेज खोलने का क्या फायदा अगर उसमें टीचर्ज़, प्रोफैसर्ज़ और लैक्चरर्ज़ न हों। I accept this concept. इसके लिए सरकार ने जोरदार और सार्थक कदम उठाए हैं। आप देखेगें कि 28 महीनों के अंदर हमने जितनी नई भर्तियां की हैं वह ----- से लेकर की हैं। यह भर्तियां खत्म नहीं हुई हैं। हमने यह मापदण्ड बनाया है कि किस स्कूल में कितने टीचर्ज़ होने चाहिए उसके मुताबिक लोगों को भर्ती किया जाएगा। अनुबंध/एस.एम.सी. के माध्यम से रखा जाएगा। यह हम निश्चित करेंगे। आप लोगों को सरकार को बधाई देनी चाहिए कि इतने ज्यादा स्कूल खोले और वहां पर आज टीचर्ज मौजूद हैं।

श्री हंस राज : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो इन्होंने अभी-अभी आंकड़े पेश किए और बीच में थोड़ा (व्यवधान) हो गया। मैं इनको वह आंकड़े बताना चाहूंगा। आज की ही न्यूज है । चम्बा में दरला हाई स्कूल चार दिनों से बंद है। वहां पर सात पद रिक्त हैं। आज मान्नीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने पिछले 2-3 सालों से जब सरकार सत्ता में आई है हमारे 9 गर्वनमेंट मिडल स्कूल सिंगल टीचरों से चले हुए हैं। जिसमें हाई स्कूल ऐसे हैं जो एक-एक टीचर से चले हुए हैं। जो भर्तियां हो रहीं हैं कहां हो रही हैं हमें तो नज़र नहीं आता। कम-से-कम चुराह क्षेत्र में तो यह नज़र नहीं आता है । मान्य मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो गर्वनमैंट हाई स्कूल दरला, गर्वनमैंट मिडल स्कूल गोइला, गर्वनमैंट मिडल स्कूल सतयास, गर्वनमैंट सीनियर सैकंडरी स्कूल बैरागढ़, गर्वनमैंट सीनियर स्कूल देवी कोठी, गर्वनमैंट सीनियर सैंकडरी स्कूल, जाजाकोठी ये जितने भी स्कूल हैं इतने आंकड़े हम ले सकते हैं कि यहां पर सिंगल टीचर हैं या टीचर ही नहीं हैं। मान्य मुख्य मंत्री जी क्या आप एनश्योर करेंगे

25.08.2015/1150/NS/AS/2------क्रमागत।

कि इस बहुत ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र में भी टीचर्ज़ भेजेंगे या इसी तरह से फिर भाषण होते रहेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल ही हमारे चम्बा के कांग्रेस के नेता श्री सुरेन्द्र भारद्वाज जी ने मेरा ध्यान इस और दिलाया था कि सूबे में शिक्षकों की कमी है। मुझे खुशी है कि माननीय विधायक ने भी इसका ज़िक्र किया है। जैसा कि मैंने संज्ञान में दिया है। मैंने स्पैशिली वहां पर यूनियन के सैक्रेटरी भेजे हैं और मालूमात भी की है कि चुराह के क्षेत्र में कितने स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और अगर नहीं हैं तो उनकी प्रतिपूर्ति बहुत जल्दी ही पूरी कर ली जाएगी।

श्री रणधीर शर्मा: माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में जो सूचना दी है उसके अनुसार जो उन्होंने टोटल करके जानकारी दी । हालांकि, इन्होंने बाद में कहा कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। परन्तु जिस तरह से टोटल करके जानकारी दी। मुझे लगता है कि यह प्रतिस्पर्धा भी कर रहे थे और वो भी बिना तथ्यों के कर रहे थे। आपने जो उत्तर लिखित दिया है उसी के आधार पर 2007 से 2012 के बीच 883 स्कूल खोले गए जबकि अभी आपके कार्यकाल में जो संख्या लगभग 900 बता रहे हैं वह 618 थी।

मुख्य मंत्री : 932 है।

श्री रणधीर शर्मा : 618 है। टोटल करिए।

Chief Minister: You prove it.

श्री रणधीर शर्मा : 225, 233, 160 आप अपने प्रश्न का उत्तर कर लीजिए टोटल कर लीजिए। आपने जो लिखित उत्तर दिया है उसका टोटल कर लीजिए । 225, 233, 160 कुल 618 होता है। अब इस तरह अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि यह जो

25.08.2015/1150/NS/AS/3

आंकड़े हैं सप्लीमैंटरी कर रहा हूं। आप आगे जबाव देना। मेरा यह आग्रह है कि ये जो टोटल करके आंकड़े दिए गए ये रिकार्ड में भी सही किए जाएं और मुख्य मंत्री जी भी यह सही आंकड़े पढ़े ताकि मीडिया में भी सही आएं।

श्री नेगी द्वारा जारी -------

25.08.2015/1155/negi/as/1

प्रश्न संख्याः ...1795**जारी**...

श्री रणधीर शर्मा.. जारी..

मैं वही आंकड़े पढ़ रहा हूं। आप किसी मैथेमेटिशियन को बुला लो। इसलिए एक तो वे आंकड़े और दूसरा ,... सर, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं और बार-बार खड़े हो रहे हैं।

अध्यक्षः आप सप्लीमेन्टरी लम्बी न कीजिए।

श्री रणधीर शर्माः मैं तो सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि इस कार्यकाल में 618 स्कूल खुले, इस दौरान 2908 पोस्टें क्रिएट हुई जिसमें से सिर्फ 1600 पोस्टें भरीं गई और एक हजार पोस्टें अभी भी खाली हैं। उसके अलावा हजारों अध्यापक रिटायर हो रहे हैं। आज हजारों पोस्टें खाली हैं, जैसे हंस राज ने कहा इन्होंने अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहा। परन्तु मुख्य मंत्री महोदय ने यहां पर एक वेग सा उत्तर दिया और कहा कि हमने अन-प्रेसिडेंटिड भर्तियां की हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन ढ़ाई सालों में कितने अध्यापक/प्राध्यपक भर्ती किये और अभी पूरे प्रदेश में कितनी पोस्टें खाली हैं?

मुख्य मंत्री : इसके लिए आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा। मगर मैं यह कह रहा हूं कि instead of going into the figures figure कि कौन कितने हैं, मैंने डिटेल में जवाब दिया है और ये जो आंकड़ें हैं वे बिल्कुल सही हैं। ये आंकड़े 31.12.2007 से

24.12.2012 तक के हैं और हमारे समय के 25.12.2015 से till date तक के आंकड़े हैं। It is a matter of calculation.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, समस्या तब होती है जब माननीय मुख्य मंत्री तथ्यों से परे हट करके जवाब देते हैं। पहला तो मेरा आपसे निवेदन है कि चुने हुए विधायक का महत्व अपना है। जो आपने हंस राज के सप्लीमेन्टरी का उत्तर दिया, वहां से जो उम्मीदवार पराजित हुए हैं उन्होंने कल आपके ध्यान में लाया, उससे तो 10 दिन पहले इन्होंने नोटिस दिया हुआ है। इसलिए चुने हुए विधायक को इस तरह न करें। जो आंकड़े आपने दिए हैं, हम उन्हीं आंकड़ों का टोटल लगा रहे हैं और 2012 तक 883 हैं और उसके बाद 778 बने हैं। 160 तो प्राईमरी के हैं। अब आपने कॉलेजिज

25.08.2015/1155/negi/as/2

की फिगर दे दी । जो पब्लिक मीटिंग में करने वाली बात है, वह आप यहां कर रहे हैं। जो आपसे प्रश्न नही पूछे गए हैं, आपने शुरू में कहा कि कालेजिज़ का प्रश्न नही है, लेकिन फिर आप कालेज़िज की फिगर में आ गये। जो पूछा गया प्रश्न है उसका सही उत्तर नही मिल रहा है। एमाउन्ट कितना सैंक्शन हुआ, पोस्टें कितनी सैंक्शन हुई, कितनी भरी गई, कितनी वैकेन्सीज़ आज भी हैं और इस पीरियड़ में रिटायरमैन्ट्स कितनी हुई ? आंकड़े तो यह चाहिए और आप हमें ये आंकड़े दीजिए।

मुख्य मंत्री : आप यह सवाल पूछिए ,हम जवाब देंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यह प्रिंटिड रिप्लाई है ,इसमें 2007 से 2012 तक के दौरान में 9 ,महीने का कांग्रेस का शासनकाल भी इसमें हमने शामिल किया था। अब जो मैंने रिप्लाई दिया है वह 9 महीने का जो कांग्रेस का शासन काल का पीरियड़ था जो इसमें लिया गया है, उसको निकाल करके, यह आंकड़े बताई गई है इसलिए यह फर्क है।

प्रश्न काल समाप्त

25.08.2015/1155/negi/as/3

सभा पटल पर रखे गए कागज़ात

अध्यक्षः अब कुछ कागज़ात सभापटल पर रखे जाएंगे। अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन में निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) जल (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण), अधिनियम, 19 74की धारा 39 (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 13 (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14;

(iii) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 8 और 9 के साथ पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के मोटरकार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम (संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः जी.ए.डी.-सी(पीए) 11-2003/2-4-दिनांक29. 0 5.2015द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.06.2015 को प्रकाशित; और

(iv) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 14 के साथ पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः जी.ए.डी.-सी(पीए) 2003/2-4दिनांक 29.0 5.2015द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.06.2015 को प्रकाशित।

25.08.2015/1155/negi/as/4

अध्यक्षः अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं-ः

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, आचार्य (इंजीनियरिंग) ,वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःईडीएन(टीई)-ए(3)- 2012/25दिनांक 03.0 4.2014द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.04.2014 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, कर्मशाला अनुदेशक(बहुतकनीकी) वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना

संख्याःईडीएन(टीई)-ए(3) 2010/2दिनांक 16.0 5.2015द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.07.2015 को प्रकाशित; और

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(A)(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013- 14।

25.08.2015/1155/negi/as/5

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

25/1200/08.2015.यूके/डीसी1/

श्री रविन्द्र सिंह ःअध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूंः-

(i) समिति का **107वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 30वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में

अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **चिकित्सा शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **108वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 48वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **109वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 51वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित है।

अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमार :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति के **14वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 5वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है की एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगीं तथा सदन के पटल पर रखेंगीं।

25/1200/08.2015.यूके/डीसी/2

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूंः-

(i) समिति का **40वां मूल प्रतिवेदन** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः 3.1 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **41वां मूल प्रतिवेदन** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः3.5 से 3.10 तक की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड** से सम्बन्धित है।

अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार, सदस्य, कल्याण कल्याण समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति का **19वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 7वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

25/1200/08.2015.यूके/डीसी/3

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम 130 के अन्तर्गत प्रस्ताव आएगा । अब श्री रविन्द्र सिंह रवि नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे । इस विषय पर श्री वीरेन्द्र कंवर जी की ओर से भी बोलने के लिए सूचना प्राप्त हुई है । यदि वे चाहे तो वे भी इस चर्चा में भाग ले सकते हैं । अब श्री रविन्द्र सिंह रवि ।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने नियम 130 के अन्तर्गत प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर जो हमने नोटिस दिया था, उस पर चर्चा करने के लिए आज आपने समय निर्धारित किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश की, किसी भी समाज की कानून-व्यवस्था कैसी हो, उस लोकतन्त्र में लोगों को कैसी सुविधाएं प्राप्त हों उसके लिए समय-समय पर जहां कानून बनाए जाते हैं और उनकी व्यवस्था करने का प्रावधान किया जाता है और यह भी सही है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है, प्राकृतिक संचित हुई है, धरती पर जीवन आना शुरू हुआ है उसी समय से समाज में रहने वाले लोग या आम प्राकृति की गोद में रहने वाले जीव-जन्तु ने समय-समय पर समाज को विभिन्न तरह से प्रभावित करना शुरू किया है । युगों-युगों से इसी तरह से हमारे समाज में भी कुछ ऐसे समाज-विरोधी जो लोग होते हैं उनका भी आगमन समय-समय पर होना शुरू हो गया है और होता आया है । समय रहते यदि उस पर अंकुश न लगाया जाए, उन पर नियन्त्रण न किया जाए तो भविष्य में समाज की शांति के लिए उससे खतरा पैदा होता है और यदि उसमें समाज में रहने वाले शांतिप्रिय लोग अपनी शक्ति या पहूंच या जो सरकार के नज़दीक या बड़े अधिकारियों के नज़दीक जो लोग होते हैं, वो उस कानून-व्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं, यह जरा सोचने की

25/1200/08.2015.यूके/डीसी/4

बातें आज के दिन में हैं । उन लोगों का सरकार का और समाज में जो लोग समाज को प्रभावित करते हैं ,उनका आर्शीवाद प्राप्त होता है,

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

लोकतन्त्र में ऐसे लोग सरकारों को ज्यादा प्रभाव डालते हैं, ऐसा मेरा मानना है और यहीं से आप दखिए उपाध्यक्ष महोदय, समाज में विभिन्न माफियों का राज उत्पन्न होता है । आप देखते होंगे कि जैसे ही ये जड़ें फैलती हैं उन पर नियन्त्रण करना समय के हिसाब से बहुत मुश्किल काम हो जाता है । अगर समय रहते इस पर अंकुश न लगाया जाए । आप देखते होंगे कि इस दुनिया में कुछ देश अभी भी ऐसे हैं जो तानाशाही की प्रवृत्ति के तहत काम करते हैं । वहां पर जैसे कोई सिर उठाता है उसको उसी समय कुचल दिया जाता है । जैसे उदाहरण के तौर पर चीन है, उत्तर कोरिया है । ऐसे विभिन्न देश हैं जहां पर ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

25.08.2015/1205/SLS-DC-1

श्री रविन्द्र सिंह... जारी

ऐसे विभिन्न देश हैं जहां पर अभी लोकतंत्र देखने को नहीं मिलता है। वहां पर तानाशाही के कारण उन्होंने अंकुश लगाया होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि ऐसा हिंदुस्तान में भी देखने को मिला। आप 25-26 जून, 1975 की वह घटना याद करें जब हिंदुस्तान में भी लोकतंत्र और कानून-व्यवस्था को दबाने की कोशिश की गई थी। यह घटना इतिहास के पन्नो में काला अध्याय बनकर रह गई है। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। लोकतंत्र में हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिक की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। आज के दिन में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले यही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे विधायिका कोई कानून बनाती है उसको कायान्वित करने के लिए कार्यपालिका ने काम करना होता है और न्यायपालिका उस पर अपनी मोहर लगाती है; समय-समय पर कानून का पालन करते हुए समाज को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, दुख का विषय यह है कि आप देखेंगे कि हमारे इस छोटे से प्रदेश

में, जो शांतिप्रिय प्रदेश गिना जाता है ,वर्तमान में भी अन्य प्रदेशों की तुलना में यहां बहुत शांति है, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन जब हिमाचल बना तो बीच में यहां पर कुछ ऐसा समय आया जब कुछ सरकारों ने ऐसे तत्वों को बढ़ावा देने के लिए हटकर काम किए। आप देखेंगे कि आज हमारे इस प्रदेश में माफिया राज क्यों हो रहा है। इस राज में सारे माफिये, चाहे वह खनन माफिया है, चाहे भू माफिया है, ड्रग माफिया है ,चाहे वन माफिया है; आज के दिन में आप देखेंगे तो एक बलात्कार माफिया भी पैदा हो गया है। इस प्रदेश में महिलाओं से छेड़छाड़ की ज्यादा घटनाएं सामने आनी शुरू हो गई हैं, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी घटनाएं अब हमारे इस छोटे से प्रदेश में भी होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन मुख्य मंत्री महोदय, उनके ऊपर अंकुश न लगाना और उन पर कार्रवाई न करना ,ऐसे पीड़ित परिवार को न्याय न मिलना या जो कार्रवाई वहां पर पुलिस द्वारा की जानी है, वह न करना; ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं, उस समय दुख होता है। कानून-व्यवस्था के ऊपर चर्चा करने का हमारा औचित्य केवल यह नहीं है ...(व्यवधान)...

25.08.2015/1205/SLS-DC-2

मुख्य मंत्री : आप कह रहे हैं कि कहीं पुलिस द्वारा इंटरवीन नहीं किया गया या कार्रवाई ठीक से नहीं हुई। अगर आप इसका सही उदाहरण दें तो इस पर रोशनी पड़ेगी कि ऐसा कहां पर हुआ। We will come to know and we will take action there. जनरालाईज करने से क्या होता है?

श्री रविन्द्र सिंह : मैं उदाहरण दूंगा, आप इसके बारे में निश्चिंत रहें।

मेरा यह कहना है कि एक जैन मुनि तरुण जी हैं जो बड़े क्रांतिकारी हैं। आपने उनको देखा होगा। मुझे भी उनका प्रवचन सुनने को मिला था। वह दिल्ली में प्रवचन कर रहे थे। मुझे यह बात याद है, जब यह रात को हुई। जब मुझे पता लगा कि यह हो गई तो मैंने सोचा कि अब यह कहेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। तो मैंने उस प्रवचन को याद किया। वह दिल्ली में उस समय प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने दिल्ली का ही उदाहरण दिया। वह समाज के ऊपर ही चर्चा करते हुए प्रवचन

दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिल्ली की जनसंख्या कितनी है। जो श्रद्धालु प्रवचन सुनने वहां पर आए थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख या एक करोड़ होगी। उन्होंने कहा कि इन एक करोड़ यानी 100 लाख लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो समाज के विरोध में काम करते हैं, यानी वो हत्याएं करते हैं, डकैतियां करते हैं, बलात्कार करते हैं, चोरियां करते हैं या सारे ऐसे ही काम करते हैं और समाज के उलट चलते हैं? उन्होंने गिनना शुरू किया कि कितने होंगे। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 10 हजार, 20 हजार, 40 हजार, 50 हजार होंगे और गिनते-गिनते वह एक लाख तक पहुंच गए। दिल्ली जो सौ लाख की जनसंख्या वाली राजधानी है वहां एक लाख लोग ऐसे हैं जो समाज के विरोध में काम करते हैं यानी हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं, चोरियां करते हैं या डकैतियां करते हैं और यह सब समाज विरोधी कार्य करते हैं। लेकिन 99 लाख लोग ऐसे हैं जो समाज के हित में सोचते हैं, समाज हित का काम करते हैं और शांतिप्रिय लोग हैं। लेकिन उन्होंने साथ में यह कहा कि जब ऐसी विपत्ति आती है ,जो घटनाएं

25.08.2015/1205/SLS-DC-3

आज के दिन में घट रही हैं; मैं उस समय को देखता हूं कि उस समय का उनका प्रवचन आज के संदर्भ में बहुत बढ़िया था। उन एक लाख लोगों में से किसी एक पर कोई ऐसा गलत समय आ जाए, वह पकड़ा जाए ,फंस जाए तो उसकी अप्रोच सीनियर प्रशासन तक या पोलिटिशियन तक होती है और सारे-के-सारे एक लाख लोग इकट्ठे होकर उसको बचाने की कोशिश करते हैं। जबकि दूसरी तरफ 99 लाख लोग ऐसे हैं ..

जारी...श्री गर्ग द्वारा

25/08/2015/1210/RG/AG/1

श्री रविन्द्र सिंह-------क्रमागत

सारे-के-सारे एक लाख लोग इकट्ठे होकर उसको बचाने की कोशिश करते हैं। जबकि दूसरी तरफ 99लाख लोग ऐसे हैं जो शान्ति भी चाहते हैं और वे चाहते हैं कि

ऐसा कोई गलत काम भी न हो। यदि किसी परिवार के ऊपर या किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए, जैसा आपने देखा कि दिल्ली में जो घटना घटी थी। वहां एक लड़की के साथ सरेआम छेड़खानी हुई और उसको मार दिया गया। कोई भी व्यक्ति उसको बचाने के लिए सामने नहीं आया। तो उनका वह प्रवचन आज के दिन के लिए बिल्कुल सटीक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान यहां की कानून-व्यवस्था की ओर दिलाने की कोशिश करुंगा। आप निश्चिंत रहें। यदि आप पुलिस प्रशासन को गलत जगह पर लगाना शुरू कर देंगे ,तो ठीक नहीं है। जैसे हमने कल यहां नियम-67 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया था ,तो आज ही अध्यक्ष महोदय ने यह रूलिंग दी है कि आप उस विषय पर पासिंग रेफ्रैंस में चर्चा कर सकते हैं। इसलिए मैं निश्चित तौर पर पासिंग रेफ्रैंस में ही चर्चा करुंगा। ऐसे पुलिस अधिकारी जो बिल्कुल ईमानदार हैं, आपने गलत रिपोर्टिंग की कि हमारे हिमाचल प्रदेश में ए.एस.पी. के 10 पद खाली हैं। जबकि सही मायनों में यहां पर ए.एस.पी. के 34 पद हैं जिनमें से 31 भरे हुए हैं ,दो डेपुटेशन पर गए हुए हैं और एक पद यहां खाली है। उसको वापस लाने के लिए भारत सरकार को भी आपने गलत आंकड़ें प्रस्तुत कर दिए। जो एक ए.एस.पी. रैंक का व्यक्ति डिप्टी डायरैक्टर, ई.डी., भारत सरकार में लग गया ,उसको वापस लाने के लिए आपने सारे नियमों को ताक पर रखकर गलत आंकड़े प्रस्तुत किए। सिफारिश भी आप ही करते हैं और वापस भी आप ही करते हैं। इसके क्या कारण बन गए? इसके अतिरिक्त बीच में एक काम और आपने किया जोकि मुख्य मंत्री महोदय सही नहीं है1 ***

*** Expunged as ordered by the Chair.

25/08/2015/1210/RG/AG/2

तो कौन पुलिस का अधिकारी इस प्रकार से यहां कार्य करेगा? आज के दिन में यह सोचने का विषय है। मुख्य मंत्री महोदय, प्रदेश में ईमानदार अधिकारियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन यदि कोई सही कार्य करने वाला होगा, तो उसको आप प्रताड़ित करेंगे, उसको अपने कार्यालय में बुलाएंगे और यह कहेंगे कि आप जांच कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना हुआ है ,इसकी बात

सुनो और जो यह कहेगा वैसा करो। यह बात सही नहीं है और कानून-व्यवस्था यहीं से खराब होती है। जब आप जवाब देंगे, तो उसमें आप सारी बातें कह देना।

मुख्य मंत्री : यह केस मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है यह फॉरेन ऐक्सचेंज का केस है।

श्री रविन्द्र सिंह : 'फेमा' का है फॉरेन ऐक्सचेंज का केस है। एक ही बात है।

मुख्य मंत्री : आप अपने को करैक्ट करें। दोनों में बहुत फर्क है।

श्री रविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आप जब पुलिस प्रशासन को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे ,तो ठीक नहीं है। जैसे कि हिमाचल में कितने लोगों को पायलट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। मुख्य मंत्री जी मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देंगे। संजय रतन जी यदि आप अपनी सीट पर चले जाएं, तो अच्छा रहेगा क्योंकि कानून-व्यवस्था पर चर्चा हो रही है। प्रदेश में कितने वी.वी.आई.पीज़ को पायलट की आवश्यकता है और किस-किस को आपने उपलब्ध करवाई है? क्या यह आवश्यक है कि उनको पायलट की सुविधा देनी चाहिए? जहां जाएं वहां पर कैसे-कैसे सवाल-जवाब होते हैं। जब उसको विदड्रॉ करना है, तो पुलिस प्रशासन के जो 6-7 लोग वहां लगाए हैं जो काम धरातल पर करना होता है, वे करते नहीं हैं। क्या ऐसे लोगों को पायलट देना सही है? बड़े लोगों के बेटे होंगे! लेकिन बड़े लोगों के बेटे पहले भी रहे हैं और राजनीति में ऐक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। क्या उनके लिए कोई पायलट लगा? जब सत्ता में रहे कभी लगा? यह क्या समय आ गया कि आज के दिन पायलट की आवश्यकता पड़ गई? यह जो पुलिस प्रशासन को खराब करने की व्यवस्था आज आप कर रहे हैं, यह ठीक नहीं हैं।

25/08/2015/1210/RG/AG/3

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले 'मिसयूज़ ऑफ पॉवर्ज' ,इसको कहेंगे। कानून-व्यवस्था कहां खराब होती है। अभी आप 3-4 दिन पहले हैलिकॉप्टर से दिल्ली गए थे। हैलिकॉप्टर में जो मंत्री जी आपके साथ गए थे उनको आप दिल्ली छोड़ आए। आपके कांग्रेस पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर आए साथ

में आए ,वे शिमला में क्या करने आए थे, वे आए और वापस चले गए। हैलिकॉप्टर में आते हैं और वापस चले जाते हैं। ये क्या कारण थे, क्या व्यवस्था थी, उनकी यहां पर आने की क्या जरूरत थी? आप प्रदेश की जनता को यह भी बताएंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक तथ्यों की बात इन्होंने कही ,तथ्य इतने ज्यादा हैं कि मैं तो हैरान हूं। मैं अब शुरू से गिनाऊंगा।

मुख्य मंत्री : मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप आराम से और प्यार से टिक कर बोलें कि क्या बोलना चाहते हैं।

श्री रविन्द्र सिंह : जो अच्छे वक्ता होते हैं उनको समझना मुश्किल होता है।-----

एम.एस. द्वारा जारी

25/08/2015/1215/MS/AG/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी-----

उपाध्यक्ष महोदय, जो पीछे घटना घटी थी। भाई जी अभी यहां सदन में नहीं है तो वे जिला कांगड़ा के दौरे पर गए थे। वहां थुरल बेरघटा में 10-11 साल की बच्ची के साथ एक शादी समारोह में बलात्कार हुआ था। आपके पास लोगों का डेपुटेशन मिला था और आपने वहां पर आश्वासन भी दिया था। मुझे लगता है कि आज उस घटना को घटे हुए छः महीने का समय हो गया है। वह कल्प्रिट आज दिन तक नहीं पकड़ा गया है और इन्होंने कहा था कि अगर वह कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाएगा तो सी0बी0आई0 की जांच मुख्य मंत्री महोदय से बोलकर करवाऊंगा। यह एक विषय नहीं है। उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय अभी सदन में मौजूद नहीं है। इनके विधान सभा क्षेत्र पालमपुर में चौरी चौकी जगह का नाम है। वहां रात को 10.00 बजे के लगभग एक मारूति गाड़ी को रोका जाता है। उस गाड़ी में तीन-चार लोग बैठे होते हैं और उस गाड़ी को आग लगा दी जाती है। आज तक कोई पता नहीं कि कल्प्रिट कहां है।

दूसरी घटना, बैजनाथ के ऊपर कंदवाड़ी के इलाके में फौजी को मार दिया जाता है , उसका आज दिन तक कोई पता नहीं लगा। इसी के साथ ,मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक व्यक्ति पालमपुर में पेमैंट की उगाही करने के लिए जाता है और उसको मारकर बनूरी के ढांक से नीचे फेंक दिया जाता है। आज तक मुख्य मंत्री जी उसका भी कोई पता नहीं है। मैंने डी0जी0पी0 साहब को पत्र लिखा था लेकिन आज तक उसका भी कोई जवाब नहीं आया। नदौन के पुल के ऊपर अमित मेहरा नाम के एक लड़के को 9फरवरी, 2015 को मारकर फेंक दिया गया और उसकी मौत को आत्महत्या का केस बना दिया जबकि सारे-के-सारे तथ्य को लोगों से जाकर पूछो कि वहां क्या हुआ था। आज तक उसका कोई पता नहीं लगा। यही नहीं, एक मेरे विधान सभा क्षेत्र का व्यक्ति दिनेश कुमार, जिसकी एफ0आई0आर0 इंदौरा में जाकर दर्ज़ हुई ,जोकि पुलिस चौकी कंदरौड़ी की है। वह वहां अपने मित्र को मिलने के लिए गया था। वह वहां से गायब हो गया और आज दिन तक उसका भी कोई पता नहीं है। यह बात 8 नवम्बर, 2011 की है। वहां एफ0आई0आर0 दर्ज़ हुई है। जो आप कह रहे हैं कि तथ्य सामने लाओ तो मैंने तथ्य सामने ला दिए हैं।

25/08/2015/1215/MS/AG/2

उपाध्यक्ष जी, इसी तरह की एक और घटना है। नौरा डिग्री कॉलेज की पालमपुर तहसील की छात्रा घर पर मृत पाई गई। पूरा इलाका और पूरे इलाके के लोग, यहां तक की विद्यार्थियों ने लगातार एक महीने तक वहां पर एजीटेशन किया लेकिन आज दिन तक उसका कोई पता नहीं है कि उसकी मौत कैसे हुई। ये सारे तथ्य मैं आपको बता रहा हूं। पूरी रिपोर्ट इसमें लगी हुई है(कागज दिखाते हुए)। आज दिन तक इस मामले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष जी, क्या यह सरकार बताएगी कि इन हत्याओं के ऊपर कब तक विराम लगेगा? इसी के साथ मुख्य मंत्री जी आपके रोहड़ू क्षेत्र में पृथ्वी राज के हत्यारों का आज दिन तक कोई पता नहीं लगा। यह बहुत पुराना केस है। मुख्य मंत्री जी यह क्षेत्र तो आपका रहा है। इसमें कहां, कैसे क्या हो गया ?"रोहड़ू में हत्याओं के

पांच मामले सुलझाने में पुलिस नाकाम, लोगों में आक्रोश।" ये तथ्य हम आपको देना चाहते हैं जो आप कह रहे थे कि तथ्य बताइए। ये तथ्य हैं।

मुख्य मंत्रीः अखबारों में सब सच थोड़े न होता है।

श्री रविन्द्र सिंहः इसका कोई संज्ञान पुलिस प्रशासन की ओर से जाना चाहिए कि हमने इतने कल्प्रिट्स पकड़ लिए या छोड़ दिए लेकिन ऐसा कुछ कहीं नहीं आता है और केस ऐसे ही ठण्डे बस्ते में पड़ जाएंगे। इसलिए मुख्य मंत्री जी ये सारी-की-सारी घटनाएं आज के दिन में ठण्डे बस्ते में पड़ी हुई हैं। यह बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इसी के साथ, अभी हाल ही में सुन्दर नगर, चम्बा और मनाली में दुष्कर्म की घटनाएं घटी हैं। एक घटना मुख्य मंत्री जी 21 तारीख की दिन के समय डेढ़-दो बजे के करीब की है, जिसको मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। मझीण जो ज्वालामुखी विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां दो बहनें दांत के उपचार के लिए वहां की पी0एच0सी0 में जाती हैं। डॉक्टर ने एक बहन को बाहर बिठा दिया और दूसरी को अंदर बुला लिया। उस लड़की को डॉक्टर ने पहले दांत में इंजैक्शन लगाया, उसके बाद उसके बाजू में इंजैक्शन लगाया और उसके बाद उसके सारे शरीर पर स्प्रे कर दिया गया। उस डॉक्टर ने पता नहीं क्या-क्या हरकतें कीं। संजय रतन जी को इस केस का पता भी है। उस डॉक्टर को पकड़ा गया है। लेकिन क्या कारण बना, क्यों ऐसे केस होते हैं? मुख्य मंत्री जी, जब आप बचाने की कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर आक्रमण कर दिया और उन लोगों के ऊपर झूठे केस बना दिए।

25/08/2015/1215/MS/AG/3

श्री संजय रतनः इन मामलों में कानूनी कार्रवाई हो रही है।

श्री रविन्द्र सिंहः मैं कह रहा हूं कि कानूनी कार्रवाई हो रही है। मैं मना नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर को पकड़ लिया है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

25/1220/08.2015.जेएस/एएस1/

श्री रविन्द्र सिंहः-----जारी---------

डॉक्टर को पकड़ लिया है लेकिन वहां पर फायरिंग करनी पड़ी लोगों में इतना आक्रोश था। पुलिस वहां पर देरी से आई। पुलिस को उसको बचाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी है। फायरिंग करने के बाद तब जा करके वहां पर मामला शांत हुआ है। ये सारी बाते हैं। ये सारे के सारे तथ्य आपके समक्ष यहां पर रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी को याद होगा कि धर्मशाला महाविद्यालय में एक छात्रा तथाकथित, मैं नहीं कहता कि कुछ था या नहीं था, ये आपको पता है, पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है कि उसके पीछे क्या हुआ लेकिन इस पर आपने एक दिन कहा कि इस पर हमने एक SIT का गठन कर दिया है। स्पैशल इन्वैस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया लेकिन दूसरे दिन, रात कटी नहीं और सुबह ही आपने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पर सभी को क्लीन चिट दे दी । उस मामले को एक महीना हो गया है, वह सारी की सारी कॉंस्पिरेसी थी या क्या था, क्या नहीं था, वह मामला सारे मीडिया पर चलता रहा, अखबारों में चलता रहा , चैनल्ज़ पर चलता रहा। सोशल मीडिया पर वह मामला छाया रहा, लेकिन सरकार चुप हो कर बैठ गई। उसके ऊपर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आज तक किसी को कुछ पता ही नहीं है? वह कौन करने वाले थे , समाज के सामने लाना चाहिए था लेकिन प्रशासन ने और पुलिस ने इस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। यह भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था। मैं सभी पुलिस वालो को गलत नहीं कहता हूं। पुलिस और पुलिस प्रशासन अच्छा भी है। लेकिन लिखा है कि-कई जगह सैक्स रैकेट का पर्दाफाश और पुलिस वाले भी थे ग्राहक। यह धर्मशाला का केस है। इसके

ऊपर कोई भी जांच नहीं हुई। यह अखबारों में और मीडिया में आया लेकिन उसके बाद ठप्प हो गया। आप कह रहे है कि तथ्य दो। हम यहां पर सारे के सारे तथ्य दे रहे हैं। इन चीजों के ऊपर प्रशासन और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? ये सारे के सारे तथ्य आप हमें बताएंगे तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा।

25/1220/08.2015.जेएस/एएस/2

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यह प्रदेश भी ड्रग माफिया बनता जा रहा है। यहां पर कोई भी चैकिंग नहीं है। मैंने पीछे भी आपको कहा था कि जितनी भी लाँग रूट की बसें और विशेष करके प्राईवेट व्हिकल्ज़ को तो चैक किया जाता है लेकिन जो मनाली से बसें चलती हैं या जो इंटिरियर्ज से बसें चलती हैं, चाहे वे प्राईवेट है या कई रूट की बसें जो सीधी दिल्ली तक जाती हैं, उनको रास्ते में कोई चैक नहीं करता है। पुलिस का क्या काम है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। खनन माफिया पूरे प्रदेश में हावी है। कितने टिप्पर मालिकों के आप लोगों ने आज तक चालान किए हैं? माननीय मुख्य मंत्री महोदय ,आपके पास यदि इनके एड्रैस नहीं होंगे तो किसके पास होंगे? आप तो इतने लम्बे समय से राजनीति में है, जब कोई ऐसा काम शुरू करता है तो आपको तो उस समय से पता होता है कि कौन शुरू कर रहा है? आपको इन सारी की सारी चीजों का पता है लेकिन मेरा इसके ऊपर यह कहना है कि ट्रेक्टर वालों के चालान तो हो रहे हैं। जो ट्रेक्टर वाले छोटे लोग हैं, अपने परिवार की रोजी-रोटी कमा रहे होते हैं, उनके चालान हो रहे हैं। आपके विधायक वहां पर खुद चौक पर खड़े हो जाते हैं। वे पुलिस को साथ ले कर उन बेचारों के चालान करवा रहे हैं। चार-छः दिन पहले तो घोड़ों के भी चालान करवा दिए। घोड़ों से रोजी-रोटी कमाने वालों के भी चालान करवा दिए। ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में बनी है । ड्रग माफिया हावी होता जा रहा है। समाचार पत्रों में आया है कि कुल्लू में हेरोइन एन. एच. कोड वर्ड से बिक रही है। काला ने फैला रखा है काला साम्राज्य ,चिट्टा पन्नी के नाम से बिक रहा है नशा, हिमाचल में पाँव पसार रहा है नशे का कारोबार।

इन बसों के ऊपर कोई चैक नहीं है। मैं यहां पर बार-बार कह रहा हूं । प्राईवेट गाड़ियों को चैक किया जाता है। इन बसों के जो ड्राईवर प्राईवेट वाले हैं ,ड्राईवर और कन्डक्टर्ज हैं ये सारे का सारा धन्धा पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। दिल्ली तक नशा यहां से सप्लाई हो रहा है। हिमाचल की पुलिस कभी भी चैक नहीं करती है। ट्रेक्टर्ज का चालान करने के लिए तो पुलिस वहां देहरा के हनुमान चौक पर खड़ी होगी लेकिन जो ऐसी बसें जाएंगें, तीन-तीन बड़ी बसें इकट्ठी जाएंगी, उनको रोकने वाला

25/1220/08.2015.जेएस/एएस/3

कोई नहीं है। जरा चैक करिए कि उनमें जाता क्या है। यह जो ड्रग माफिया है यह हमारे बच्चों का भविष्य अधंकार में डाल रहा है। स्कूलों के नजदीक और मैंने बार बार कहा है कि एक नागणी चौक है। वहां पर एक मीट बेचने वाले की दुकान है। एक दिन वहां पर मैं उस दुकान के नीचे बाईचांस खड़ा हो गया मैंने वहां पर देखा कि बच्चे आए उन्होंने मीट तो नहीं लिया लेकिन कुछ मुट्ठी में लेकर चलते हुए आगे निकल गए। फिर मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा कि आप वहां पर जाओ और उससे कुछ ले कर आओ। वह वहां पर गया और उसको भी पूरे का पूरा अफीम का पैकेट दे दिया। मैं तो यह देख कर हैरान हो गया। नागणी चौक के ऊपर पालमपुर के रास्ते में और पूरे प्रदेश में यह धंधा चला हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह पूरे प्रदेश में धंधा फैला हुआ है। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। यह सारी की सारी कानून-व्यवस्था को खराब करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाईये।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी-----

/1225/25.08.2015केएस/एएस1/

श्री रविन्द्र सिंह जारी----

मुख्य मंत्री महोदय, इसके ऊपर अंकुश लगाने की आज बहुत आवश्यकता है। कानून व्यवस्था को खराब करने वाले जो लोग हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाइए। यही नहीं, प्रशासन की आँखे तब खुली जब धमाका हो गया। उस दिन तक सोए हुए थे। नाहन में गोला-बारूद का ज़खीरा पकड़ा गया। प्रशासन और पुलिस को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है? उस व्यक्ति का, उस परिवार का लाईसैंस एक साल पहले एक्सपायर हो गया था, जिसने वहां पर गन वगैरह का कारखाना लगाया हुआ था। उसके पास बरामद क्या होता है- रिहायशी क्षेत्र में 220 किलो छर्रे, तीन हजार कारतूस, चार टोपीदार बंदूके , हथियार बनाने की विदेशी मशीने, अत्याधुनिक कलपुर्जे, गन पाऊडर, सल्फर, कार्बन ऐसी विस्फोटक सामग्री उसके घर पर मिली। मुख्य मंत्री जी, वहां पर विस्फोट नहीं होता तो प्रशासन को तो पता ही नहीं लगता। आपकी पुलिस क्या कर रही है? दुसाड़ा में उस व्यक्ति को किराये पर दुकान नहीं दी तो उसने जबरदस्ती वहां जा कर धमाका कर दिया। हिमाचल में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है। डर नाम की कोई चीज़ नहीं है । ऐसे व्यक्तियों पर आप कैसे अंकुश लगाएंगें ? यह सब मिलीभक्ति के कारण होता है, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

इसी तरह से हमीरपुर में एक बच्चे को अगवा करने का प्रयास हुआ था और आज तक पता नहीं है कि वह बच्चा कहां पर है। हमीरपुर का छः साल का आदित्य नाम का लड़का गायब है और आज तक उसका कोई पता नहीं है। आप कहते हैं कि तथ्य दो लेकिन एक हो तो बताएं यहां तो हज़ारों ऐसे तथ्य मिल जाएंगें । हम तो केवल यहां पर उदाहरण दे रहे हैं। सरकार चुप्पी साधे बैठी है तो करें क्या? मुझे लगता है कि ढाई साल में आपने हमीरपुर के सात एस.पी. बदल दिए हैं। प्रशासन के अधिकारियों का कोई पता नहीं है। आज हम जब कोई नोट लिखते हैं और जब नोट भेजने की बारी आती है तो उस सीट के ऊपर कोई और अधिकारी बैठा होता है तो यह कैसे सुधरेगा? सभी को काम करने की जिम्मेवारी दो। सारे प्रशासनिक

/1225/25.08.2015केएस/एएस2/

अधिकारी अच्छे हैं लेकिन पता नहीं क्या बात है, आपका विश्वास रिटायरियों पर ज्यादा हो गया है? जो आपके पास विराजमान अधिकारी हैं, उनके ऊपर विश्वास करिए, उनको दिल्ली से वापिस बुलाइए, उनके अंदर विश्वास पैदा करिए। काम करने की उनके अंदर ललल जगाइए। अधिकारी यहां से क्यों दिल्ली जा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज़ है, यह आपको सोचना पड़ेगा। कानून व्यवस्था बहुत खराब हो रही है। मुख्य मंत्री महोदय, यह प्रदेश के लिए चिन्ता का विषय है और इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा।

मुख्य मंत्री जी, इसी तरह से एक वन माफिया राज है, मंत्री जी यहां से बाहर चले गए हैं, आपने धर्मशाला में जब यह मामला चला था तो उस समय आपने कहा था, यह आपकी स्टेटमैंट लगी है कि रिपोर्ट आने पर ज़ीरो टोलरेंस के तहत करूंगा कार्रवाई, इसमें मेरे परिवार का कोई सदस्य भी शामिल होगा तो नहीं बख्शूंगा, यह आपने कहा था। वन तो साफ कर दिए। चाहे तारादेवी का है या प्रदेश के अन्य भाग का है। आपकी स्टेटमैंट का अगला स्टैप क्या है, सुनिए ज़रा- अब तो इस विभाग के साथ मिलकर जो हिमाचल की बेशकीमती जड़ी बुटियां हैं, उनके ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, यह 26.06.2015 की बात है । यह पुलिस का सब इंस्पैक्टर पी.टी.सी. डरोह में लगा है। तीन खच्चरों पर भर कर नागछतरी नाम की जड़ी-बूटी वहां उतराला से ले कर बैजनाथ की ओर ले कर आ रहा था। उतराला में वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने उसको पकड़ लिया । पकड़ा और 10 मिनट के बाद यहां शिमला से फोन चला गया कि इसको छोड़ दो। उस सब इंस्पैक्टर का नाम पृथ्वी चंद है । तीन खच्चरों के ऊपर नागछतरी जड़ी-बूटी भरी हुई थी। मैंने आपको नाम तक दे दिया मुख्य मंत्री जी, अब तो इसकी जांच करो । 21 तारीख को मेरा इस सम्बन्ध में एक प्रश्न संख्या- 2195लगा था ,उसके जवाब में कहा गया कि कुल 60 किलो मिली जबकि यह 160 किलो है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

25.8.2015/1230/av/dc/1

श्री रविन्द्र सिंह ---जारी

जवाब दिया है कि कि कुल 60 किलोग्राम मिली है जबकि कुल 160 किलोग्राम है। मार्किट में उसकी कीमत 105 लाख रुपये है जबकि उन्होंने हजारों रुपये में बताई है। नाम किसका ले लिया? उस सब इनस्पैक्टर को बचा लिया क्योंकि वह रिश्तेदार है, उसको बचा लिया। हेम राज नामक व्यक्ति जो कि खच्चर का मालिक है उसके ऊपर केस बना दिया। यह क्या हो रहा है? मैंने आपको यह एक उदाहरण दिया है। ऐसे बहुत सारे केसिज हैं।

मुख्य मंत्री : आपके पास जो भी सूचना है उसको मुझे आप गुप्त रूप से दे दीजिए।। promise that I will take action. (---व्यवधान---) बताइए। आप ही नहीं है मैं सभी को बोलता हूं। You are public man. You will come to know.

श्री रविन्द्र सिंह : मुख्य मंत्री जी, मैंने धर्मशाला में सत्र के दौरान अध्यक्ष महोदय को पैन ड्राईव और सी.डी. दिखाई थी और उनके हवाले भी कर दी थी। मैंने आपसे कहा था कि प्रदेश में वनों की हालत बहुत खराब हो गई है। आपने अगर उस समय नियंत्रण किया होता तो प्रदेश में आज नागछत्री जैसी जड़ी-बूटियां बची रहती। मुझे मालूम है कि आपने उनको चैम्बर में बुलाया और वहां पर बड़ा डराया-धमकाया था। मगर है तो आपका खासमखास मंत्री न? आपकी उनसे रिजाईन मांगने की हिम्मत नहीं पड़ी। मंत्री बनने के बाद पिछले ढाई साल के कार्यकाल में वन विभाग की करोड़ों-अरबों की सम्पत्ति नष्ट कर दी।

मुख्य मंत्री : जब तक मामले की जांच नहीं होती किसी के ऊपर दोषा-रोपण करना ठीक नहीं है। आपने जो कहा उसके बारे में इनवैस्टिगेशन हो रही है। बर्फिला इलाका होने की वजह से पहले वहां पुलिस नहीं जा सकी। अब जाकर वहां पुलिस इत्यादि पहुंची है। They are investigating. Let the facts come forward. किसी के ऊपर बिना तथ्यों के आरोप लगाना सही नहीं है।

25.8.2015/1230/av/dc/2

श्री रविन्द्र सिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी, आप मुझसे भली-भान्ति परिचित है और मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित बात करता हूं। अगर मेरी एक बात भी झूठ निकल जायेगी तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मैंने आपको आज जो श्री पृथ्वी चंद, सब इनस्पैक्टर(डरोह) का नाम दिया है उसको पूछिए कि वह मौके पर था या नहीं था? मैंने आपको सी.डी. और पैन ड्राइव दीं, आपने उसको देखा क्यों नहीं? उस घटना को घटे एक साल का समय हो गया है, आपने उसकी जांच क्यों नहीं की है? आप उसकी जांच कब करेंगे? (---व्यवधान---) पकड़वाने वाला तो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। (---व्यवधान---) आप कहते हैं तो मैं इस बात को यहीं छोड़ देता हूं मगर प्रदेश में चोरी-डकैती के मामलों में बहुत वृद्धि हुई है। 'आए दिन कोई-न-कोई रिवॉल्वर की नोक पर लूट की कोशिश' तथा 'बिना नम्बर प्लेट और पर्दे की ऑटो'; यह ऊना का केस है। ऊना के केस से मुझे याद आ गया, उसके बारे में हमारे सहयोगी माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी भी अपने विचार रखेंगे। मगर कानून-व्यवस्था को खराब करने के लिए आप सभी को खुद ही उकसाते हैं और कहते हैं कि जिसको थप्पड़ मारना है उसको जाकर मारो। इस तरह से प्रदेश में कानून-व्यवस्था का क्या हाल होगा? आप इस बारे में खुद ही सोच सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें और तथ्य हम आपके ध्यान में लाये हैं। इसी तरह से आई.आई.टी. (मण्डी) का केस है। वहां पर बाउंसर कहां से और कैसे आ गये? फिर उनको उपचार के लिए पी.जी.आई. ले गये। पी.जी.आई. को छोड़कर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने की परमिशन उनको किसने दी? वे वहां से भाग खड़े हुए और उनका आज तक पता नहीं है कि वे कहां हैं। (---व्यवधान---) आप (माननीय परिवहन मंत्री जी को कहा।) ऐसे मत बोलिए, अगर कोई तथ्य है तो आप बताइए। उपाध्यक्ष महोदय, हम इस तरह से आपके समक्ष सारी बातें लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में जो चोरी और डकैती का हाल है वह आपके समक्ष है। (---घण्टी---) मैं अब काफी नज़दीक पहुंच गया हूं। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन

25.8.2015/1230/av/dc/3

अधिकारियों ने जो डराना-धमकाना शुरू किया है जैसे मैंने पहले कहा कि एक तो ये पुलिस अधिकारी हो गये हैं। दूसरे भरमौर में; अभी मुख्य मंत्री जी बाहर चले गये हैं। भरमौर में एक लोक निर्माण विभाग के ऐक्सियन पहले प्रमोट होकर शिमला आए और बाद में उनको दोबारा भरमौर ट्रांसफर कर दिया। वहां रैस्ट हाऊस में बैठकर अपने गुर्गे भेजकर उसके ऊपर प्रैशर डलवा दिया और कहा कि उससे पैसे भी ले लो और जो काम करवाना है, करवाइए। उससे डी.एन.आई.टी. इत्यादि जो कुछ बनवाना है; बनवाइए। मगर उस ऐक्सियन ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने जिन्दगी में न तो कभी ऐसा काम किया है और न ही करूंगा। आपने जो करना है; करिए। उसको दफ्तर में तीन घंटे तक बंद रखा गया। जब उसने उनके कहने के अनुसार काम नहीं किया तो उसने वहां पर त्याग पत्र लिख दिया। मैं यहां शिमला में कमेटी की मीटिंग के लिए आया था। मुझे वहां से ट्राइबल मोर्चा के अध्यक्ष श्री जीया लाल का फोन आया कि यह आपके वहां से ऐक्सियन है------------

श्री टी सी वर्मा द्वारा जारी

/1235/25.08.2015टीसी/डी0सी1/0

श्री रविन्द्र रवि---------जारी

आपके वहां पर एक्सियन है और उनको यहां पर रिज़ाईन करने को कहा हैं। मैंने कहा मेरी उनसे बात करवाओ ,मेरी बात हुई मैनें कहा कि त्याग-पत्र आप नहीं देंगे। आप वहां पर छुट्टी देकर वापिस आईये। वह छुट्टी देकर वापिस आये। पीछे से उन्होंने उनके ऑर्डर ऊना के लिए कर दिए और वह आजकल ऊना में है। ऐसे -ऐसे जेबों से पैसे निकालना, ये कानून व्यवस्था खराब करने की बातें नहीं हैं तो और क्या है। ये सारी स्थिति उपाध्यक्ष महोदय सारे प्रदेश में डवैल्प हो रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन सारे तथ्यों को जो हमने सामने रखें हैं, इनको मध्यनज़र रखते हुए ऐसे ईमानदार ऑफिसर्ज़ जो अपने अन्दर प्रदेश में काम करने की ललक रखते हैं, उनको आगे लाईये। ऐसे अधिकारी जो केवल मात्र चमचागिरी के सिवाए कुछ नहीं करते, उन पर लगाम लगाईये। ताकि कानून

व्यवस्था प्रदेश की सुधरे और पूरे देश के अन्दर हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हों । ऐसा मैं यहां पर सदन में कहना चाहता हूँ, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

समाप्त ।

/1235/25.08.2015टीसी/डी0सी2/0

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्यमंत्री) :उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर दोनों तरफ से 22 गिरफ्तारियां हुई है।

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत जो चर्चा माननीय रवि जी ने शुरू की है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । हिमाचल प्रदेश जैसा शान्तिप्रिय प्रदेश, जहां हम पूरे देश में भी घूमकर आ जाते हैं तो वास्तव में लगता था कि हिन्दुस्तान के अन्दर कोई शान्तिप्रिय प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश है। ऋषियों-मुनियों की इसको धरती कहा गया है। लेकिन आज हमारे पड़ोसी राज्य आतंकवाद की चपेट में हैं । आजादी के बाद ही जम्मू-कश्मीर के अन्दर पाकिस्तान की गतिविधियां शुरू हो गई थी। आज भी जम्मू-कश्मीर के अन्दर उग्रवादियों के आक्रमण हो रहे हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जड़े जमाए हुए हैं । वहीं हमारे साथ लगता पंजाब भी काफी समय तक आशांत रहा। लेकिन हाल ही में उधमपुर की जो घटना फिर से घटित हुई, ये मात्र विषय पंजाब व जम्मू-कश्मीर का नहीं है। ये जो आतंकवाद है इससे आज पूरा देश विदेशी ताकतों के निशाने पर हैं। इसमें हमारी सजगता बहुत जरूरी है । माननीय उपाध्यक्ष जी ऐसी घटनाएं अब हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी घटित होने जा रही है और घटित हुई है। लेकिन आज भी सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था की स्थिति के ऊपर नहीं है। आज ऐसा लगता है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर घण्डावल में 2 जुलाई को वहां पर अजय नाम का लड़का जो दुकान करता था । कई दिनों से, कई वर्षों से उसकी अपने मकान मालिक से खटपट चल रही थी और यह

केस माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन था । लेकिन अचानक 2 जुलाई की रात को अढ़ाई बजे उसकी दुकान में बहुत बड़ा विस्फोट होता है। उस विस्फोट से 40 फुट तक उसकी दुकान के शटर उड़कर गये । विस्फोट से जो शटर उड़े, साथ में नेश्नल हाईवे हैं, बहुत बड़ी सड़क है। लेकिन रात्रि होने के कारण वहा पर ट्रैफिक नहीं था। जिसके कारण बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची। उस अजय शर्मा का लाखों

/1235/25.08.2015टीसी/डी0सी3/0

रूपये का नुकसान हुआ। पुलिस कुछ हरकत में आई और थोड़ी बहुत गिरफ्तारियां हुई । बाद में फौरेंसिक के अधिकारी भी मौके पर आये और इस घटना की जांच-पड़ताल की। हमने बार-बार प्रशासन से अनुरोध किया कि उसमें कहीं कोई कैजुअल्टी होती तो शायद वह बहुत बड़ा घटनाक्रम वहां पर घटित हो जाता। लेकिन भगवान का शुक्र था कि वहां पर कोई घटना नहीं घटी। ----

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी-

25.08.2015/1240/NS/AG/1

श्री वीरेन्द्र कंवर------क्रमागत

लेकिन भगवान का शुक्र था कि वहां पर कोई घटना नहीं घटी और उसकी जो संगीनता है वहां पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। थोड़े दिनों बाद उसकी जो सी.एफ.एस.एल. की रिपोर्ट आती है और कहते हैं कि वह लाइफ एक्सप्लोसिव था। कोर्ट उनको छोड़ देती है लेकिन सरकार ने उस विस्फोट की गंभीरता को नहीं समझा। आज तक भी वह रहस्य का रहस्य बना हुआ है। हमारा किसी समुदाय के ऊपर आरोप नहीं है लेकिन आतंकवाद तो आतंकवाद है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि आज तक उसमें क्या कार्रवाई हुई

अगर वह लाइफ ऐक्सप्लोसिव था तो वहां पर उसको किसने प्लांट किया। आज तक उसकी जांच क्यों नहीं हो सकी? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप इसकी गम्भीरता को समझिए। आप वोटों की चिन्ता मत कीजिए कि आपको एक समुदाय के वोट नहीं मिलेंगे। आप उसमें राजनीति करना बंद कीजिए। आप वोटों की राजनीति मत कीजिए। उसकी जांच या तो एम.आई.एस. से होनी चाहिए या फिर सी.बी.आई. जांच करें ताकि 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो जाए। आतंकवादी जो भी है , जिसने भी वह विस्फोट प्लान किया है उसे पकड़ना अति आवश्यक है। आज ऐसी ही घटना और घटित हो रही है। दुसाड़ा के साथ ऐसी ही घटना जिसका ज़िक्र माननीय श्री रवि जी ने भी किया है कि नाहन में 15 अगस्त, 2015 को शमशेर जंग मोहल्ले में हथियारों का बहुत बड़ा जख़ीरा पकड़ा गया। उसमें भी मात्र थोड़ी गिरफ्तारियां हुईं लेकिन उसकी तह तक नहीं पहुंचा गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर मात्र यही घटनाएं घटित नहीं हो रही हैं। अभी दो दिन पहले लोहारा के जंगलों में प्रदेश के बाहर से आए पर्यटक खुले आम हथियार लेकर घूम रहे हैं। वहां पर वे फायरिंग कर रहे थे। लोगों ने यह सूचना पुलिस को दी। उसके बाद ऐसी ही घटना चौकीखास के पैट्रोल पम्प की है वहां पर रात को 10.30 बजे अज्ञात हमलावर आए ओर उन्होने पैट्रोल पम्प का लूटा। समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात

25.08.2015/1240/NS/AG/2

हुआ कि 3.50 लाख रूपये जो कि कैश इन हैण्ड था लूटकर ले गए। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उनको पकड़ा लेकिन छोटे से सिक्योरिटी बाण्ड के ऊपर उनको छोड़ दिया जाता है। उसके ऊपर पंचायत स्तर की सुनवाई का केस किया जाता है। उनसे तेजधार हथियार बरामद होते हैं। मान्य उपाध्यक्ष जी, यह तो मैं सिर्फ ऊना जिला की बात कर रहा हूं कि आज ऊना ज़िला की हालत क्या हो गई है। आज बैंक वाले ऊना में ए.टी.एम. की सुविधा देने से कतरा रहे हैं। वहां पर 6-6 ए.टी.एम. लूटे गए हैं। पुलिस बेखबर है। बैंकों के अंदर/बाहर गिरोह बैठे हैं । जो लोग पैसा निकाल कर जाते हैं उनको लूट लिया जाता है। गाड़ियों से पैसे निकाल लिए जाते

हैं। रक्कड़ कलोनी जो कि ऊना का मुख्यालय है वहां पर एक रात में 6 चोरियां होती हैं। कोई चोर पकड़ा नहीं जाता है। आज ऐसी परिस्थितियां ----

श्री नेगी द्वारा जारी ---------

25.08.2015/1245/negi/ag/1

श्री वीरेन्द्र कंवर .. जारी...

आज ऐसी परिस्थितियां ऊना जिला के अन्दर पैदा हो गई हैं। पता नही क्या कारण है जब माननीय मुख्य मंत्री जी ऊना के दौरे पर जाते हैं तो माफिया और सक्रिय हो जाते हैं। जिन्दाबाद के नारे लगाने वाला ड्रग माफिया होता है और रेत माफिया होता है । लेकिन पिछले दिनों वहां पर जो मामले घटित हुए हैं आज तक उनका पता नही चला। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं, 2 वर्ष पहले नकडोह गांव में जो कमांडो ट्रेंड था, उस फौजी की डेड-बॉडी मिली लेकिन आज तक उस केस में कोई पकड़ा नही गया। गांव करलोई में डेढ़ वर्ष पूर्व 1 0साल की बच्ची से रेप होता है लेकिन आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। ....(व्यवधान) ..ढ़ाई साल हो गये तो आपकी सरकार के समय में हुआ है। आप (श्री राकेश कालिया) बैठ करके मत बोलिये। अगर आपने बोलना हो तो बाद में बोलिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, गारवी खड्डु में एक युवक की लाश मिली जिसको बुरी तरह से नष्ट किया गया था ,जो उसका गुप्तांग था वह भी काट दिया गया था। लेकिन आज तक उस अपराध करने वाले का कोई पता नही चला। पिछले कल ही जोल में 10 वर्ष की हरिजन लड़की के साथ रेप होता है । हमें तो ये सारी जानकारियां समाचार-पत्रों के माध्यम से मिल रही हैं। आपके पास पुख्ता जानकारियां हैं। लेकिन क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई हो पाती हैं? अगर आपके पास इतने एक्सपर्ट अधिकारी हैं तो आप क्यों नही उनका प्रयोग करते हैं ? गुरदासपुर जैसी घटना अगर कहीं हिमाचल प्रदेश के अन्दर हो जाए तो भगवान ही उसका मालिक होगा। मैं पंजाब की पुलिस को धन्यवाद करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मिलिट्री की सेवाएं लेने से इन्कार किया और पंजाब पुलिस ने अपने आप जो वहां पर

अटैक हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई की । आज हमें हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी ऐसी व्यवस्था कायम करनी है। आज इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं जिसको बाद में यह कह करके कि यह अनट्रेस्ड हैं, पुलिस अपनी जान छुड़ा लेती है। हमें इनके ऊपर गम्भीरता से कार्रवाई करनी चाहिए।

25.08.2015/1245/negi/ag/2

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा सरकार से अनुरोध है कि आज हम अपनी चिन्ता न करते हुए आगे आने वाली पीढ़ियों की चिन्ता करें। आज जहां पंजाब ड्रग्ज़ के प्रभाव में आया है वहां आज हमारा प्रदेश भी धीरे-धीरे पूरी तरह से पंजाब बनता जा रहा है। आज ऊना के अन्दर शरेआम, मैं तो कहता हूं कि पिछले ढ़ाई-तीन वर्षों के अन्दर किसी को कोई रोक नहीं है। जिसको रेता बेचना है रेता बेचे। जिसको शराब बेचनी है, शराब बेचे। जिसको ड्रग्ज़ बेचनी है वह ड्रग्ज़ बेचे। लेकिन पार्टी की जिन्दाबाद होनी चाहिए। यह प्राथमिकता आज बन गई है। आज यह प्राथमिकता नही होनी चाहिए। हमने अपने देश की भविष्य के बारे में सोचना है। पिछले दिनों डगोली के पास एक दवाइयों का ज़खीरा पकड़ा। सरकार ने सी.आई.डी. को उसकी जांच सौंप दी। जब सी.आई.डी. उसके तय तक पहुंचने वाला था और बहुत सारी अरैस्ट्स हो रही थी तो उस जांच को वापिस ले लिया। आज उनके हौंसले और बढ़ गए हैं। आज ऊना का हर तीसरा नौजवान ड्रग की चपेट में है। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी यह बीमारी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मेरा निवेदन रहेगा..

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

25/1250/08.2015.यूके/एएस1/

श्री -वीरेन्द्र कंवर-जारी----
मेरा निवेदन रहेगा कि आप इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे ताकि आने वाला हमारा जो भविष्य है वे इस ओर न जाए। मेरा और भी सरकार के ऊपर आरोप है और वह है खनन माफिया का। आज पंजाब ने खनन के ऊपर पॉलिसी ली है कि अगर वहां खनन, वहां का रेता, बजरी बाहर के प्रदेशों में जाएगा तो भारी भरकम उसके ऊपर वे पैनल्टी लगाएंगे। लेकिन आज हम हिमाचल में नहीं लगा रहे हैं। अगर हम रात को देखें तो हमारे खड्डों की क्या हालत होती है, उसके कारण हमारी सड़कें खराब कर दीं। बड़े-बड़े टिप्पर, बड़े-बड़े डम्पर की एक लाईन लगी होती है लेकिन पकड़े कौन जा रहे हैं? जैसा कि रवि जी कह रहे थे खच्चर वाले और ट्रैक्टर वाले और मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो और भी आंतक है। (व्यवधान) नहीं बड़े-बड़े नहीं पकड़े जाएंगे। क्योंकि बड़े- बड़ों को बचाने की आपकी (वन मंत्री की ओर इशारा करते हुए) आदत है।(व्यवधान) आपके टाईम में ऐसा हुआ है।

वन मंत्रीः आपके टाईम में बड़े-बड़े पकड़े गए।

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय मंत्री जी आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, पहले आप उनका जवाब दो। ये बीच में इन्टरप्ट मत करो। आपने क्या जवाब देना, आप तो स्वयं उसमें संलिप्त हैं। (व्यवधान)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक प्लाटा कोपरा वाटर सप्लाई स्कीम है, वह 12-12 घंटे चलती थी। लेकिन खनन माफिया ने वहां से रेता, बजरी उठाया, उसमें वहां के जो स्थानीय कांग्रेस के नेता है, उनके बेटे सम्मिलित हैं। मैने जिलाधीश महोदय के पास शिकायत की, मैने उनको पांचों के नाम लेकर दिए कि कम से कम भगवान के नाम पर आप प्लाटा कोपरा स्कीम 4 घंटे चल रही है कि कम से कम उसे ही आप प्रोटैक्ट करिए। अभी मैं अपने घर बाद में पहुंचा और वहां पर, जिनके ट्रैक्टर थे, जिनके नाम मैं दे कर आया था, वह सूचना उनको पहुंच गयी। जो वहां थाना है, उसके बाहर का सारा का सारा रेता वहां से उठा लिया जाता है। कौन लोग हैं वो? सिर्फ 5-6 लोग हैं। जिसके कारण जो ट्राली आपको 600-700 रुपए में मिलती थी, माननीय मुख्य मंत्री जी, 600-700 रुपए की ट्राली मिलती थी, आज वह ट्रॉली हमें

25/1250/08.2015.यूके/एएस/2

4-4हजार रूपए की मिल रही है और बाद में वहां पर प्रशासन और उन नेताओं की मिलीभगत हुई, उन्होंने कहा कि सारे ट्रैक्टर वाले एक-एक हजार रूपया दो, सारे ट्रैक्टर वाले एक-एक हजार रूपया जमा करवाओ फिर आप दिन को भी और रात्रि को भी ले जा सकते हो। फिर एक-एक हजार रूपया जिसका जमा हो जायेगा उसकी 50-50 रूपए की पर्ची काट दी जाएगी। गुंडा-टैक्स ले लिया जायेगा। मैं यह तथ्य यहां पर सदन में रख रहा हूं, टेबल पर ले(Lay) कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ये देखिए, आपके नेताओं के हाल, गुंडा टैक्स लिया जा रहा है कुटलैहड़ के अन्दर। जिनको आप मकरझंडु कहते हैं। वे मकरझंडु आजकल गुंडा-टैक्स ले रहे हैं, 50- 50रुपए की पर्ची और एक-एक हजार रूपए की सिक्योरिटी। मैं इसको सदन में ले (Lay)कर रहा हूं। आज यह परिस्थिति पूरे प्रदेश के अन्दर बनी हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी यदि सुन रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। मैं उसके फिगर्स एंड फैक्ट्स भी दे रहा हूं। ऊना से ले कर के भू-माफिया। जो ऐक्सप्रैस्स हाईवे है, ऊना से लेकर लठाणी तक। आप निष्पक्ष जांच करवाइए और वहां पर देखिए कि भूमि के ऊपर जिसने 11 मरले खरीदी है उसने 11 कनाल का कब्जा और जिसने दो कनाल भूमि खरीदी है, उसने 20 कनाल का कब्जा किया हुआ है और ये हैं कौन? आपके बड़े-बड़े कांग्रेस के नेता। कभी एक को टिकट देते हैं तो कभी दूसरे को टिकट देते हैं। आजकल एक और मकान बन रहा हैं वहां पर मैं रेवेन्यू मिनिस्टर जी के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि यहां पर 20 मीटर जगह सरकारी, उसके पीछे वहां पर ,खुराड़ी के पास, जोगी पंजा के पास एक बिल्डिंग बनी है, 8 कमरों की बिल्डिंग बनी है और उस बिल्डिंग के आगे पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को गिरा दिया। मर गया मैं तहसीलदार को बोल के ,नायब तहसीलदार को बोल के, जिलाधीश को बोल कर के और यहां सरकार को भी लिख कर के दिया लेकिन कोई कार्रवाई नही होतीं।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

25.08.2015/1255/SLS-AS-1

श्री वीरेन्द्र कंवर... जारी

कोई कार्रवाई नहीं। सभी को लूट की छूट दे रखी है। क्या हिमाचल ऑन सेल है? जब पिछली बार आप वैल ऑफ द हाऊस के बीच में जाकर गीत गाते थे ,उस समय आप तो कोई घटना सामने नहीं ला पाए। मैं आपको अपने कुटलैहड़ की घटना बता रहा हूं। कहीं किसी गरीब आदमी ने अगर ऐन्क्रोच किया, उसके तो आपने सेब के बगीचे ही काट दिए; पानी और बिजली के मीटर काट दिए। लेकिन आज ऐसे माफिया हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई है। हमारा काम मात्र आरोप लगाना नहीं है कि हम सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और मुख्य मंत्री जी उठेंगे, उनका जवाब देंगे कि आपके समय में इतने मामले हुए और हमारे समय में इतने हुए हैं। यह कम-ज्यादा की बात नहीं है। बात यह है कि जो विस्फोट की घटनाएं हुईं; मेरे गांव घंडावल में हुईं और जैसा जखीरा नाहन में पकड़ा गया, क्या आप इसकी जांच एन. आई. ए. से करवाएंगे क्योंकि हमारी अपनी लैब इतनी सक्षम नहीं है? इतना बड़ा विस्फोट हुआ और आप इसको लाईट विस्फोट की बात कर रहे हैं। भगवान् न करे, जिस तरह से वह शटर सामने के सफेदे के बीच में जाकर घुसे, अगर उस समय एच.आर.टी.सी. की बस उस सड़क से गुजरती तो उस बस में 20-30 लोग मारे जाते। यह जो इतने बड़े विस्फोट और इतने बड़े अपराध हुए हैं ,इनके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि आने वाले समय में ,भगवान् न करे, अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है या इससे बड़ी घटना घटित होती है, क्या हम उससे निपटने के लिए तैयार बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। जिस तरीके से आज प्रदेश के अंदर वन माफिया है, उससे निपटने की ज़रूरत है। खैर बताए जाते हैं इस तरफ के और काटे जाते हैं उस तरफ के। वन मंत्री जी यहां बैठे हैं। इनके कितने अधिकारी हैं जो पेड़ कटने के बाद मौक़े पर जाते हैं और यह देखते हैं कि जो कटान हुआ है वह सही हुआ है या गलत हुआ है। वन विभाग के अंदर आज ऐसी अनेकों कमियां हैं। पिछले दिनों पी.ए.सी. की मीटिंग में मेरी भी बात हुई तो मैंने बहुत सारी कमियां

25.08.2015/1255/SLS-AS-2

बताईं। यहां जंगलों के जंगल खाक कर दिए गए और अब वहां पर बूटी पैदा हो रही है।

(माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह सारी बातें सदन के ध्यान में लाया हूं। सरकार इस बात को गंभीरता से ले। मैं इसकी कॉपी सदन में इस उम्मीद के साथ ले कर रहा हूं कि आने वाले समय में सरकार सक्षम हो और इस तरह की घटनाएं कम घटित हों; हिमाचल प्रदेश में जहां ड्रग माफिया, रेत माफिया और भू माफिया सक्रिय है , सरकार उनके ऊपर उचित कार्रवाई करे।

आपने समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

Speaker: It is time for lunch now.

अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

25/08/2015/1405/RG/DC/1

विधान सभा की बैठक दोपहर के भोजन के पश्चात पुनः आरम्भ हुई।

अध्यक्ष : मैं प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि अभी पीछे माननीय सदस्यों ने यहां पर जो अपनी बातें रखी हैं ,मैंने सुना है कि उसमें कुछ अधिकारियों के नाम भी लिए गए हैं। चर्चा के दौरान किसी अधिकारी का नाम लेना या उसका नाम लेकर जो यहां डिफेंड न कर सके ,it is not proper. किसी का नाम लिया, तो expunge those names of the Officers who have been named.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि नाम बताइए। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पूरे तथ्य बताओ तब मैं जानकारी लेकर जांच करुंगा और कार्रवाई करुंगा। जब नाम नहीं बताएंगे ,तो जांच क्या करेंगे?

Speaker: That is for the administration. सदन में आप नाम नहीं ले सकते। जो अपने आपको डिफेंड न कर सके ,उसका नाम हम यहां नहीं लेंगे।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : नहीं-नहीं, तो फिर जांच क्या हुई?

अध्यक्ष : आप जांच के लिए अलग से मुख्य मंत्री जी को कहिए कि जांच करें।

मुख्य मंत्री : कहने का मतलब यह है कि आप लिखकर दीजिए।
प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, फिर सरकार क्या काम कर रही है? अगर सब कुछ हमने ही जांच करनी है ,हमने ही सारा कुछ लिखकर भेजना है।

Speaker : Dhumal ji, this matter can be solved with the Government. आप इसको गवर्नमेंट से टेक अप करिए। लेकिन सदन में तो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : विधान सभा में हमारे जो माननीय सदस्य बोल रहे थे।

अध्यक्ष : जब तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई प्रूफ न हों तब तक उसका नाम लेना अच्छा नहीं है। मैं सुन रहा था, तो it was wrong on the part of the Hon'ble Members to take name of anybody who cannot defend himself.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : आप थोड़ा सुन तो लिया करें। अध्यक्ष महोदय, जब कोई सदस्य अपनी बात कहने के लिए खड़ा होता है ,तो आपसे इजाज़त लेकर ही अपनी बात कहने के लिए खड़ा होता है। हम ऐसे तो बोलते नहीं हैं और अगर आप ही चुप नहीं होंगे, तो हम कब बोलेंगे?

अध्यक्ष : नहीं, आप बोलिए, उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।

25/08/2015/1405/RG/DC/2

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : तो फिर मुझे बोलने दीजिए, उसके पश्चात आपको जो रुलिंग देनी है, अपनी रुलिंग दीजिए।

अध्यक्ष : बोलिए।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : हमारे माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तब उन्होंने नाम नहीं लिया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि पूरी जानकारी दो, नाम सहित जानकारी दो, तब मैं उस पर कोई कार्रवाई करुंगा। जनरल या अस्पष्ट बात मत करो और स्पेसिफिक इनफॉरमेशन तो स्पेसिफिक नाम लेकर ही होगी और जिसका नाम लिया गया ,वह आपके ध्यान में भी है। अध्यक्ष महोदय, क्या आपने इनको लिखकर दिया?

अध्यक्ष : धूमल साहब, 2-3 लोगों के नाम लिए गए ,मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में नागछतरी की स्मगलिंग की जो घटना है और आपके पास ही हुई है। तो क्या अध्यक्ष महोदय, आपने लिखकर दिया? क्योंकि आपका भी उतना ही दायित्व है ,विधायक तो आप भी हैं, जैसे हम हैं। इसलिए अगर किसी ने जानकारी दी है, तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो आदमी स्मगलिंग करे उसका नाम नहीं लेना ,उसको चेयर प्रोटैक्शन देगी? यह कहां का नियम है?

अध्यक्ष :अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ कहा है कि अगर आप बताएंगे, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करुंगा, तो that is an administrative action in the Government, not in the Hon'ble House. मुख्य मंत्री महोदय, यहां सदन में तो ऐसा कोई ऐक्शन ले नहीं सकते।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, क्रिमीनल्ज़ के नाम लिए जाते हैं। किसी ने क्राईम किया इसलिए कहा गया। कल को लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति किसी को यह कह दें कि आप दाऊद इब्राहिम का नाम क्यों ले रहे हो? इसलिए जो ऐसा काम कर रहे हैं उनका नाम तो लेंगे ही।

अध्यक्ष : धूमल साहब, मेरा कहना यह है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : आप जो कहना चाहें, वह कहिए महाराज।

25/08/2015/1405/RG/DC/3

अध्यक्ष : मैं फाइनली यह कहता हूं कि जिसका नाम लिया जाता है उसके विरूद्ध प्रूफ भी चाहिए। You must submit the proof that some officer has done so. अगर आप नाम लें और आपके पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं है, तो उसका नाम लेने का क्या फायदा? एक और बात है कि नियमों के अन्तर्गत you can't name the persons who cannot defend themselves here.

डी.सी. द्वारा अंग्रेजी

25/08/2015/1410/MS/DC/1

अध्यक्ष जारी----------

तो किसी ऑफिसर का नाम लेना ठीक नहीं है। As a matter आप बोलिए लेकिन don't name anybody.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि आप भी नियमों को पढ़ लिया कीजिए। बस यही प्रार्थना है, आप भी नियम पढ़ें।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, आप व्यवस्था दे रहे हैं लेकिन जैसे बार-बार हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जब तक मैं बोल रहा था, उस समय तक मुझे लगता है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी सीट पर खड़े होकर यह कहा कि आप तो ऐसे ही कैसे पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप नाम बताइए। उसके बाद नाम लिए गए। इसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम लिए जो प्रदेश में नाग छतरी की स्मगलिंग कर रहे हैं। नाग छतरी जो एक जड़ी-बूटी होती है। इन जड़ी-बूटियों का ज्ञान महेश्वर सिंह जी को काफी है। वन मंत्री जी को पता नहीं यह ज्ञान अब आने लगा है या इनको पहले से इसके बारे में ज्ञान है क्योंकि यह भी जन-जातीय भाई है। जब मुख्य मंत्री जी ने कहा तब हमने नाम लिया।

मुख्य मंत्रीः मैंने कहा था कि आप मुझे सूचित कीजिए ,मुझसे कहिए। इसका मतलब यह थोड़े ही था कि अभी कहिए। They can meet and tell me during the lunch break and they can meet out of the House.हाउस के अंदर नाम नहीं लिया जा सकता।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदन के नेता ने सही कहा और मैंने यहां पर दो पत्रों को कोट किया है। जो मैंने अपने दो डी0ओ0 नोट डी0जी0पी0 साहब को छः महीने पहले लिखे थे, अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। एक नहीं बल्कि दो पत्र लिखे। (व्यवधान) आप सुन लिया करें, मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा है। मुख्य मंत्री जी ने भी यही कहा है कि वहां नाम दे दो, यहां नाम दे दो। हम

25/08/2015/1410/MS/DC/2

ने नाम दिए कि वहां पर दो लड़कों का मर्डर हो गया। उसके लिए बाकायदा दो डी0ओ0 नोट लिखे हुए हैं। आज तक उनका कोई पता नहीं और न ही मुझे जवाब आया है। जब हम लिखकर देते हैं तो जवाब आता नहीं है और जब हम यहां कहते हैं तो आप कहते हैं कि उनका नाम लेना नहीं है। यह आपकी रूलिंग थोड़े ही है।

अध्यक्षः आप बैठिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस ऑफिसर का नाम लिया गया है और कहा गया कि फलां जगह गया है, फलां ऑफिसर गया है, उसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है। We should not speak that.

श्री रविन्द्र सिंहः हमने किसी का नाम नहीं लिया है।

अध्यक्षः लिया है, आपने कहा है। आपने वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में बोला है। उनके बारे में आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। जो चिट्ठी का जवाब आया , उसमें उनका नाम रिकॉर्ड में है। मैंने यहां पर चिट्ठियां ले की हुई है।

श्री रविन्द्र सिंहः जो चिट्ठियों का जवाब आया ,उनमें उनका नाम रिकॉर्ड में है। मैंने चिट्ठियां यहां ले (lay)की हुई हैं।

Speaker : And more over they have right to defend themselves.किसी के बारे में कोई बात करनी है तो उसको डिफेंड करने के लिए.....

श्री सुरेश भारद्वाजः अगर ऑफिसर के खिलाफ नहीं बोलना है तो फिर यहां आने का हमारा क्या मतलब रह गया?

अध्यक्षः जो आप कह रहे हैं उसका प्रूफ दीजिए। आप कहते हैं कि कोई ऑफिसर गया है तो उसका प्रूफ तो दीजिए।

25/08/2015/1410/MS/DC/3

श्री रविन्द्र सिंहः यह चिट्ठी जिसके बारे में हम बार-बार कह रहे हैं। वैसे यह ले कर दी है। क्या मैं इसे आपको पढ़कर सुनाऊं? अध्यक्ष जी, मैं इस चिट्ठी को पढ़कर सुना देता हूं।

अध्यक्षः कोई भी मैम्बर किसी ऑफिसर के अंगेस्ट कोई एलीगेशन लगा दे, तो यह कोई बात नहीं है। आपको प्रूफ भी देने चाहिए।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, यह तथ्य है जो आपने कहा। मैंने समय रहते ऑथेंटिकेट करके इसको सदन में ले (lay)कर दिया है। अब आप बार-बार कह रहे हैं तो मैं इस चिट्ठी को पढ़कर सुना देता हूं। अब आप सुन लीजिए। जिसके बारे में चर्चा की है। मेरा निवेदन है कि इस चिट्ठी को पढ़ने में 10-12 मिनट लगेंगे।

अध्यक्षः किस चीज के लिए समय लगेगा। क्या है ये कागज?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, इन कागजों को पढ़ने के लिए। आप ही कह रहे हैं कि कुछ ऑथेंटिक हो। ये ऑथेंटिक हैं।

Speaker: You cannot read it, आप रखिए। पहले मैं इनको स्टडी करूंगा कि ये क्या हैं। What is this paper? Show me the paper.

श्री रविन्द्र सिंहः ये पेपर्ज वही हैं जो आप कह रहे हैं कि कोई ऑथेंटिकेट है, तो यह चिट्ठी है। यह उस ऑफिसर की चिट्ठी है।

अध्यक्षः आप इसको टेबल पर ले कीजिए फिर मैं देख लूंगा कि यह क्या है। You cannot read it off-hand.आप कोई कागज ऑफ हैंड नहीं पढ़ सकते। पता नहीं इसमें क्या लिखा है। I can't allow this. यह तो गलत बात है कि आप जो पेपर लाए हैं उनको ऐसे ही यहां पढ़ना शुरू कर दें। ऐसी बात नहीं होती है। You have to lay the paper on the Table and then I will discuss it.

25/08/2015/1410/MS/DC/4

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, जो आप रूलिंग दे रहे हैं और जो मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। धन्यवाद आपका।

अध्यक्ष श्री जे0के0 द्वारा------

25/1415/08.2015.जेएस/एजी/1

Speaker: **<u>I have ordered the expunction of the</u>** <u>names</u> **<u>of the officers which have been mentioned here.</u>**

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात आपके ध्यान में लाई थी वह नियम के तहत थी । आप कह रहें हैं कि यहां पर नाम मत लो । मुख्य मंत्री को, सम्बन्धित मंत्री को या अधिकारियों को लिख दो।

अध्यक्षः किसी का नाम लेना और उसके बारे में आपके पास प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ है तो आप नाम लीजिए और अगर प्रूफ नहीं है तो उसका नाम नहीं ले सकते हैं। प्रोसिज़र जो है वह यह है कि the officers cannot be named here who cannot defend themselves.

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे हाथ जोड़ कर इसीलिए निवेदन किया कि आप भी नियम पढ़ लो। जब आप किसी सदस्य को बोलने की अनुमति देते हैं तो उसकी बात सुन लिया करो। दूसरी बात, जो पत्र लिखे जाते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से पौने तीन साल में मेरे दो पत्रों की एक्नॉलेजमैंट आई है। हजारों पत्र लिखे होंगे। किसी को कोई एक्नॉलेजमैंट नहीं आती । कोई अधिकारी लिख कर आपको दे दें जिन्होंने हमारे पत्रों पर एक्शन करके कुछ बताया हो । हाऊस में अगर आप एम.एल.ए. का राईट प्रोटैक्ट नहीं करेंगे तो जो लोगों की ग्रीवेंसिज होती हैं, जिनको हम रिप्रैजेंट कर रहे हैं, किसी का जिक्र श्री रविन्द्र सिंह जी ने किया है और आप नाम की बात कर रहे हैं। अधिकारियों का नाम मत लो। .....(व्यवधान) ......आपने सर, आज क्या खाया है?

Chief Minister: Are you (Shri Rikhi Ram Kaundal) threatening to the Speaker? You have been Deputy Speaker yourself. आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते I (Interruption) He is the Leader of

25/1415/08.2015.जेएस/एजी/2

the Opposition. He can look after himself. He doesn't require your intervention. (Interruption)

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन आपसे यह है कि बाहर यह मज़ाक बन रहा है। एक बार यहां वॉक आऊट एक्सपंज हो गया।

अध्यक्षः वॉक आऊट एक्सपंज नहीं किया। यह गलत बात है। I have not expunged the walk-out.

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय आपने नहीं किय ,आप मेरी बात पूरी सुन लिया करें। आप रिएक्ट बड़ी जल्दी करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपने खाया क्या है आप ऐसा कुछ तो खाते नहीं है? एक बार स्पीकर ने ऑर्डर कर दिया कि I expunge the walk-out. ठीक है, लेकिन वह स्पीकर कोई और थे। लेकिन मैंने

कहा कि आपके इस तरह के निर्णय भी अगर दोषी लोगों का नाम रिकार्ड पर नहीं लाया जाएगा तब चर्चा अधूरी रहेगी और फिर आप कहेंगे कि आप लोगों ने नाम तो बताया नहीं। इसलिए जिन लोगों के नाम आए हैं वे किस कनैक्शन में आए हैं, वह आप पूरा पढ़ें। आपने यहां पर कहा कि नाम एक्सपंज कर दो। इससे तो वह नाग छतरी की स्मगलिंग का कनैक्शन ही खत्म हो जाता है। असली कनैक्शन तो यह है कि पुलिस का एक अधिकारी जांच करवा रहा था और जब पकड़े गए तब ऊपर से प्रैशर पड़ा, आप उस वक्त चेयर में बैठे हुए नहीं थे और असली बात का आपको पता है।

अध्यक्षः मैं अपने कक्ष में बात सुन रहा था।

श्री प्रेम कुमार धूमलः आप सुन रहे थे और आपका का दिल जानता है कि बात सच्ची है कि वह जो व्यक्ति पकड़ा गया उसने नाम किसी खच्चर वाले का लिखवा दिया। फिर उसका नाम बाद में जैसे आपने एक्सपंज कर दिया तो वह भी एक्सपंज हो गया। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि आप इस तरह से एक्सपंज मत करिए। बड़ी

25/1415/08.2015.जेएस/एजी/3

मेहनत करके माननीय सदस्य जानकारियां लाते हैं। वह हाऊस की प्रॉपर्टी है। यदि आप को लगे परन्तु कभी उसको आप स्टडी करके फिर कहें लेकिन जांच ही नहीं हुई। मैंने कहा न कि यदि आप कल को केन्द्र में भी कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम का नाम क्यों आया इसे एक्सपंज कर दो तो वह गलत प्रथा होगी। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय श्रीमती के.एस. द्वारा जारी-----

/1420/25.08.2015केएस/एजी1/

अध्यक्षः आप जो कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं लेकिन मैं जिस बारे में एक्सपंज करने जा रहा हूं, जिस चीज़ को मैं एक्सपंज करने जा रहा हूं, आपने यहां स्पीच में यह कहा कि ऑफिसर चण्डीगढ़ गए। वह चण्डीगढ़ गया या नहीं गया, जब इसका आपके पास प्रूफ नहीं है तो उसका नाम लेना कि वह चण्डीगढ़ गया है ,ऐसा क्यों कहा आपने? इसके लिए मैं एक्सपंज करना चाहता हूं। He should not speak like this. आप हवा में बात कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं, वह कुछ और है। मैं उस ऑफिसर का नाम एक्सपंज करने के लिए कह रहा हूं जिनके बारे में आपने कहा कि चण्डीगढ़ गए हैं। क्या आपको पता है कि वह कब गए? If you don't know and the officer is not in a position to defend himself तो फिर मैं अलाऊ नहीं करूंगा, वह एक्सपंज करूंगा, सीधी बात यह है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसे धूमल जी ने कहा कि आपने आज खाया क्या है? मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय कि नागछतरी की मात्रा ज्यादा हो गई है आपके पास।

अध्यक्षः मैं वही खाता हूं जो आप लोग खाते हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ आर्डर। गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। Hon'ble Member Shri Raviji cannot ask कि स्पीकर साहब आपने खाया क्या है? इसका क्या मतलब है? He is making joke of the Speaker. तमीज़ है आपको कोई? कोई सभ्यता है, संस्कृति है आपमें? आप यह मज़ाक इनसे हाऊस के बाहर कर सकते हैं लेकिन when he is in the Chair, you cannot talk like this. (Interruption) चेयर से आप मज़ाक नहीं कर सकते।

श्री रविन्द्र सिंहः हम इनसे मज़ाक कर सकते हैं आपसे नहीं कर सकते क्योंकि आप तो राजा है।

मुख्य मंत्रीः नहीं, आप मुझसे भी मज़ाक कर सकते हैं but spare the Chair from your sarcastic remarks. पहले तमीज़ सीखो।

/1420/25.08.2015केएस/एजी2/

Speaker: Let us start the discussion. श्री महेन्द्र सिंह जी, बोलिए।

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) :अध्यक्ष महोदय, दो मैम्बर उस तरफ से बोल लिए तो एक मैम्बर इस तरफ से बोलना चाहिए था।--- (व्यवधान) --नहीं, आपके दो मैम्बर्ज़ ने इनिशिएट किया, मूवर्ज़ के बाद ही हमने बोलना था।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, आप इनको समय दे दें, उसके बाद मैं बोल लूंगा। मेरा कोई ऐतराज़ नहीं है।

अध्यक्षः मैं आप सभी को सूचित कर रहा हूं कि हमारे पास ढाई घंटे हैं और बोलने वालों की संख्या 20 है। मेरा निवेदन है कि आप शॉर्ट में बोलिए। महेन्द्र सिंह जी, आप 10 मिनट से ज्यादा समय न लें तो मेहरबानी होगी। Otherwise I will disallow.

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था पर नियम 130 के अंतर्गत जो चर्चा लाई गई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों माननीय सदस्यों ने अपनी बात विस्तार से रखी है। इस चर्चा में मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं। कानून व्यवस्था इस प्रदेश की किस चरम सीमा तक बिगड़ चुकी है, इसकी जीता-जागती मिसाल अभी डेढ़-दो महीने पहले एक सी.डी. इस प्रदेश के अंदर प्रचलित हुई है। यह हाऊस और इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि वह सी.डी. किस मंत्री की है? उस सी.डी. को किसने टेप किया है?

अध्यक्षः मेरा निवेदन है कि आप लॉ एण्ड ऑर्डर पर ज्यादा बोलिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर न बोलिए।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा लॉ एण्ड ऑर्डर क्या होगा? इससे बड़ा लॉ एण्ड ऑर्डर कौन सा होता है। आप क्या चाहते हैं? फिर हम न बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

/1420/25.08.2015केएस/एजी3/

अध्यक्षः आप यहां पर किसी की स्टोरी शुरू कर दें यह ठीक नहीं है। जो आपका प्रस्ताव है, आप उस पर बोलिए।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, सारे समाचारपत्र उससे भरे पड़े हैं और उसके उपरांत माननीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि इस पर हम न बोलें तो फिर हम किस चीज़ पर बोलें?

अध्यक्षः आप उसका रैफ्रेस दीजिए परन्तु स्टोरी मत सुनाएं।

श्री महेन्द्र सिंहः स्टोरी सुनाना मेरा अधिकार है।---

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

25.8.2015/1425/as/av/1

श्री महेन्द्र सिंह :स्टोरी सुनाना मेरा अधिकार है। आप बीच में नहीं बोलने देंगे तो हम नहीं बोलेंगे। आज आपको क्या हो गया है?

अध्यक्ष : आप नाराज हो रहे हैं।

श्री महेन्द्र सिंह : अगर आप नहीं बोलने देना चाहते हैं तो हम बैठ जाते हैं।

अध्यक्ष : आप रैलीवैंट बोलिए न, आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं। आप बीच में इन्ट्रप्ट क्यों कर रहे हैं?

Speaker : Don't reiterate the story. आप जो स्टोरी सुना रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ?

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, समय हाऊस का है, यह किसी व्यक्ति विशेष का समय नहीं है।

अध्यक्ष : आप व्यक्ति विशेष का भी नहीं है, बाकियों ने भी बोलना है।

श्री महेन्द्र सिंह : मुझे मालूम है कि बाकियों ने भी बोलना है मगर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

अध्यक्ष : अच्छा, बोलिए आप।

श्री महेन्द्र सिंह : प्रदेश की जनता इस प्रदेश के अंदर सी.डी. और फोन टैपिंग के मामले के संदर्भ में जानना चाहती है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्योंकि इस प्रदेश में लॉ एण्ड ऑर्डर को आप देखते हैं। दो महीने का समय बीत चुका है। मगर इसकी कोई जानकारी नहीं है कि टेलिफोन किसने टैप किया और सी.डी. किसने बनाई तथा उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? इस प्रदेश के अंदर इससे बड़ा घिनौना काम और क्या हो सकता है। इस प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी का कार्यालय सेवानिवृत्त अधिकारियों से भरा पड़ा है। इस प्रदेश में

25.8.2015/1425/as/av/2

विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाओं में विस्तार किया गया है। इनके कार्यालय में जो सेवानिवृत्त अधिकारी बैठे हुए हैं उन अधिकारियों की वजह से ही दो दिन से सैशन चलने में विलम्ब पैदा हो रहा है। पिछले कल प्रश्न काल नहीं चला और आज भी प्रश्न काल में काफी बाधा आई। हम माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार से जानना चाहते हैं कि इन सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाएं लेना कितनी आवश्यक है? हमारे पास अधिकारियों की कमी नहीं है। चाहे वह आई.ए.एस. का काडर है, आई.पी.एस. का काडर है, एच.ए.एस. का काडर है या अन्य काडर है। दूसरे अधिकारी भी इंतजार में बैठे होते हैं कि हमारा नम्बर आयेगा और हम भी पदोन्नत

होकर उन सीटों पर बैठेंगे। मगर जो सेवानिवृत्त अधिकारी बिठाए हैं वे अपने मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा किया गया है कि हर समय कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण हो रहे हैं। आज मुख्य मंत्री जी का कार्यालय भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। आज प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण की वजह से कानून-व्यवस्था बिगड़ी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले ढाई-तीन वर्षों में प्रदेश में लगभग डेढ़-दो लाख कर्मचारियों और अधिकारियों का स्थानांतरण हो चुका है। एक-एक स्थान पर सात-सात, आठ-आठ कर्मचारियों और अधिकारियों को बार-बार बदला जा रहा है। कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। मैं प्रदेश सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वह एन.एस. यू. आई. का लीडर कौन है जो जाली डी.ओ. नोट देकर स्थानांतरण करवाता रहता था? उसके विरुद्ध तीन साल बीत जाने के उपरांत क्या कार्रवाई हुई? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी और प्रदेश सरकार बतायेगी कि उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? इन पौने तीन वर्ष के कार्यकाल के बीच में मेरे चुनाव क्षेत्र से लगभग तीन-साढ़े तीन हजार स्थानांतरण हुए हैं। स्थानांतरण उनके किए गए हैं जो कि सड़क पर मज़दूर काम कर रहे हैं। जो छोटे-छोटे सुपरवाईजर के रूप में काम कर रहे हैं। उन सुपरवाईजरों को धर्मपुर से केलाँग बदला जा रहा है, उदयपुर बदला जा

25.8.2015/1425/as/av/3

रहा है और कुछ को सिरमौर भेजा जा रहा है। मैं यहां पर माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूंगा। हाई कोर्ट ने उनको स्टे दिया मगर प्रदेश सरकार उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गई। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी उन छोटे कर्मचारियों के हक में ही फैसला दिया हुआ है।

अध्यक्ष जी, हमीरपुर में एक प्रींसिपल है। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक लिस्ट दी और एक ही लिस्ट पर लगभग 19 अध्यापकों के स्थानांतरण कर दिए गए। यह क्या हो रहा है? इस प्रदेश के अंदर किस प्रकार का लॉ एण्ड ऑर्डर है? मैं

माननीय मुख्य मंत्री और प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रियों से जानना चाहता हूं कि वे अपने-अपने विभागों में बताएं--------

श्री टी.सी.वर्मा द्वारा जारी

/1430/25.08.2015टीसी/ए0एस01/

श्री महेन्द्र सिंह---------जारी

विभिन्न विभागों में बताएं। मेरा पिछले कल मेरा प्रश्न लगा हुआ था और उस प्रश्न के माध्यम से मैंने जानना चाहा था कि बिजली बोर्ड के अन्दर कितनी खरीद की गई है? बिजली बोर्ड के अन्दर 333 करोड़ रूपये की खरीद की गई है और 333 करोड़ रूपये की खरीद केवल मात्र वर्क ऑर्डर के ऊपर की गई है। जो टैंडर के ऊपर खरीद की गई है, उसका उसमें जिक्र नहीं है। क्या ये लॉ एण्ड ऑर्डर की दृष्टि में नहीं आता है? माननीय अध्यक्ष जी बिजली के मीटर काटे जा रहे हैं । प्रदेश के अन्दर बिजली के मीटर काटे जा रहे हैं, लोगों के पानी के नलके काटे जा रहे है, उनका ध्यान प्रदेश सरकार को नहीं हैं । प्रदेश सरकार को ध्यान है तो जाखू रोप-वे का, जैक्सन का जो एक बहुत बड़ा पूंजीपति है उसको लगातार परमीशन दी जा रही है। मेरा एक प्रश्न था, उसके उत्तर में लिखा है, जी हाँ, जैक्शन कम्पनी द्वारा निर्मित की जा रही जाखू रोप-वे के लिए किए गए अवैध निर्माण की स्वीकृति सरकार के स्तर पर प्रदान की गई है । प्रदेश के अन्दर लगभग एक लाख से ज्यादा हमारे ऐसे किसान हैं, ऐसे हमारे बागवान हैं, जिनके ऊपर छोटे-छोटे केस बने हुए हैं, इन्क्रोचमैंट के केसिज़ बने हुए हैं । इनकी इन्क्रोचमैंट के केसिज़ पर आज की वर्तमान सरकार चिन्ता नहीं कर रही हैं । लेकिन जो बड़े-बड़े पूंजीपति है, धन्नासेठ है, उनके ऊपर हमारी आज की वर्तमान सरकार ने अपनी कृपा दृष्टि रख रही है। यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रदेश की सरकार के ऊपर, प्रदेश के मुख्य मंत्री के ऊपर और प्रदेश की कैबिनेट के ऊपर लग रहा है कि ऐसा फैसला उन्होंने क्यों किया। शिमला शहर के अन्दर, हिमाचल प्रदेश के अन्य शहरों के अन्दर ऐसे अनेकों भवन है, जिनके भवन मालिक

चाहते हैं कि हमारे छोटे-छोटे निर्माण कार्य है, छोटा-छोटा अगर किसी ने अवैध निर्माण किया है तो उसको नियमित कर दिया जाये। उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, बड़े-बड़े पूंजीपतिओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के अन्दर जो चोरियां हुई है, डकैतियां हुई, मन्दिरों में चोरियां हुई हैं, आज उन मन्दिरों की चोरियों का क्या हुआ? कहां-कहां के मन्दिरों की चोरियों की शनाख्त हो चुकी है? कहां-कहा डकैतियां हुई है और उनका

/1430/25.08.2015टीसी/ए0एस02/

पता प्रदेश सरकार ने लगाया है? अगर गुगल से ही चोरियों का पता लगता हो, तो मैं प्रदेश सरकार से चाहूँगा, पुलिस के उच्च अधिकारियों से चाहूँगा कि जितनी चोरियाँ इस प्रदेश के अन्दर होती है, उन चोरियों का पता क्यों गुगल से नहीं लगाया जा सकता है, क्यों एक चोरी का पता गुगल से लगाया जा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आज प्रदेश की स्थिति ऐसी हो चुकी है, जहां-जहां कॉलेज हैं, जहां-जहां स्कूल हैं, वहां पर ड्रग माफिया बहुत बड़े स्तर पर अपने पांव पसारे हुए हैं। वहां पर छोटे-छोटे खोखे वालों, दुकानदारों के पास चाहे वह अफ़ीम है, गांजा है या दूसरी चीजें हैं वह रखी गई है। जिससे हमारी आने वाली जनरेशने बिल्कुल बिगड़ चुकी है। मैं प्रदेश सरकार से चाहूँगा कि तीन वर्षों के इस कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने इस पर क्या-क्या कार्रवाई की है। साथ ही माननीय अध्यक्ष जी मैं प्रदेश सरकार से जानना चाहूँगा कि आज प्रदेश के अन्दर जो पी0डी0एस0 सिस्टम है ,उस पी0डी0एस0 में जो सिस्टम में जो दालें दी जा रही है, जो आटा दिया जा रहा है, जो चीनी दी जा रही है, वह सब चीजें घटिया किस्म की दी जा रही है। जिस मात्रा में ये चीजें मिलनी चाहिए उस मात्र में उनको नहीं मिल रही है। इस बारे में भी माननीय मुख्य मंत्री व सम्बन्धित मंत्री बताने की कृपा करें। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। हमारे स्कूल के बच्चे जिनको अटल युनिफोर्म दी जाती थी, आज उस स्कूल के बच्चों की अटल युनिफोर्म के ऊपर भी बहुत बड़ा घोटाला हमारे सामने आया है। क्या कारण है? क्या कार्रवाई की गई है आज तक। बताएं कि किसको एरेस्ट किया गया है? किसके खिलाफ़ कार्रवाई की गई है ?

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसें ली गई है। मैं जानना चाहूँगा कि जो 800 बसें आई हुई है, उनकी बॉडियों को लगाने की क्या लागत रही है? ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। यह हाऊस जानना चाहता है कि एक बस की बॉडी को लगाने में कितने पैसे लगे हुए हैं । जो उसकी छत पर लगना चाहिए था वह क्यों नहीं लगाया। यह भी आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आई0आई0टी0 कमांद का एक किस्सा जो अभी-अभी दो-ढ़ाई महीने पहले हुआ है। उस किस्से के अन्दर जो पंजाब से लाये हुए बाऊँसर थे, उन बाऊँसर ने वहां पर एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया,

/1430/25.08.2015टीसी/ए0एस03/

एक ऐसी दहशत पैदा कर दी कि प्रदेश के अन्दर विशेष कर जिला मण्डी के अन्दर के लोग डरते थे कि कमांद नहीं जाना है। वहां पंजाब के लोग आये हुए हैं। उनके पास हथियार है, और न मामूल किसको गोली लगा देंगे । हम जानना चाहते हैं, प्रदेश की जनता जानना चाहती है, मण्डी जिला के लोग जानना चाहते हैं कि वहां आई0आई0टी0 कमांद का क्या हुआ है। उसके बारे में प्रदेश की सरकार ने कौन सी कार्रवाई की है? उसके बारे में यहां पर माननीय मुख्य मंत्री वक्तव्य दें । हाऊस को बताएं की उस पर क्या कार्रवाई हुई है। माननीय उपाध्यक्ष जी एक बन्दर माफिया पैदा हो गया। यहां से बन्दर पकड़ते हैं और हम जो विपक्ष के विधायक हैं, हमारे चुनाव क्षेत्र में रात को उन बन्दरों के ट्रकों को ले जा कर छोड़ते हैं। इस प्रदेश सरकार के ऊपर यह मेरा आरोप है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्दर 4 ट्रक बन्दरों के ले जाकर छोड़े गए। इसी प्रकार हम जो विपक्ष के विधायक हैं, हमारे चुनाव क्षेत्र में उन बन्दरों को ले जाकर छोड़ रहे हैं। जिससे आज हमारी पूरी-------

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी ----

25.08.2015/1435/NS/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागत ------

हमारे क्षेत्र में आप बंदरों को छोड़ रहे हैं जिससे हमारी पूरी खेती बर्बाद हो रही है। उसके लिए मैं जानना चाहता हूं वन मंत्री/ सरकार से कि आप प्रदेश को एक प्रदेश मानकर चले हुए हैं । आप हमारे विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में ऐसा वातावरण पैदा करने चाहते हैं। मेरा प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप है कि मुख्य मंत्री राहत कोष के पैसे का आवंटन किस प्रकार होना चाहिए। चन्द एक चुनाव क्षेत्रों के अंदर आवंटन हो रहा है। प्रदेश के दूसरे चुनाव क्षेत्र उस आवंटन से बाहर रह रहे हैं। मान्य अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। मैं विशेषकर अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। मैंने एस.डी.एम. के बारे में इस सदन के बीच में पहले भी कहा था कि वह सरकारी गाड़ी को अपनी व्यक्तिगत गाड़ी मानकर चला हुआ है। उसने सुपरइनटेनडैंट को आदेश दिए कि आप सुपरइनटेनडैंट की मोहर लगाएगें तब जाकर मैं आगे साईन करूंगा। आज सरकाघाट में एक और घटना घटी है। लॉ एण्ड ऑर्डर की घटना है। वहां जो रीज़नल मैनेजर (एच.आर.टी.सी.) का जो सरकाघाट में है उसने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। छेड़छाड़ करने के बाद वहां के लोगों ने इक्टठे होकर के उसका मुंह काला किया और उसको बाजार में घुमाया। क्या इस प्रकार की कानून व्यवस्था इस प्रदेश के अंदर है? क्या इस प्रदेश की सरकार ऐसे अधिकारियों को सरकाघाट के अंदर भेज रही है? एस.डी.एम./आर.एम. इस प्रकार का भेजा हुआ है। दो-दो महीने से वहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सड़कों के छोटे-छोटे वर्क-आर्डर अपने चेहतों को दिए जा रहे हैं। जो काम वहां पर हो रहा है वह घटिया स्तर का हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जितना भी कार्य चाहे आई.पी.एच. या पी.डब्लयू. डी. विभाग का हुआ हो उस सारे कार्य का निरीक्षण किया जाए। विजिलैंस से न करवा कर के सी.बी.आई के माध्यम से करवाई जाए ताकि पता चले कि कौन सा काम ठीक है और कौन सा काम गलत है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आप

25.08.2015/1435/NS/DC/2

से निवेदन रहेगा कि मैंने जो बातें कहीं हैं विशेषकर, मैंने फोन टैपिंग/सी.डी. की बात कही है मैं मान्य मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा, वर्तमान प्रदेश सरकार से चाहूंगा कि

इस पर क्या कारवाई की गई है और हमने चार्जशीट वर्तमान प्रदेश सरकार के खिलाफ दी है। उस चार्जशीट पर मान्य मुख्य मंत्री ने क्या संज्ञान लिया है? कुछ मंत्रियों ने कहा कि हम डैफरमेशन करेंगे। हमने चार्जशीट दी हुई है, आप हमारे खिलाफ डैफरमेशन करें। आप न्यायालय में जाएं आपको पता चलेगा कि डैफरमेशन क्या होता है? हमने जो आरोप लगाए हुए हैं वह प्रथम चरण की चार्जशीट है। द्वितीय फेज़ की चार्जशीट इस वर्तमान सरकार के विभिन्न विभागों के खिलाफ आने वाली है। उसमें प्रदेश की जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का समय देने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा।

जय हिन्द।

समाप्त।

25.08.2015/1435/NS/DC/3

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज नियम -130 के तहत जो आदरणीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी ने और श्री वीरेन्द्र कंवर जी ने कानून व्यवस्था के ऊपर प्रस्ताव सदन में लाया है। आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद । सबसे पहले तो मैं सदन के सम्मानित दोनों सदस्यों से प्रश्न करना चाहता हूं कि आदरणीय श्री शान्ता कुमार जी , जो इस सदन के दो बार मुख्य मंत्री रहे हैं, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रहे हैं आजकल वह लोकसभा के सदस्य हैं।

श्री नेगी द्वारा जारी------

25.08.2015/1440/negi/Dc/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) जारी..

कि आदरणीय श्री शांता कुमार जी जो इस सदन के दो बार मुख्य मंत्री रहे हैं, दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री रहे हैं और आजकल वह लोकसभा के सदस्य हैं। उन्होंने पिछले

महीने एक चिट्ठी अमित शाह जी को लिखी थी और उसमें उन्होंने साफ-साफ लिखा कि जो कुछ मध्यप्रदेश में व्यापम घोटाले के तहत घटा है, उसमें 47 आदमियों की हत्याएं हुई हैं। ....(व्यवधान)..... उससे भाजपा के लोगों का सिर झुक गया है। ....(व्यवधान)..... मैं लॉ एण्ड ऑर्डर पर चर्चा करने के लिए ही खड़ा हुआ हूं। ....(व्यवधान)...

अध्यक्षः आप लॉ एण्ड आर्डर पर बोलें।

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) : अध्यक्ष जी, जब ये लोग बैठ जाएंगे तभी मैं बोल पाऊंगा। पहले आप इनको बिठा दें। नहीं तो मैं बैठ रहा हूं। आप पहले इनको बिठाओ।

अध्यक्षः बैठ जाइये। कंवर साहब बैठ जाइये। प्लीज़ बैठ जाइये। टाईम बहुत कम है।

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) : मैंने ऐसा कुछ नही कहा है। ....(व्यवधान) ...आप पहले इनको बिठाइये।

अध्यक्षः इस तरह का काउंटर डिसकशन नही होगा। This is not the procedure. इनको बोलने दीजिए।

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) :पहले इनको बिठाइये। ....(व्यवधान)... मुझे कोई ऐनक लगाने की जरूरत नही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि श्री शांता कुमार जी क्या हिमाचली नही हैं ? क्या वह हिमाचली नही हैं? उन्होंने यह लिखा है कि प्रदेश के और देश के भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका शर्म से सिर झुक गया है । मैं अब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि यह जो आदरणीय श्री रविन्द्र सिंह रवि जी और श्री वीरेन्द्र कंवर जी ने कानून-व्यवस्था की बात कही है,

25.08.2015/1440/negi/Dc/2

क्या आपका नैतिक अधिकार अब इस सदन में चर्चा करने के लिए रहता है? आप अपनी आत्मा की आवाज़ से पूछो। है कोई आपको अधिकार? ....(व्यवधान)...कोई अधिकार आपको नही है।

अध्यक्षः आप बालिये। ....(व्यवधान)...

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) : मैं नहीं भड़का हूं। मैं यही कह रहा हूं कि आपको कानून-व्यवस्था के ऊपर पूछने का और चर्चा करने का कोई नैतिक अधिकार नही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ष 2007 में बनी । परागपुर क्षेत्र के गरली गांव में सकिना देवी का काण्ड हुआ जिसकी वक्ष काट दी गई और पौधे पर लटका दिया गया । 1.7.1998 को उसकी एफ.आई.आर. दर्ज़ हुई और उसका नम्बर है 103/98. ....(व्यवधान)...

श्री रविन्द्र सिंह : यह जनवरी, 1998 का केस है और हमारी सरकार के आने के बाद एफ.आई.आर. दर्ज़ हुई है।

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) :आदरणीय रविन्द्र सिंह रवि जी से मेरा निवेदन है, जब आप बोले हैं उस समय हमने कुछ नही कहा है । आप सुनने की ताकत रखो। इसमें धारा-302, 147 और 149 के तहत 7 आरोपियों के ऊपर केस बना और सब आरोपी छूट गए क्योंकि आपकी सरकार ने केस मज़बूत नही बनने दिया। यह कारण है। क्या आपको अब अधिकार है ? क्या आप लोगों को कोई अधिकार है इसपर बोले का ?कोई नही है। पुलिस के जिस अधिकारी के बारे में, मैं उसका नाम नही लूंगा, आपने कल क्वैश्चन हॉवर नही चलने दिया और आज आपने फिर व्यवधान डाला। आप बार-बार यह कह रहे हैं। क्या यह मुख्य मंत्री जी का, सरकार का पैरोगेटिव नही है कि कौन अधिकारी दिल्ली जाए और कौन वहां से आए? ....व्यवधान...

25.08.2015/1440/negi/Dc/3

मुझे नाम लेने की क्या जरूरत है? मैं क्यों नाम लूं? सरकार का यह अधिकार है कि कोई दिल्ली जाए..

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

/1445/25.08.2015**यूके/एजी**/1

श्री जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिव ----**जारी**---

रसकार का यह अधिकार है कि कोई दिल्ली जाए, दिल्ली से किसी को बुलाए, किसी भी ओहदे पर किस को लगाना है या नहीं लगाना यह सरकार का, मुख्य मंत्री का अधिकार है और विशेषाधिकार है। आप दो दिन से लेकर लगातार डेपुटेशन मे अधिकारी जाते हैं, आते रहते हैं और जिस अधिकारी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, में पूछना चाहूंगा कि किसके बच्चे विदेशों में नहीं पढ़ रहे हैं? सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। कई हिमाचलियों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा गया है वहां, अगर उसने फीस दी हुई है तो क्या आपको अधिकार है कि आप रोज़ सदन की कार्यवाही को चलने में हर वक्त रूकावट डाली जाए ?

जहां तक (व्यवधान) आप ही तो रोज कर रहे हैं। आप सुनने की हिम्मत रखो। जहां तक आप कह रहे हैं कि एक अधिकारी को डराया और धमकाया जा रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है उससे पहले जब आपकी सरकार थी, हमारी एक काबिल आई0ए0एस0 अधिकारी श्रीमती मनीषा श्रीधर, उनको आपकी सरकार में टॉर्चर किया गया जिस कारण से उनको इस्तीफा तक देना पड़ा। एक काबिल ऑफिसर को आपने हिमाचल से वर्जित कर दिया और आप लोग फिर कानून-व्यवस्था की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार अधिकारी को डरा रही है। आप क्या करते रहे हैं ?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को सही जानकारी नहीं है। श्रीमती मनीषा श्रीधर ने वर्ल्ड बैंक की सर्विस ज्वाईन करने के लिए इस्तीफा दिया था और बैटर पैकेज के लिए दिया था। उसके साथ हमारी ओर से फेवर की गयी थी, उनका इस्तीफा मंजूर करके क्योंकि इसके लिए कई लोगों ने सिफारिश की थी। हम पहले उनका इस्तीफा मंजूर करने के लिए तैयार नहीं थे। आप उनसे वेरीफाई

कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार में प्रॉब्लम हो गयी है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन वे दिल्ली पोस्टिंग चाहती थीं और दिल्ली में वर्ल्ड बैंक में एन्वायरनमैंट पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए। कहीं आपको संजय रतन ने तो नहीं उकसाया था ?

/1445/25.08.2015**यूके/एजी**/2

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) :सर, किसी को मुझे गाईड करने की जरूरत नहीं है। इतना मैं अपना मादा रखता हूं, सोच सकता हूं, बोल सकता हूं। इतनी क्षमता मेरी है कि कोई मुझे पीछे से गाईड लाईन दे इसकी जरूरत नहीं है।

इसके साथ-साथ मैने यह कहा है कि आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। फिर आप सब लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि अब यह हिमाचल की बात नहीं है। लेकिन दिल्ली में जो एक लड़की के पेट को 31 बार चाकू से दिन में गोदा गया और दिल्ली की पुलिस केन्द्र सरकार के अधिकार में है। दिल्ली की पूरी सरकार केन्द्र के हाथ में है और आदरणीय प्रधान मंत्री जी के सामने ,दिल्ली सरकार की आंखों के सामने एक लड़की के पेट में 31 बार चाकू घोंपा गया। आप कितने गंभीर है इससे पता चलता है। वहां पर किस की सरकार है? फिर आपको कैसा नैतिक अधिकार है कानून-व्यवस्था के ऊपर पूछने का? आपको कोई अधिकार नहीं है। केजरीवाल को तो आपने कह दिया है कि आपके पास पुलिस विभाग नहीं है, आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या आपको कानून-व्यवस्था के ऊपर सवाल पूछने का नैतिक अधिकार है? एक बार आप अपनी अन्तरात्मा से तो पूछ लो। आप कैसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप किसी बहस में न पड़ें। आप हिमाचल के बारे में बोलिए।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) :सर, आदरणीय रविन्द्र रवि जी ने हमारे सुलह चुनाव क्षेत्र के

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

25.08.2015/1450/SLS-AG-1

श्री जगजीवन पाल, माननीय मुख्य संसदीय सचिव...जारी

श्री रविन्द्र सिंह जी ने सुलह चुनाव क्षेत्र के गवर्नमैंट कॉलेज नौरा की एक लड़की के बारे में पूछा है। वह उस दिन कॉलेज में ही नहीं थी। रात को वह घर पर थी और सुबह उसका शव मिला है। इसमें इनवैस्टिगेशन हुई है और उसने आत्महत्या की है। इसके बाद भी इस मामले को एक राजनीतिक विषय बनाने की क्या ज़रूरत है? एक रेप बैरघट्टा एरिया में 11साल की लड़की के साथ हुआ है। मैं भी उस घर में गया हूं और ये भी गए हैं। पुलिस ने इसमें छानबीन की है। इसमें न तो लड़की और न ही लड़की की माँ कौपरेट करने के लिए तैयार है। मुख्य मंत्री जी जब 14 फरबरी को बैरघट्टा पुल का शिलान्यास करने के लिए गए थे तो महिलाओं का एक समूह इनको मिलने आया कि इस केस की इनवैस्टिगेशन होनी चाहिए। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने उसी वक्त आदेश दिए कि इसकी इनवैस्टिगेशन सी.आई.डी. करेगी। यह केस अब इनवैस्टिगेट हो रहा है और इसमें डी.एन.ए. टैस्ट हो रहा है। इसमें 3 लोगों को पकड़ा गया था।

आप यहां पर बार-बार कानून-व्यवस्था की बात उठा रहे हैं जो अच्छी बात नहीं है। एक इन्होंने नारगी चौक की घटना का प्रश्न उठाया है। यह जगह मेरे सुलह चुनाव क्षेत्र में है। इन्होंने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। लेकिन उस चौक पर चरस का व्यापार होता है, शराब की बिक्री होती है और दूसरे अवैध काम भी होते हैं। इसके लिए सुलह चुनाव क्षेत्र के लोगों, प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जनता के सहयोग से 9 अगस्त से एक ड्राइव चलाया है। रविन्द्र सिंह जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी उस अभियान में शामिल हों। वह अभियान है कि सुलह क्षेत्र में हैलमैट पहन कर चलना पड़ेगा और शराब की छोटी-छोटी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। लोग इसमें कौपरेट कर रहे हैं और यह बंद हो रही हैं। इसके अतिरिक्त जो स्कूलों के

नजदीक चरस, भांग इत्यादि बेच रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और इसमें कामयाबी भी मिली है।

25.08.2015/1450/SLS-DC-2

इसके बाद इन्होंने खनन माफिया की बात की है। खनन माफिया की बात कहने से पहले ये अपने ऊपर भी थोड़ा-सा विचार कर लेते। ये पिछले लगभग 20 सालों से थुरल के विधायक रहे हैं। मैं नाम बता रहा हूं। जहां नौण जगह न्युगल नदी के ऊपर है ,वहां नरेश शर्मा ,जो भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता है वह 10 साल तक करोड़ों रुपया इकट्ठा करता रहा। वह खनन माफिया है। वह लगातार पर्चियां काटता रहा। वह धन कहां जाता था? यह सब किसकी अनुमति से होता था। अब वह खनन माफिया बंद हुआ है। वहां लोग 15-15 सालों से झुग्गियां लगाकर बैठे हुए थे। अब जाकर प्रशासन ने उनको वहां से उखाड़ा है। वह इलाका सील कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में खनन माफिया को किसने पैदा किया? रविन्द्र सिंह जी को यह पूछने का क्या कोई नैतिक अधिकार है? इनके सारे साथी वहां पर खनन माफिया में हैं। अब जब प्रशासन ने शिकंजा कसा तो इन्होंने यहां पर मसला उठा दिया कि वहां खनन माफिया है। आप हमारी सरकार और मुख्य मंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? खनन माफिया के सबसे बड़े मित्र तो आप हैं। आप सबसे बड़े मित्र हैं।

हमारे आदरणीय सदस्य महेन्द्र सिंह जी छठी बार चुनकर विधान सभा में आए हैं। आज आप भू माफिया की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। भू माफिया के अलावा एक बात इन्होंने और उठाई है कि आज पूरा हिमाचल प्रदेश त्रस्त हैं। इन्होंने कहा कि जो छोटे-छोटे घरों के मालिक हैं, बगीचों वाले हैं ,उनके ऊपर हजारों की संख्या में केस बने हैं। आप लोगों ने सोचा है कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आदरणीय महेन्द्र सिंह जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि यह परिस्थितियां किसने पैदा की? आदरणीय धूमल जी की सरकार में उस समय के राजस्व मंत्री राजन सुशान्त जी ने यह पारिस्थितियां पैदा की हैं।

जारी...श्री गर्ग द्वारा

25/08/2015/1455/RG/AS/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल)--क्रमागत
(घण्टी)क्या कभी सोचा है कि किसने इस तरह की परिस्थितियां पैदा की हैं? आदरणीय धूमल जी की सरकार में उस समय के राजस्व मंत्री राजन सुशान्त जी ने ये परिस्थितियां पैदा की हैं। आज पूरे हिमाचल को हिलाकर रख दिया है। यह मौका किसने दिया? रातों-रात पटवारी करोड़पति हो गए ,कारों में घूम रहे थे और सबसे ज्यादा किसी ने नाजायज़ कब्जा किया है ,तो वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बड़े-बड़े बगीचे लगाकर तैयार कर लिए।(घण्टी) आज उनकी वजह से किसी गरीब ने गलती से कोई घर बना लिया ,तो उनके कनैक्शन काटे गए, यह हाई कोर्ट ने आदेश किए। आदरणीय उच्च न्यायालय का हम आदर करते हैं। हमारी सरकार उसको नियमित कर रही है ,लेकिन मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल जो एक कमैटी बनाने का ऐलान किया है ,उसके लिए हम सब लोगों ने निवेदन किया था कि इसमें जो बड़े-बड़े भू-माफिया फंसे हैं, उनको तो फंसने दो ,लेकिन जो हमारे आदरणीय, मैं उनको अभी आदरणीय ही कहूंगा, तो जो हमारे पूर्व आदरणीय राजस्व मंत्री जी थे , वे सांसद भी रहे हैं ,उन्होंने जब नियम बनाया, चोरी का रास्ता दिखाया ,हो सकता है कि उसमें वे गरीब लोग भी शामिल हों जिनका सदियों से छोटी-छोटी जमीनों के ऊपर कोई कब्जा था ,वे बाहर आ गए और उन्होंने शपथ-पत्र दे दिए कि मेरे पास यह कब्जा है ,अब यह नियमित हो जाएगा और जमीन मेरे नाम हो जाएगी। लेकिन वे मारे गए। इसके लिए दोषी कौन है? आदरणीय प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी विपक्ष के नेता हैं ,दो बार ये मुख्य मंत्री भी रहे हैं। मैं इसके लिए थोड़ा सा दोष इनको भी देना चाहता हूं। क्योंकि उस समय के राजस्व मंत्री को आपने रोका नहीं। अगर रोका होता, तो आज यह परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा न होती।-(घण्टी)-आज गरीब लोग हम जहां जाते हैं वे त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। पूरा हिमाचल प्रदेश आज त्राहि-त्राहि कर रहा है कि हमें बचाओ-बचाओ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे निवेदन पर यह कमेटी बना दी है। मैं चाहता हूं कि गरीब लोगों को उससे राहत मिले।- (घण्टी)-अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि हमारे उस तरफ के

भारतीय जनता पार्टी से संबंधित साथी सदन में कानून-व्यवस्था के ऊपर चर्चा करने हेतु नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव तो लेकर आए हैं ,लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्रस्ताव लाकर यहां खुद ही फंस गए हैं और जब सच्चाई सामने आ रही है ,तो बार-

25/08/2015/1455/RG/AS/2

बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो कुछ हुआ है, जो गरीब लोगों को राहत देने के लिए या उन्हें राहत प्रदान करने की कोशिश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कमेटी बनाई है उसमें आप भी शामिल हों। ये केवल विरोध करने के लिए कानून-व्यवस्था की बात उठाने के लिए यहां प्रस्ताव लाए हैं। अगर हमारी तरफ से कोई जिम्मेवार है, तो ये लोग भी उतने ही जिम्मेवार हैं-(घण्टी)- खास करके यह जो भू-माफिया तैयार हुआ है, यह इनके समय में तैयार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे भाई साहब जो अभी बोल रहे थे।

अध्यक्ष : अब आप क्या बोलना चाहते हैं? आप मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। आप लोग इस तरफ से और उस तरफ से भी बोल रहे हैं। यदि आप अपनी क्लैरीफिकेशन देंगे या उसके बारे में दुबारा बालेंगे, तो there is no procedure in the rules. आपको जो बोलना होगा, बाद में बोल लेना।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी बात की क्लैरीफिकेशन जरूरी है जब इन्होंने मेरा नाम लेकर कुछ कहा है ,मैं तभी खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष : हां, बोलिए, आप क्या क्लैरीफिकेशन देना चाहते हैं?

श्री महेन्द्र सिंह : जो माननीय सदस्य ने कहा है, उन्होंने धूमल साहब की तरफ, मेरी तरफ और हमारी सरकार की तरफ इशारा किया है कि हमारी सरकार के समय ऐसा हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो संज्ञान लिया है ,वह मामला अलग है। मैं जगजीवन पाल जी को बताना चाहूंगा कि वह पी.आई.एल. अलग है। जो डिसकनैक्शन हो रहे हैं ,बिजली के जो मीटर हैं, चाहे वे पानी के कनैक्शन्ज हैं ,यह मामला अलग है। इसलिए बिना मतलब के किसी बात को लेकर इस प्रकार से गलतफहमी सदन में और सदन के माध्यम से प्रदेश में नहीं जानी चाहिए।

एम.एस. द्वारा प्रो. प्रेम कुमार धूमल शुरू

25/08/2015/1500/MS/AS/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का दोष तो नहीं मानता लेकिन इनकी जानकारी सही नहीं है। जो जंगलों का अवैध कटान करके बागीचे बनाए गए थे, उसके बारे में एक पी0आई0एल0 हुई है। उसका संज्ञान लेते हुए यह ऑर्डर हुआ है। जो पहले नियमित करने की बात थी, वह गरीब को राहत देने के लिए ही बात थी। विधवा, अपंग, अनुसूचित जाति और भूतपूर्व सैनिकों को और थोड़े जो स्मॉल होल्डिंग्ज वाले लोग थे ,उनके लिए था। ये दो मामले अलग-अलग हैं। आप इस तरह का दुष्प्रचार न करें कि यह उस समय की बात हुई है। यह बात अलग है। एक पी0आई0एल0 हुई है उसके इफैक्ट के तौर पर इस पर ऑर्डर हुआ है और उस पर भी अभी स्टे है।

श्री जगजीवन पाल: अध्यक्ष जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष: अब हो गया है। इस पर बहस थोड़े ही आपने करनी है। आपने पहले ही अपनी बात रख दी है। वह रिकॉर्ड हो जाएगी। आप क्या क्लेरिफिकेशन करते जाएंगे। फिर उसके बाद ये बोलेंगे।

श्री जगजीवन पालः अध्यक्ष जी, माननीय विपक्ष के नेता प्रो0 धूमल जी ने कहा है कि यह तथ्यों पर आधारित नहीं है।

Speaker : I won't allow. आप बैठ जाइए। I will not allow you. You have started discussion.

श्री जगजीवन पालः मैं यह कहना चाहता हूं कि 1,75,000के लगभग लोगों ने एफेडेविट दिए हुए हैं कि हमारे पास ये भूमि है। उन्हीं लोगों के ये कनैक्शन काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास नाजायज कब्जा है। उन्होंने ही दिए हैं और आपके ही समय में दिए हैं।

25/08/2015/1500/MS/AS/2

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री महेश्वर सिंह जी भाग लेंगे। कृपया आप समय का ध्यान रखें।

श्री महेश्वर सिंहः जी सर, मैं बिन्दुओं पर ही बोलूंगा। अध्यक्ष जी, जो नियम 130 के अंतर्गत इस माननीय सदन में आज कानून-व्यवस्था को लेकर माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कंवर जी और श्री रविन्द्र सिंह जी ने चर्चा रखी है, उस संदर्भ में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसाकि आपने निर्देश दिया, मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं कुछ बिन्दुओं में ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई बातें तथ्यों सहित रखी गईं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी चीज में कमी भी रही होगी लेकिन सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या सचमुच हम अपनी पुलिस को चाहे वह वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकार थी ,इतना चुस्त-दुरूस्त बना सके? क्या आज जितनी कॉन्स्टेबल की संख्या है, वह पर्याप्त है? क्या उसको बढ़ाने की जरूरत है, इस बात पर विचार करना होगा। अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या निरंतर

बढ़ती जा रही है। जो पुलिस के कॉन्स्टेबल और फील्ड में ऑफिसर्ज हैं क्या सचमुच में उनकी संख्या में गुणात्मक सुधार हुआ है या वृद्धि हुई है? मैं कुल्लू जिला का उदाहरण देना चाहूंगा। आज वर्ष 2011की जनगणना के आधार पर कुल्लू की जनसंख्या 4,37,9 03है। अगर वर्ष 2011 के बाद के भी कुछ आंकड़े इसमें जोड़ दिए जाएं तो जनसंख्या 5 लाख से ऊपर होगी। उसमें से 2,25,452 पुरूष और 2,12,151 महिलाएं हैं। यह मैं जनगणना के आधार पर कह रहा हूं। आज वहां पर पुलिस कॉन्स्टेबल की संख्या क्या है? वह वही है जो कई वर्षों पहले थी। अब सरकार ने कुछ प्रयास किया है और नई भर्ती हुई है। लेकिन उससे भी ज्यादा राहत नहीं मिल रही है। इसलिए इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। इस जनसंख्या के अतिरिक्त पर्यटकों की संख्या, कितने प्रोजैक्ट्स वहां लगे हैं और जो प्रोजैक्ट्स में लोग लगे हैं, वह सारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। कहीं उसका रिकॉर्ड नहीं है। वहां मजदूर काम करने आते हैं और वी0आई0पी0 रश भी वहां सबसे ज्यादा है। फिर उसमें पुलिस की और ड्यूटिज लगती हैं। इसके अतिरिक्त भांग और चरस के पौधों को उखाड़ने की ड्यूटि भी इन्हीं को दी होती है। अब ये लोग कानून-व्यवस्था देखें या चरस को उखाड़ने

25/08/2015/1500/MS/AS/3

जाए? इस बात पर विचार करना चाहिए। अगर कोई माइनिंग का केस है तो उसमें भी इनको कहा है कि आप भी कुछ केस पकड़िए। यह जो एक्स्ट्रा करिकुलर ड्यूटिज हैं, इस पर विचार करना चाहिए। मेरा सुझाव रहेगा कि आपके पास बहुत रिजर्व बटालियन्ज हैं। उनको इस सारे फालतू काम में क्यों नहीं लगाते? उन्हें अतिरिक्त ड्यूटिज क्यों नहीं देते? क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग के बाद कोई काम नहीं होता है और कहा भी जाता है कि जो आइडल मैन बैठा हुआ है it becomes devil's workshop और ऐसे केसिज में उदाहरण देखने को मिलेंगे हैं। उनको काम नहीं है इसीलिए उनको ऐसी जगह जहां कॉन्स्टेबल की संख्या कम है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

/1505/25.08.2015जेएस/डीसी/1

श्री महेश्वर सिंहः ----**जारी**-------

उनको काम नहीं है, इसलिए उनको ऐसी जगह जहां कॉंस्टेबलों की संख्या कम है वहां पर लगाया गया और फिर होते-होते सारी ट्रैफिक डियूटी भी पुलिस विभाग को ही देनी पड़ती है। फिर कभी-कभी बिना कसूर के किसी अधिकारी को कोप का भाजन भी बनना पड़ता है और अभी इसी तरह से एक एस.पी. महोदय की ट्रांसफर भी हो गई।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कॉंस्टेबल की संख्या की बात है और जहां तक ऊपर का प्रशासन है मुझे लगता है वह पुलिस में पर्याप्त है, लेकिन नीचे की संख्या पर सरकार को सर्वेक्षण करवाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार वहां पर नई भर्ती करने का भी प्रावधान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनेकों इस प्रकार के पुलिस स्टेशन हैं, अनेकों इस प्रकार की चौकियां हैं, जहां पर गाड़ियां उपलब्ध नहीं है। जहां पर गाड़ी उपलब्ध है तो वह खटारा गाड़ी उपलब्ध है। वहां पर जो कोई भी व्यक्ति एफ.आई.आर. करवाने जाता है तो मजबूरी में वहां के इन्चार्ज कहते हैं कि भईया गाड़ी का प्रबन्ध कर दो, हम जाने को तैयार हैं। क्या जिस ऑफिसर को इन्वैस्टिगेशन में जाना है उसको क्या इस प्रकार की ओब्लिगेशन लेनी चाहिए? अगर ओब्लिगेशन लेता है तो फिर हम लोग ह्युमन बींग हैं। वह तब नहीं लेगा जब वहां पर पर्याप्त गाड़ी की व्यवस्था की जाए। यहां तक होता है कि कभी-कभी कोई मर्डर हो जाए और उस व्यक्ति को यहां शिमला तक उस रात को लाना पड़े तो वह खर्चा भी उस परिवार से ही मांगा जाता है कि भईया गाड़ी का प्रबन्ध करो इसे पोस्ट मॉर्टम के लिए शिमला ले जाना है। यह घटना अभी आनी में घटित हुई थी। वहां पर उन्होंने इंकार कर दिया और वहां के मेडिकल ऑफिसर ने कह दिया कि यहां पर पोस्टमॉर्टम नहीं होगा इसको शिमला ले जाना पड़ेगा। इन बातों पर विचार करना होगा। इसके अतिरिक्त यह भी सोचना होगा कि जो आजकल आधुनिक उपकरण है

उससे हमारा पुलिस विभाग लैस है या नहीं। क्या वह उपकरण पुलिस विभाग में उपलब्ध है या नहीं? मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब चोरी के मामलों

/1505/25.08.2015जेएस/डीसी/2

में मैटल डिटेक्टर्ज की जरुरत पड़ती है तो सारे प्रदेश में कितने हैं उसका मुझे मालूम नहीं है। अगर वी.आई.पी. आ जाए तो वे सारे के सारे यहां शिमला में इकट्ठे हो जाते हैं और प्रदेश में वे तब कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होंगे। दूसरे, बाहर से आने वाले मजदूर और नेपाल से जो अधिकांश लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, अन्य प्रदेशों से यहां पर आते हैं, वे यहां पर आ कर लोगों के घरों में रहते हैं। वे मेहनत-मजदूरी कमाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इन लोगों की रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। वह कौन करेगा? क्या यह काम भी पुलिस करेगी? यह मेंडेटरी हो जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति के घर में ये लोग रहते हैं या गांवों में जा कर रहते हैं वे पहले इनकी आईडैंटिफिकेशन करवाएं ,उनकी रजिस्ट्रेशन करवाए तभी उनको अपने-अपने घरों में रखें अन्यथा इन्हीं के मेहमान कभी आते हैं, दूसरे लोग आते हैं और अधिकांश ये चोरी करने वाले लोग पाए जाते हैं। इसलिए इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि इस ओर ध्यान दिया जाएगा ताकि इसमें गुणात्मक सुधार हो। अब कुल्लू की जो सब जेल है, वह सब जेल कहां पर है ? वह तहसील के साथ, कोर्ट के साथ है और जो उसका मेन गेट है वह खुला रहता है। क्योंकि उसके अन्दर तहसील है, सब-तहसील अन्दर है, ट्रेजरी अन्दर है और सबको उस जेल के दरवाजे के भीतर से अन्दर जाना पड़ता है। वह दरवाजा बन्द नहीं हो सकता है। वहां से कई लोग तो ऐसे भी जाते हैं जिनके ग्रह खराब होते हैं और उनको ऐसा योग हो कि जेल के अन्दर जाने से वह टल जाएगा इसलिए वह सोचता है कि मैं भी जेल जाता हूं। मैंने पहले भी आग्रह किया था कि इस सब जेल को कहीं अलग से जा कर बाकायदा सुरक्षा दीवार बना कर उसकी प्रोटैक्शन करके बना दिया जाए। जगह शायद उपलब्ध हो गई है। मुख्य मंत्री जी ने बजट में प्रावधान भी रखा है सब जेल की बिल्डिंग के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि उसके लिए प्रावधान किया जाए, क्योंकि वहां की वह जेल

सिक्योरिटी प्वाईंट ऑफ व्यू से सेफ नहीं है। पीछे भी वहां से दिन-दिहाड़े कुछ चोर भाग निकले थे, क्योंकि बाहर कोई प्रोटैक्शन वॉल ही नहीं है और वहां पर दी भी नहीं जा सकती है क्योंकि अन्दर तीन-तीन कार्यालय है।

/1505/25.08.2015जेएस/डीसी/3

यहां पर नाग छतरी को लेकर बड़ी बातें हुई और कभी-कभी इस पर मज़ाक भी चलता है। लेकिन सबसे पहले मैंने इस बात को यहां पर रखा था और मंत्री जी को याद होगा मैंने कहा था कि कानून-व्यवस्था बनाने में यह जड़ी-बूटी सार्थक सिद्ध होगी।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी-------

/1510/25.08.2015केएस/डीसी1/

श्री महेश्वर सिंह जारी---

यह जड़ी-बूटी सार्थक सिद्ध होगी।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मलाणा का सवाल है, जहां तक मंत्री महोदय की चुहार घाटी का सवाल है,सारे पिछड़े क्षेत्र हैं वहां आय का कोई स्त्रोत नहीं है। अधिकांश लोग अनपढ़ है और अपनी आजीविका कमाने के लिए वे लोग यह अवैध धंधा करते हैं। चरस बीजते हैं, अफीम बीजते हैं और जब आपने कृपा करके परमिट देने शुरू किए तो आप पुलिस के पास आंकड़े देख लीजिए, निश्चित रूप से उन दिनों में इलिसिट ट्रेफिकिंग के केसिज़ घट गए थे। मैं इस बात का साक्षी हूं जब मैं लोगों को यह बात बताने गया तो उस वक्त मैंने वहां नागछतरी सूखती हुई देखी। मैंने उन लोगों से पूछा कि यह क्या है? क्या आप चरस सूखा रहे हो? उन्होंने कहा

कि नहीं, देवता ने हमको जड़ी-बूटी दे दी और उस वक्त वह 7 00रुपये किलो बिक रही थी। वे लोग कहने लगे कि अब हम चरस नहीं बेचेंगें क्योंकि सरकार पकड़ रही है इसलिए अब हम इसको बेचेंगें। निश्चित रूप से उस वक्त इन केसिज़ में कमी आई थी लेकिन मुझे लगता है कि फिर आपने परमिट देने में कंजूसी कर दी। इस बात पर विचार करिए क्योंकि आप इस बात से सहमत होंगें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन के ध्यान में इस बात को रखना चाहूंगा कि यह जड़ी-बूटी हरी नहीं बेची जा सकती। इसको खोदना पड़ता है और उसके बाद सूखाना पड़ता है और सूखाने के बाद यह बिकती है और लोगों को उसको खोदने का अधिकार है, बेचने का अधिकार नहीं है। खोदकर, सूखाकर उसको रखने का अधिकार है। मुझे लगता है कि अगर उतराला में किसी के पास परमिट होता तो वे छोटे-छोटे लोग अपनी ऊपज जो उन्होंने इकट्ठी की थी, वे उसको बेच सकते थे और बाहर ले जा सकते थे। घर में उसको रखना कोई अपराध नहीं है। घर में पुलिस वाले जड़ी-बूटी पकड़ने का कोई अधिकार नहीं रखते लेकिन हम बेचने को ले जाएंगें और उस पर रॉयल्टी नहीं दी होगी तो निश्चित रूप से वह

/1510/25.08.2015केएस/डीसी2/

पकड़ी जाएगी। इसलिए जो केस इन्होंने रखा, उसकी छानबीन करिए । अगर उतराला का कोई व्यक्ति बेचने के लिए ले जा रहा था तो अपराध है लेकिन अगर वह सूखाने के लिए ले जा रहा था, कहीं घर में इकट्ठा रखने के लिए ले जा रहा था या जिसके पास परमिट है उसको बेचने को ले जा रहा था तो पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को सुनिश्चित करिए । मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर हम इस जड़ी-बूटी की ओर ध्यान दें और केन्द्र सरकार ने भी एक योजना बनाई है for rehabilitation of those people. जो यह इलिसिट ट्रेफिकिंग और इसको लगाने का धंधा करते हैं, क्यों नहीं आप मलाणा और चुहार क्षेत्र दोनों को ट्रायल बेसिज़ पर अडॉप्ट करते? क्यों आप वहां पर उनको जड़ी-बूटी लगाने का बढ़िया बीज नहीं देते? अगर चरस का बीज इटली से आ सकता है तो क्या बढ़िया जड़ी-बूटी का बीज

नहीं आ सकता? अगर वह आया तो उनको पैदा करने का प्रशिक्षण दीजिए, उनको जगह दीजिए। जहां वे भंग लगाते हैं, अगर वहां पर ये लगाएंगें तो वे लोग इस लत से भी छूटेंगें और कानून व्यवस्था भी सुधरेगी और लोग रोज़ी-रोटी भी कमाएंगें। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगें। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद । मैंने कुछ बिन्दु आपके माध्यम से सदन के सामने और यहां बैठे अधिकारियों के सामने लाए हैं, मुझे विश्वास है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।

/1510/25.08.2015केएस/डीसी3/

अध्यक्षः अब श्री सतपाल सिंह सत्ती जी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत कानून व्यवस्था के ऊपर जो चर्चा श्री रविन्द्र सिंह और वीरेन्द्र कंवर जी ने लाई है, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत से विषय सरकार के ध्यान में लाए हैं। वह विषय लॉ एण्ड ऑर्डर से भी और भ्रष्टाचार से भी सम्बन्धित है। इस चर्चा में बहुत से ऐसे मामले आए हैं जो शायद विधायक महोदय ने अपने क्षेत्र में मेहनत करके, उन विषयों में जानकारी जुटाकर प्रदेश सरकार के ध्यान में लाए हैं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं जो स्वयं लॉ एण्ड आर्डर यानि होम मिनिस्टरी देखते हैं। आज हिमाचल प्रदेश अनेकों क्षेत्रों में जहां अच्छे काम के लिए विकास कर रहा है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

25.8.2015/1515/as/av/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती------क्रमागत

विकास कर रहा है वहीं यहां पर विकास के साथ-साथ कुछ बुराइयां भी आ रही हैं। अगर हम उन बुराइयों पर नियंत्रण करते हुए अपने विकास को आगे जारी रखेंगे तो जैसे आज हिमाचल प्रदेश हिन्दुस्तान के सबसे अच्छे और शांत प्रदेशों में जाना जाता है मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा प्रदेश अपनी पुरानी शानो-शौकत तभी बचाकर रख सकता है। अभी लॉ एण्ड ऑर्डर की दृष्टि से अनेकों बातें ध्यान में लाई गई है और हम राजनैतिक चश्मे से देखकर एक-दूसरे की बातों को निकालते हैं। एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते हैं। ऊना के घंडावल में घटी घटना शायद हिमाचल प्रदेश में पहली बार घटी होगी। वहां पुल के पार माननीय सदस्य श्री कुलदीप कुमार जी का निर्वाचन क्षेत्र बिल्कुल साथ लगता है और पुल के वार श्री वीरेन्द्र कंवर जी का निर्वाचन क्षेत्र शुरू होता है जहां दुकान पर विस्फोट हुआ। हिमाचल प्रदेश में अनेकों ऐसे झगड़े होंगे जिसमें दुकानें किसी के पास है और मालिक कोई और है तथा उनको खाली करवाने की बात चली हुई है। वहां पर लम्बे समय से एक ऐसा केस चला हुआ है। यहां वीरेन्द्र कंवर जी ने उसके बारे में विस्तार से बता दिया है कि उस दुकान में रात के दो बजे विस्फोट होता है। यहां पर डी.जी.पी. साहब बैठे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि जो लैब से रिपोर्ट आती है उसको भी प्रभावित किया जाता है। मैं उसका सीधा आरोप सरकार के ऊपर लगाता हूं और जो प्रभावशाली लोग हैं वे उसको प्रभावित करते हैं। इसमें मलेरकोटला के व्यक्ति का रिश्तेदार पकड़ा जाता है जो मोगा से उनके घर में आया हुआ था। अगर हम इसकी डिटेल में जायेंगे तो शायद लोग बोलेंगे कि वह अल्पसंख्यक है इसलिए बोल रहे हैं। अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है; किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। दुकान खाली करने के लिए केस चला है और उसका फैसला जो मर्जी हो। मगर जिस तरह की घटना उन लोगों ने घटित की है और उससे जिस तरह की दहशत उस क्षेत्र में आई है। उसके पश्चात उनके घर में जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश

25.8.2015/1515/as/av/2

की गई है, उनकी घरवालियों ने जिस तरह के बयान देकर धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है वह निन्दनीय है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब कश्मीर से लोग निकाले गये थे तो किसी से यह नहीं पूछा गया था कि तू बी.जी.पी. का है या कांग्रेस का है। तू जनता दल का है या कम्युनिस्ट है। तू धर्मनिर्पेक्ष है या कट्टरवाद में विश्वास रखता है। वहां से पांच लाख लोगों को जानवरों की तरह निकाला गया था और आज भी वे टैंटों में रह रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में केवल यही लाना चाहता हूं क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया है। दूसरी उसी तरह की घटना नाहन से जुड़ी हुई है। नाहन में जख़ीरा पकड़ा जाता है। उसके घर में ऐसी विदेशी मशीनरी पाई जाती है जिससे अवैध हथियार बनाये जाते हैं। उस व्यक्ति का लाइसैंस एक साल पहले रद्द हो जाता है। व्यक्ति की मौत हो जाती है मगर बेटे इकट्ठे होकर हथियार बनाते हैं। वहां हजारों की संख्या में कारतूस मिलते हैं। उसकी भी लैब से रिपोर्ट आ जायेगी और उसको दोबारा से लाइसैंस दे दिया जायेगा। लाइसैंस बैक डेट या अगली डेट में दे दिया जायेगा। ये सारी घटनायें हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है। हम सभी लोग इसी समाज के नागरिक है। अगर कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके विरुद्ध सरकार को निष्पक्ष रूप से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यह एक बहुत ही दुःखदायी घटना है कि किसी गरीब व्यक्ति की दुकान को उड़ा दिया जाता है। किसी का भी छोटा सा नुकसान होता है तो प्रशासन उस व्यक्ति को कुछ-न-कुछ आर्थिक सहयोग देता है। उस व्यक्ति का जो दो-तीन-चार लाख रुपये का नुकसान अखबारों में बताया है। उसकी दुकान उड़ा दी गई और उसमें पड़ा सारा सामान बिखर गया। मगर यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतने लम्बे समय के बाद भी उस व्यक्ति को दोबारा दुकान शुरू करने के लिए एक पैसा नहीं दिया गया। अगर वह व्यक्ति किसी दूसरे वर्ग का होता; मैं यहां पर फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता हूं। शायद हमारे उद्योग मंत्री भी वहां जाते कि अल्पसंख्यक पर अत्याचार हुआ है, जाना चाहिए वह चाहे कहीं पर भी हो रहा हो। कुलदीप कुमार जी जा सकते थे क्योंकि इनको केवल एक पुल पार करना था

25.8.2015/1515/as/av/3

मगर ये वहां नहीं गये। वहां वीरेन्द्र कंवर जी गये क्योंकि इनका निर्वाचन क्षेत्र है और ये वहां से रोज ऊना आते हैं। हमें वोटों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वोटें तो आती रहेगी। व्यक्तियों को वोट तो पड़ती ही है। मगर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में ये सारी बातें लाना चाहता हूं आदरणीय कुलदीप कुमार जी ----

श्री टी.सी.वर्मा द्वारा जारी

/1520/25.08.2015टीसी/ए0स01/

श्री सतपाल सत्ती --------जारी

आदरणीय कुलदीप कुमारी जी हमारे बड़े सीनियर विधायक हैं । बड़े लम्बे समय से राजनीति में हैं ,हम सब लोगों को इक्ट्ठे होकर उस जिला की चिन्ता करनी चाहिए, प्रदेश की चिन्ता करनी चाहिए। दूसरी घटना बिन्दल जी की कॉन्सटीच्वंसी की है । वह भी आपके ध्यान में मैं लाया हूँ , और हमारे जिला में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मुख्य मंत्री महोदय लोगों की सुविधा के लिए बैंकों ने ए0टी0एम0 लगाये । ऊना जिला के संतोखगढ़ में, महैतपुर में, कुलदीप जी के एरिया में, कालिया जी के एरिया में गगरेट में, अम्ब में भी बैंकों में डकैतियां हो रही है। ए0टी0एम0 को काट करके कुल मिलाकर करके एक करोड़ रूपये की चोरियां हुई है। मैं यह नहीं कहता कि उसमें कुलदीप जी का कसूर है या हमारा कसूर है। इसी तरह एक जगह तो उनसे ए0टी0एम0 काटा नहीं गया और वे ए0टी0एम0 ही उठाकर चले गये। आज तक कोई भी व्यक्ति वहां पर पकड़ा नहीं गया। हमारे ऊना हैड क्वाटर्ज़ के ऊपर अनेकों कॉलौनीज़ है, माननीय मुकेश जी सारा जानते हैं । दुर्गा कॉलौनी में, विकास नगर में, टक्का वाली कॉलौनी में, पिछले अनेकों सालों से चोरियां हुई है। मैं यह नहीं कहता कि यह सब अभी हुआ है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बढ़ौतरी हुई है। दुर्गा

कॉलौनी में 26 घर है, 12 घरों में पिछले अढ़ाई सालों में डकैती हो चुकी है। लोग कॉलौनी छोड़ने के लिए तैयार है। इस कॉलौनी में 12 घरों में तो चोरियां हो चुकी है बाकि 14 घर बचे हैं। जैसा श्री महेश्वर सिंह जी ने कहा कि पुलिस के लोग कम पड़ते होंगे इस मामले में । लेकिन उसमें भी मैं एक विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ । यह पहले नहीं होता था कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी लोग धार्मिक कार्यक्रमों,सामाजिक कार्यक्रमों व व्यक्तिगत कार्यक्रमों में बुलाते हो। उसमें तो हम सब राजनैतिज्ञ को इन कार्यक्रमों में जाना पड़ता है जैसे शादी है, विवाह है, जागराता है या फिर कोई अन्य कार्यक्रम । लेकिन मैंने ऊना में देखा कि रात को सारे के सारे अधिकारी शादी में भाग लेते हैं , बीवियां भी साथ में, बच्चे भी साथ में और डीज़े बज रहा होता है। उस दो -अढ़ाई घण्टे में जितने मर्जी चोरियां हो जाये क्योंकि

/1520/25.08.2015टीसी/ए0स02/

डीज़े में क्या फोन सुनाई देगा, क्या मोबाईल सुनाई देगा। मैं उनको ब्लेम नहीं करता कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम सब लोगों को उनसे बातचीत करनी चाहिए कि उनको किस तरह की सतर्कता रखनी चाहिए। अगर प्रशासनिक अधिकारी इन समागमों में रात के 12-12 बज़े तक बैठे रहेंगे तो चोरियां कैसे रोकी जाएगी ?क्योंकि जो चोर है, उनके पास भी मोबाईल है, उनको पता है कि इस समय एस0पी0 कहां बैठें हैं, डी0एस0पी0 कहां बैठें हैं और डी0सी0 कहां बैठें हैं। वे मोबाईल से सारा नेटवर्क खड़ा करते हैं। कालिया जी यह सब आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। यह किसी के घर में भी हो सकता है। मैं आपके सामने विषय ला रहा हूँ । मैं आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ । आप न ऊना के एस0पी0 है और न डी0जी0पी0 है। डी0जी0पी0 साहब वहां बैठें हैं। मैं आपके ध्यान में यह विषय ला रहा हूँ, आप चाहते हैं तो करो, नहीं करना है तो न करो। आपकी मर्जी है क्योंकि आपकी सरकार है। इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय आई0आई0टी0 कमांद का विषय आया

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ---जारी।

25.08.2015/1525/NS/AS/1

श्री सत्तपाल सत्ती ---------- जारी।

इसके साथ अध्यक्ष महोदय, आई.आई.टी. कमांद का भी विषय आया। हिमाचल के लोगों ने तो शायद क्रिकेट मैच की कमैंटरी में सुना होगा कि बाऊन्सर मारा गया। हिमाचल के लोगों को श्री वीरभद्र जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उनके राज में लोगों ने बाऊन्सर भी कोई व्यक्ति होते हैं ये उन्होंने देखा। यह पहली बार देखा। यह एक करिश्मा है। यह हिमाचल में ज़नरल नॉलेज का प्रश्न कभी आएगा कि हिमाचल प्रदेश में लोगों ने बाऊन्सर पहली बार प्रयोग होते कब देखे? तो लोग कहेंगे आई.आई. टी कमांद में श्री वीरभद्र जी के शासन काल में । वहां पर हैल्थ मिनिस्टर थे। आदरणीय श्री कौल सिंह जी, यदि वे पूरे हिमाचल प्रदेश से स्वारघाट से होकर गये होंगे, ऊना से होकर गए होंगे, गगरेट से या काला अंब से आए होंगे किसी ने उनको चैक नहीं किया कि इतनी दूर तक कि कहां जा रहे हैं। हथियार साथ में लिए हुए ठेकेदार ठेकेदारी करने आया है वह वहां पर बाऊन्सरों को लेकर के किस लिए आया है? शायद श्री कंवर साहिब ने भी पहली बार सुना होगा बाऊन्सर। हमने क्रिकेट में तो सुना होगा यानि किस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा हो रही है। इन सारी बातों पर ध्यान देते हुए अध्यक्ष महोदय, हमारा विषय आज बिगड़ा कहां से है इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मुख्य मंत्री महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आप इतनी उम्र से राजनीति में है जितनी उम्र हमारी नहीं है। पचास साल आप बताते हैं तो पचास के लगभग ही हम हुए हैं। आप के पार्टी के लोगों ने भाजपा के कार्यालय पर अटैक किया ये बातें बढ़ती कहां से हैं। चलो आप बीच में न बोला करें हमें बुरा लगता हैं कि हमें आप पर कुछ बोलना पड़े। हम भारी मन से ही बोलते हैं हम खुश होकर नहीं बोलते हैं। आप पता नहीं कैसे बोलते हैं। आपका मन है भी की नहीं है पता ही नहीं है। आपके कार्यालय के ऊपर अटैक होता है। आप

कल्पना करें कि आपका कार्यालय तो सड़क के किनारे ही है हमने बहुत कुछ किया है। विश्वविद्यालय का इतिहास हमारा पूछ लेना किसी से मुकेश जी तो जानते ही हैं।

25.08.2015/1525/NS/AS/2

छोड़ दिया हमने सारा। कार्यालय के ऊपर अटैक होता है, गलती हो जाती है, आंदोलन होता है हो गया लेकिन एफ.आई.आर. तो ठीक लॉज होने चाहिए। चाहे मुख्य मंत्री को बेटा हो या आपके चेयरमैन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। दिल्ली में 1984 के दंगों में, मैं यह मानकर चलता हूं कि श्री एच.के.एल. भगत और श्री जगदीश टाईटलर ने किसी को काटा नहीं होगा लेकिन वे उन जलूसों का नेतृत्व कर रहे थे जिन्होंने दंगे किए थे। इसके कारण उन पर एफ.आई.आर. हुई। आपके बेटे ने पत्थर मारा नहीं मारा मैं वहां पर नहीं था लेकिन आपका बेटा उस जलूस का नेतृत्व कर रहा था उसके नाते आपके बेटे का नाम एफ.आई. आर. में आना चाहिए था लेकिन आपने पुलिस पर दबाव डाल करके अपने बेटे को एफ.आई. आर. से बाहर निकाला जो देश व प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक पार्टी का कार्यालय टूटता है। उसके कार्यकर्त्ता की आंख चली जाती है। अं---साफ आता है मेडिकल लेकिन प्रमुख लोगों को एफ.आई. आर. से बाहर निकाल दिया जाता है। इन्हीं घटनाओं से किसी को गुस्सा आएगा तो उसके बाद क्या परिणाम होगा तो वह गलत हो जाएगा। इसलिए मुख्य मंत्री महोदय , ये आपको ध्यान देना चाहिए कि कोर्ट में तो 99.9 प्रतिशत छूटते ही हैं। वहां का जो रिज़ल्ट है आप देख लें कि जो क्रिमिनल फैसले होते हैं शायद आपका बेटा भी छूट जाता क्योंकि आप तो सारी मैनेजमेंट कर ही लेते हैं अपनी भी कर रहे हैं। बेटे की भी कर लेनी थी। साथ ही आजकल मैनेजमेंट से ही चलाया हुआ है सारा मामला जितने भी केसिज़ हैं और आप इतनी बार दिल्ली में कोई पैसे लेने नहीं जाते हैं। जो न्यायधीशों से भी मीटिंग होती है। सबको पता है। हमें भी पता है। मैं तो डेट भी बता दूं कि कहां-कहां किस-किस के साथ बैठा जाता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो हालत हो गई है कि आज हिमाचल प्रदेश में मुख्य मंत्री जी ऊना गए। हमें भी खुशी होती है लेकिन अब हम डरने लग पड़े कि आपका स्वागत करने भी जाएं कि

नहीं जाएं। इसलिए हमने छोड़ दिया। शुरू में आते थे। मुकेश जी को पता है हम पूरा मान-सम्मान करते थे

25.08.2015/1525/NS/AS/3

आप भी करते थे 10-12 वर्ष पहले तो अब पता नहीं आपको कोई हवा मारे देता है या आप भूल जाते हैं कि बोलना क्या है? तो कई बार बीच में करंट भी मिस हो जाता है। इस उम्र में हो जाता है कई बार नहीं पता लगता आपने बोलना क्या है? आपने ब्यान दिया, क्या ब्यान दिया फिर कहेंगे मैंने माफी मांग ली। उससे प्रदेश का वातावरण कितना बिगड़ता है कि एक मुख्य मंत्री का ब्यान अमर उजाला में, पंजाब केसरी में या अन्य अखवारों में लगे कि आपने कहा कि आपका जो एम.पी. जो आपने क्यों जिताया अब आपने इतना जोर लगा लिया आप ऊना के एम.पी. की क्यों चिंता कर रहे हैं। आपकी पत्नी हार गई। आप उसकी चिंता करो। डेमोक्रेसी है। इस देश में वाजपेयी जी / इन्दिरा जी भी हारी हैं। आप भी हारे। आपको श्री राम लाल जी ने हराया था। लोकतंत्र है, कोई भी हार सकता है तो आप इसमें इतनी खील क्यों निकाल रहे हैं कि आपने अपना एम.पी क्यों नहीं हराया? फिर आप कहते हैं कि आपका एम.पी बड़ा बिगड़ैल है जहां मिलो ऊना की भाषा आपने कब से सीख ली। अखवार ने वही भाषा सीख ली कि जहां भी मिलता है उसको चपेड़ मारो। कालिया जी हंस रहे हैं। आपने चांटा क्यों नहीं बोला। चांटा प्यार से भी हो जाता है अगर बुजुर्ग चांटा बोल दें तो बुरा भी नहीं लगता है। चपेड़ तो ज़ोर से ही होता है तो उसमें बुरा भी लगा लोगों को कि एक चीफ मिनिस्टर

श्री नेगी द्वारा ------- जारी।

25.08.2015/1530/negi/As/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती .. जारी..

एक चीफ-मिनिस्टर चपेट लगाने की बात कर रहे हैं, थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। मुख्य मंत्री महोदय इस तरह की बातों से, लोग भी हमने पूछते हैं कि मुख्य मंत्री

को हो क्या गया है ? मैं कहता हूं कि मुख्य मंत्री हमारा नही है, अगर धूमल जी मुख्य मंत्री होते तो बता देता। आप उनसे ही पूछ लो। वे कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी ब्यान कैसे दे रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा, आपके लिए हम भी बराबर ही हैं। ....(घंटी)... हम आपके बच्चों की तरह हैं। हम सब लोग आपसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो हम बोलेंगे वह आगे आने वाली जेनरेशन करेगी। आपको अच्छा लगना चाहिए कि रणधीर जी आपका स्वागत करने आए और आपके साथ-साथ घूमते रहे। बाद में रणधीर जी को राम लाल ठाकुर जी बहस सकते हैं क्योंकि बराबर के हैं, इसमें कोई चक्कर नही है। हमें पता है कि रणधीर जी ने राम लाल जी का मुकाबला किया है। राम लाल जी अगली बार भी नही जीतेंगे आप जो मर्ज़ी कर लो, मैं आज आपको बता रहा हूं। अंधों में काना राजा थे, चला गया ज़माना, हो गया। अब वहां पर बराबर की चलेगी । लेकिन उनका बेटा अगर रणधीर जी को धक्का मारे तो आप जैसे बड़े व्यक्ति को खड़े हो करके रोकना चाहिए कि विकास यह तू क्या कर रहा है। यह हमने अखबारों में पढ़ा कि आपके होते हुए रणधीर जी को उनके बेटे ने धक्का मारा । आपकी फोटो है कि मुख्य मंत्री जी चेयर पर बैठे हुए हैं और रणधीर जी के साथ उनका बेटा और राम लाल जी लड़ रहे हैं। यह प्रदेश के सेहत के लिए और कानून-व्यवस्था के लिए अच्छा नही है। इन विषयों को आप राजनीतिक दृष्टि से न देखें। हम भी आएं और आपको गुलदस्ता दें। आप भी दो बातें हमारी सुनें, हम भी आपका स्वागत करें। हम भी विकास की बात करें, आप भी विकास की बात करें और उसके बाद अपने घर को आएं। जब पॉलिटिकल रैलियां होंगी उसमें आपने बोल लेना जो बोलना हो। जिसमें जितना दम होगा बोल लेंगे, कोई दिक्कत नही है। रैलियां होती हैं और उस समय मंच सजते हैं । आप गवर्नमैन्ट की रैलियों को प्राइवेट रैली कैसे बोलते हैं, यह हमें भी दुःख लगता है। डी.पी.आर.ओ. मंच संचालन कर रहा होता है। डी.पी.आर.ओ. का स्पीकर लगा होता है। आप हमारे एम.एल.एज. को

25.08.2015/1530/negi/As/2

बोलते हैं कि यह कांग्रेस की रैली है और आप यहां से चले जाओ। अगर कांग्रेस की रैली भी है तो आपने कोई हमारे ऊपर ऐसा कुछ कहना है जो हम यहां से चले जाएं।

बोलने दो जो बोलना है, कोई दिक्कत नही है। इसलिए मुख्य मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश में ये जो कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है इन सारी बातों के पीछे कहीं न कहीं आप बड़े नेताओं की गलती है, आपकी स्वयं गलती है। इस बात को हम लोग सुधारेंगे। आप आएं, जिलों में आएं और विकास की बात करें और हमें भी कुछ दे करके जाएं और हमारी भी बात सुनें । हमें भी जनता ने जिताया हुआ है। हम जबरदस्ती यहां घुसे नही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं चाहे ऊना की कंडावल की है, चाहे आई.आई.टी. कमांद की है और चाहे नाहन की है।....(घंटी)...

अध्यक्षः माननीय सदस्य प्लीज वाइंड-अप कीजिए। अभी बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं। Please wind up in two minutes.

श्री सतपाल सिंह सत्ती : मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। इसपर विशेष ध्यान देना होगा। ऐसी बड़ी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में न हो, इसमें हम पॉलिटिकल स्तर पर न सोचें और हमें बार-बार ऐसे ब्यानों से न मुकरना पड़ें, ऐसे ब्यान न दें तो शायद प्रदेश की सेहत के लिए भी अच्छा होगा और हिमाचल प्रदेश की कानून-व्यवस्था के लिए भी अच्छा होगा। अगर इस तरह से कानून-व्यवस्था हम बिगड़ने देंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब हमारे एम.एल.एज को, हमारे चीफ मिनिस्टर को और सारे मंत्रियों को 18-18, 20-20 बॉडी-गार्डज़ ले करके हिमाचल प्रदेश में घूमना पड़ेगा। वह दिन हिमाचल में न आए इसके लिए अच्छा है हम लोग हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बहाल रखें, पॉलिटिकल लेवल पर न सोचें। अध्यक्ष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

25.08.2015/1530/negi/As/3

अध्यक्षः श्री कुलदीप कुमार जी आप क्या बोलना चाहते हैं? मैंने आपका नाम तो नहीं लिया है। आप क्या बोलना चाहते हैं।

श्री कुलदीप कुमारः बोल रहा हूं जी।

Speaker: I have not called your name. मैंने अभी आपको बोलने के लिए नही बोला है।

श्री कुलदीप कुमार : मेरा नाम लिया है और यहां मेरा नाम ले करके बोला है। मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष: मैंने सोचा आप स्पीच देने लगे हैं। आप बोलिए।

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गौर से सुन रहा था मेरे ऊना के माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष हैं और कंवर वीरेन्द्र जी को, कंवर जी ने भी बड़ी लम्बी चौड़ी बातें कही। एक बात की मुझे खुशी हुई है कि सतपाल सिंह सत्ती जी को अब ऊना की चिन्ता होनी शुरू हो गई है। आज इन्होंने कहा कि..

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

/1535/25.08.2015यूके/डीसी1/

श्री कुलदीप कुमार----जारी---

आज इन्होंने कहा कि हम सबको इकट्ठे हो कर उना जिले की चिंता करनी चाहिए ।। जब वे विपक्ष में होते हैं तो (व्यवधान) मुझे बोलने तो दो ।

अध्यक्ष: कुलदीप जी, बात सुनिए, this is not the way.

श्री कुलदीप कुमार: हमारे सत्ती जी काफी सीनियर मैम्बर हैं और तीसरी बार विधायक बने हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं और आज इन्होंने चिंता की बात कही है और विपक्ष में आ कर उनको ऊना जिले की चिंता होनी शुरु हो गयी है तो भगवान करे आप इसी तरह हमेशा विपक्ष में रहे ताकि ये ऊना जिला की चिंता करते रहें । इन्होंने एक बात कही है, एक साड़ा में जो कंवर वीरेन्द्र सिंह जी के कुटलैहड़ चुनाव क्षेत्र में पड़ता है । वहां कोई धमाका हुआ (व्यवधान) वह एक ही बात होती है, विस्फोट बोल देते हैं ।

अध्यक्षः आप स्पष्टीकरण क्या मांग रहे हैं ?

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कर रहा हूं, इन्होंने मेरा नाम ले कर बात कही है उसके बारे में क्लेरीफिकेशन करना चाहता हूं। वहां पर धमाका हुआ। (व्यवधान)

अध्यक्षः आपका नाम लेकर जो बात हुई है आप उस पर बोलिए।

श्री कुलदीप कुमारः धमाके की बात कही और वहां पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इनवेस्टिगेशन हो रही है और जो भी दोषी होगा उसको सजा होगी। कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को स्पेयर नहीं किया जायेगा। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि धार्मिक भावनाओं की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरे आपने कहा कि वहां पर यह नहीं गया, वो नहीं गया। मुकेश जी का नाम भी लिया, मेरा भी लिया। आप यह बताइए वहां पर एक नौजवान लड़के को सांप ने काटा,

/1535/25.08.2015यूके/डीसी2/

क्या आप वहां पर गए ? वहां डैथ हुई, वहां गए आप? उसके बाद आप कह रहे हैं कि अल्प-संख्यकों की बात है, आपने श्रीनगर की बात कही। तो आपका श्रीनगर की बात करने का क्या मकसद था कि अल्प-संख्यक हैं इस कर के हम धार्मिक बात नहीं करना चाहते? एक तरफ तो आप बातें कर रहे हैं। तो हम सब और सरकार चिंतित है, एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है और उसकी इनवेस्टिगेशन होगी, जो दोषी होगा उसको सजा होगी। (व्यवधान)

अध्यक्षः बस हो गया, प्लीज़ बैठ जाइए। मेरा सदन से निवेदन है कि अभी बोलने वाले बहुत से सदस्य हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका जवाब भी देना है। मैं अनुरोध करुंगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से एक-एक वक्ता बोल ले उसके बाद चर्चा को वाईंड-अप कर के मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे।

मुख्य मंत्रीः सर, ये डिबेट कब तक चलेगी ? क्या आधी रात तक चलेगी?

अध्यक्षः सर, 5 बजे तक चलेगी ।

मुख्य मंत्रीः इसकी कोई लिमिट होती है । सुबह विपक्ष वाले बोलेंगे तो सुर्खियां हो जाएंगी और थोड़ी देर बाद प्रेस गैलरी पूरी खाली हो जाएगी । सरकार के पक्ष को कौन सुनेगा?

अध्यक्षः सर, यह तो हाऊस की अपनी व्यवस्था है । विपक्ष और पक्ष की ओर से एक-एक सदस्य का नाम दे दीजिए क्योंकि समय कम है । आप एक नाम पक्ष से और एक नाम विपक्ष से दे दीजिए ।

श्री सुरेश भारद्वाजः श्री कुलदीप कुमार जी बोल चुके है तो अब विपक्ष के सदस्य बोलेंगे ।

अध्यक्ष :एक नाम आप ले लीजिए । उसके बाद वाइंड अप कर देंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी उसका जवाब देंगे ।

/1535/25.08.2015यूके/डीसी3/

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, 5 बजे तक तो विधान सभा का टाईम होता है । सरकार का अपना कोई बिजनैस नहीं है, हम बिजनैस दे रहे हैं और यदि प्रदेश के हित में कोई चर्चा हो रही है तो उसमें टाईम कट करने की क्या आवश्यकता है?

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

25.08.2015/1540/SLS-DC-1

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, पांच बजे तक तो हाऊस का वैसे ही चर्चा का टाईम हैं। अभी कोई सरकारी बिजनस तो है नहीं। हम बिजनस दे रहे हैं और अगर प्रदेश हित में यह चर्चा हो रही है तो इसमें समय घटाने की क्या आवश्यकता है? आपने अढ़ाई घंटे का समय दिया है। दो बजे के साढ़े चार बजे तक अढ़ाई घंटे वैसे

ही बनते हैं। ...(व्यवधान)... रूलिंग पार्टी चाहती ही नहीं है कि सैशन हो और उसमें डिसकसन हो। ये डिसकसन होने ही नहीं देना चाहते। माननीय सदस्य अपनी चर्चा कर रहे हैं। अगर हल्ला मचाएं तो क्या वह ज्यादा अच्छी बात है? ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष :आज समय केवल 5 बजे तक है। Members are not restricting to their time. वह 20-20 मिनट बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)... मैं यह कह रहा हूं कि 5 बजे के बाद कोई चर्चा नहीं होगी। I will not allow after 5.00 P.M....(व्यवधान)... आप कितनी देर बोलते रहेंगे? कोई टाईम लिमिट भी तो होती है।

श्री सुरेश भारद्वाज : आप जो भी 5-5, 10-10 मिनट देंगे, सदस्य उतना ही बोलेंगे।

अध्यक्ष : आपके सदस्य 20-20 मिनट बोल रहे हैं। आप क्यों उनको कंट्रोल नहीं करते? You control your members कि 5 मिनट दिए हैं तो 5 मिनट ही बोलें। मैं आज एग्जैक्टिली 5 बजे चर्चा बंद कर दूंगा। 4.30 बजे माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। There is list of speakers अगर 20-20 मिनट बोलेंगे तब तो यह चर्चा समाप्त ही नहीं होगी। And Hon'ble Chief Minister is correct in saying कि यह चर्चा कब तक चलेगी। You all restrict your time. आप 20 मिनट की जगह 40-40 मिनट बोल रहे हैं। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। I will have to disconnect the speaker. अब श्री नन्द लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नन्द लाल, मुख्य संसदीय सचिव : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर जो यह प्रस्ताव चर्चा हेतु आया है, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

25.08.2015/1540/SLS-DC-2

अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष के जितने भी वक्ता ,हमारे माननीय सहयोगी बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनको पुलिस से कुछ खौफ़ हो गया है। दूसरी बात यह है कि अख़बारों की सुर्खियां बटोरने और पेपर कटिंग के लिए यह ऐसा कर रहे हें। जितनी भी वारदातें पिछले दो-अढ़ाई सालों में हुई हैं वह सारी कटिंग ये यहां

लेकर आए हैं। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जितने भी यह मामले हुए हैं यह सरकार के संज्ञान में हैं, इनकी एफ.आई.आर. रजिस्टर्ड है। हो सकता है कि कहीं इनवैस्टिगेशन में डिले हुआ हो, उस बात का भी सरकार संज्ञान लेगी, यह भी मेरा निवेदन है। जिस तरह का वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, पुलिस का जो रोल है, उसमें जो अराजकता की बात हुई है ,उससे हमें बड़ा खेद हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल एक बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है। शांतिप्रिय प्रदेश में भी वारदातें होती हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यह जो हाईटैक मोबिलिटी है , कम्युनिकेशन है , इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसकी वजह से और जो दूसरे प्रदेशों के लोग हिमाचल में प्रवेश करते हैं या यहां पर काम करते हैं, उससे निश्चित तौर पर कानून-व्यवस्था में फ़र्क पड़ता है। लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश होती है कि इसको रोका जाए, चैक किया जाए। हम सब चाहते हैं कि क्राईम न हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे। जैसे रविन्द्र सिंह जी ने बात की, प्रभावशाली व्यक्ति ,तानाशाह और न जाने कौन-कौन से एडजक्टिव जोड़कर इन्होंने कहा और कानून-व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाए। मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र के अंदर पुलिस द्वारा कानून-व्यवस्था ही एक चैक है to check all these things. जितने भी एडजैक्टिव्ज इन्होंने जोड़े ,मैं कहूंगा कि कानून-व्यवस्था ही उन पर चैक है। खनन माफिया सहित बहुत से माफियाओं के इन्होंने नाम लिए। सरकार इन पर चैक रखती है। जैसे हमारे कुलीग जगजीवन पाल जी ने कहा कि जो खनन और भू माफिया इन्होंने कोट किए हैं, इससे ज्यादा in the previous regime यह एक रिकॉर्ड है। यह सब होता है। एंटी सोसल ऐलिमैंट कानून के होते हुए भी काम करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहूंगा। आज हमारे यहां पाकिस्तान बॉर्डर पर पूरी तरह से डिप्लॉयमैंट है। मगर फिर भी Infiltration is there मण्डी के अंदर बाँउसर की बात कर रहे हैं कि वहां बाँउसर आ

25.08.2015/1540/SLS-DC-3

गए। क्या दिल्ली में पार्लियामैंट के अंदर मिलिटैंट पाकिस्तान से नहीं आए? बाम्बे में भी मिलिटैंट आगर वारदात करठ गए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार

की पूरी कोशिश रहती है कि कानून-व्यवस्था बनी रहे। हमें केवल यह सोचना है कि इस कानून-व्यवस्था में कैसे और सुधार लाना है।

वीरेन्द्र जी ने बात कही कि कशमीर में आतंकवाद फैला है और पूरा देश विदेशी ताकतों के निशाने पर है। जब हमारे माननीय सदस्य जगजीवन पाल जी बोल रहे थे तो इन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया कि केवल प्रदेश की ही बात करो, जबकि वह स्वयं प्रोपोजर हैं। बेसिक प्रस्ताव वीरेन्द्र कंवर जी की ओर से था।

जारी...श्री गर्ग द्वारा

25/08/2015/1545/RG/AG/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री नन्द लाल)----क्रमागत

हम बाहर की भी बात कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कानून-व्यवस्था की बात देश की भी की जा सकती है। हम प्रदेश के बारे में तो बात कर ही रहे हैं। लेकिन इसमें देश का भी एक रोल है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने कश्मीर की बात की। तो हिन्दुस्तान सरकार के पास कितना बड़ा इन्टैलिजैंस नैटवर्क है उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं - I.B, R.A.W. and other Agencies. उनके होते हुए भी कश्मीर में क्या हो रहा है यह हम सब जानते हैं और उसके बाद हमारी कोशिश भी देखिए आप। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के साथ पी.डी.पी. की सरकार बनती है ,तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम अलगाववादियों का धन्यवाद करना होता है, धन्यवाद करना उस तरफ का और जो खतरनाक आतंकवादी आलम है ,उसको तुरन्त रिलीज कर दिया ,उसको अगले दिन छोड़ दिया गया। यह सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां क्या करना चाहती है। केन्द्र सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों को रोके।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप पिछली सरकार से कम्पेयर करें, तो क्राईम का रेट, it is definitely come down. ये बहुत excessive taxation की बात कर रहे थे, हमें सरकारी चार्ट मिला, तो इसमें हमने देखा कि जो क्राईम रेट है ,पिछली सरकार से वर्ष 2007 से

बहुत सारी बातों में अभी कम पाया गया है। जैसे डकैती, चौरी आदि में और दूसरी चीजों में जो बताया जाता है। हमें तो सिर्फ यह सोचना है जैसा माननीय श्री महेश्वर सिंह जी ने कहा कि कानून-व्यवस्था के लिए जो हिमाचल प्रदेश में पुलिस डिप्लॉय की जाती है। उसको कैसे मजबूत करना है ,उसको स्ट्रांग करना जरूरी है। जिस तरह के crime rate बढ़ते जा रहे हैं इसको स्ट्रांग करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि पुलिस को एक अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है, अच्छे gadgetry देने की जरूरत है ताकि उनके इक्विपमैंट्स बहुत अलग क्वालिटी के हों और अपने इनवेस्टीगेशन में वे आगे जाएं। इसी प्रकार उनके डियुटी अवर्स को स्ट्रैच न किया जाए ताकि they get exhausted और वे काम करने लायक भी रह जाते हैं। इसलिए हम भर्तियां करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि अभी जो पुलिस में भर्तियां हुई हैं उससे पुलिस का इजाफा हुआ है। इसके

25/08/2015/1545/RG/AG/2

अतिरिक्त और भी भर्तियों को किया जाए ताकि यह पुलिस फोर्स stressed न हो पाए। क्या आज पुलिस मल्टीफेरियस जॉब में है। वह खाली कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए ही नहीं है बल्कि उनको और भी काम करने पड़ते हैं V.I.P. security and other things also. इसलिए हमारी जो पुलिस की रिक्तियां हैं उनको सरकार जल्दी-से-जल्दी भरे ताकि इनको प्रदेश के अंदर एक अच्छी living condition and latest weaponry के साथ और एक अच्छे लेटेस्ट विपन्ज के साथ इनको रखा जाए ताकि हमारी कानून-व्यवस्था और अच्छी हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, अब यह कहना है कि उस समय अच्छा था, अब खराब है, तो देखिए क्राईम तो तब भी हुए और अब भी हो रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे यहां एक लवी का मेला होता है, पिछले शासन में जब प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री थे, यह नवम्बर, 2010 की बात है। उसमें सरकार का पूरा तंत्र सरकार का पूरा प्रशासन रामपुर में था ,नाईट का फंक्शन चल रहा था। वेन्यु से 50 मीटर दूर एक स्ट्रक्चर था उसके अंदर a boy got stabbed. उसको वहां मारा गया और आज तक कोई खबर नहीं है कि क्या हुआ? तो ऐसा नहीं है, सब कुछ होते हुए भी होता है। सिर्फ हमको पुलिस के लोगों से यही कहना है कि इनको और जाग्रति रखनी है ,इनको और आगे अपने आपको तेज करना है जिससे हमारी कानून-व्यवस्था और अच्छी हो सके। विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं, it is their

compulsion. इनको तो ऐसा बोलना ही है क्योंकि ये विपक्ष में रहते हैं। इनको तो सरकार की निन्दा करनी है जैसे इन्होंने कानून-व्यवस्था के ऊपर यहां प्रस्ताव लाया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई ऐसी अराजकता थी और ऐसी कोई इनकी कम्पलशन थी कि आज ये इस तरह का कोई प्रस्ताव यहां लाते।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है यह कानून-व्यवस्था के लिए, प्रशासन के लिए एक वचनबद्ध सरकार है जिसमें हर कैटागिरी के लोग हैं चाहे महिलाएं, गरीब या अन्य लोग हैं उनके प्रति पुलिस अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए वचनबद्ध है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

25/08/2015/1545/RG/AG/3

अध्यक्ष : समय कम है इसलिए मैं निवेदन करुंगा कि एक-दो सदस्य बोलें और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी उसका जवाब दे देंगे।-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

25/08/2015/1550/MS/Ag/1

अध्यक्ष जारी--------

मैं निवेदन करूंगा कि पांच-छः मिनट से ज्यादा माननीय सदस्य न बोलें क्योंकि अभी बोलने वाले काफी हैं। श्री बिक्रम सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात पांच मिनट में रखें और मुझे मजबूर न करें कि मैं Not to be recorded का शब्द बोलूं।

श्री बिक्रम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट से ज्यादा समय बोलने के लिए नहीं लूंगा लेकिन अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं 10 मिनट बोलूंगा।

अध्यक्ष: एक बात है, आपका समय बाकियों ने ले लिया है।

श्री बिक्रम सिंहः कोई बात नहीं। अध्यक्ष जी, नियम 130 के अन्तर्गत जो चर्चा हो रही है मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेसी मित्रों ने इस चर्चा का टाइटल ढंग से पढ़ा ही नहीं है। उसमें लिखा है कि प्रदेश की वर्तमान कानून-व्यवस्था पर यह सदन विचार करे। मैं मित्रों की चर्चा सुन रहा था। भाई जगजीवन पाल जी और श्री नन्द लाल जी अभी बोल रहे थे। इन्होंने वर्तमान में कानून-व्यवस्था को कैसे ठीक करना है, क्या हो रहा है इस पर कोई चर्चा नहीं की। दिल्ली में क्या हो रहा है और वर्ष 2010 में क्या हुआ, इन बातों पर यहां चर्चा हो रही है। कई माननीय सदस्यों ने तो यहां तक कहा कि इस चर्चा की जरूरत ही नहीं थी, इसको गलत लाए। लेकिन यह चर्चा इसलिए लाई गई क्योंकि आप लोग अढाई वर्षों से प्रदेश के अंदर सरकार चला रहे हैं और सरकार चलाते-चलाते सरकार कई बार मदहोश हो जाती है, इसलिए इस प्रकार की चर्चाओं का होना जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि प्रदेश के मुख्य मंत्री सारी बातों को जानते हों। कई बार पता नहीं चलता है। कई बातें ऐसी होती हैं जो विपक्ष के माध्यम से आपको पता चलती हैं। लेकिन बातों को हमें सार्थक तौर पर लेना चाहिए, नेगेटिव वे(way) से नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा होता है कि जो हमारे लोग बोलते हैं उनकी बात को काटने के लिए आप लोग बोलते हैं। अच्छा होता अगर आप लोग प्रदेश की वर्तमान कानून-व्यवस्था के बारे में चर्चा करते तो उसमें से कुछ-न-कुछ अच्छा निकलता। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह चिन्ता का विषय है कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर कानून-व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। कोई भी विषय ले लीजिए।

25/08/2015/1550/MS/Ag/2

क्योंकि पांच मिनट का समय बोलने के लिए है तो मेरा कहना है कि हमारे क्षेत्र के अंदर कानून-व्यवस्था की स्थिति इसलिए बिगड़ी है क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर खास करके जो नया एरिया आया है, वहां पर ड्रग माफिया पूरी तरह से सक्रिय है। 15 अगस्त को गरली पंचायत के 70 लोग डी0एस0पी0 ज्वालाजी से मिले कि वहां पर

बच्चे भांग पी रहे हैं और जब उनको भांग का नशा नहीं हो रहा है तो वे टीके लगा रहे हैं। वहां कुछ बुद्धिजीवी लोग भी गए थे और कुछ लोग ऐसे गए थे जिनके बच्चे इस समस्या से ग्रस्त हैं। मैंने भी डी0एस0पी0 साहब से बात की है। वह कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ कि आप लोग भी इसके लिए बोल रहे हैं। उससे पहले भी हमने कई बार यह शिकायत की है कि हमारे क्षेत्र के अंदर स्मैक बिक रहा है। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति जब उस गांव के अंदर जाता है, मुझे पता है कि स्मैक कौन बेच रहा है लेकिन पुलिस को पता नहीं है कि कौन बेच रहा है। यानी मेरे क्षेत्र के अंदर भांग बेची जाती है और पुलिस को पता नहीं है कि कौन बेच रहा है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक या तो पुलिस वाले उनसे भांग लेते हैं या पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए हैं या पुलिस वालों के पास इन कामों के लिए समय नहीं है। क्योंकि पुलिस वालों को और बड़े काम दे दिए हैं। जो अच्छे-अच्छे पुलिस ऑफिसर्ज हैं उनके बारे में बड़ी लम्बी-चौड़ी चर्चा यहां पर सुबह से हुई है। इसलिए हमारी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हमारे बारे में यह न सोचें कि हम केवल आलोचना करने के लिए ये सारे विषय ला रहे हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र के साथ ,एरिया तो यह दूसरा लगता है लेकिन वहां स्मैक का कारोबार बड़े जोरों से चल रहा है। भदरोह उसका अड्डा है। मिलमा में भी यह बहुत ज्यादा चल रहा है। ये एरियाज पंजाब के साथ सटे हुए हैं। आज पंजाब की जिस समय चर्चा होती है, यह बोला जाता है कि वहां पर बहुत सारे इस प्रकार के काम चले हुए हैं। इन सारे कारणों से कानून-व्यवस्था की जो बात हो रही है क्योंकि मेरे क्षेत्र के अंदर दिनांक 2014-7-27को संसारपुर टैरेस में ए0टी0एम0 की चोरी हुई है। मैं इन चीजों को इसलिए जोड़ रहा हूं कि जो लोग नशा करते हैं जिस समय उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उस समय वे इस प्रकार के काम करते हैं। आप न ही भांग वालों को पकड़ रहे हैं ,न ही चरस वालों को पकड़ रहे हैं। आप चोरियों वाले को भी नहीं पकड़ रहे हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----------

15/25.08.20155/5जेएस/डीसी/1

श्री बिक्रम सिंहः-------जारी-------

जो लोग नशा करते हैं, जिस समय उनके पास पैसे नहीं होते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं। आप भांग वाले को भी नहीं पकड़ रहे हैं और न ही चरस वाले को पकड़ रहे हैं। दिनांक 27.9.2014 को कोटला बेड़ के अन्दर चोरी होती है। 19.2.2015 को कस्बा-कोटला के अन्दर चोरी होती है। 19.8.2015 को करोआ के अन्दर ए.टी.एम. की चोरी होती है। नैनपुखर का ए.टी.एम. तोड़ दिया जाता है। 25.7.2015 को रीड़ी कुठेरा हमारे संसारपुर टैंरेस के साथ क्षेत्र है वहां पर पूरे परिवार को कुछ सूंघा लिया गया और कुत्ते को भी सुंघा दिया और वह कुत्ता अगले दिन दो बजे उठा। वहां से रात को 35 तोले सोना और 26 हजार रूपये नगद ले गए। मुख्य मंत्री महोदय मैं यह बातें यहां पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस समय यहां पर कोई अखबारों की कटिंग को बताता है तब भी आप लोगों को तकलीफ होती है कि यह गलत हो रहा है। आप अखबारों की बात कर रहे हैं। जिस समय हम किसी का नाम ले कर बोलते हैं तब भी यह कहा जाता है कि आप नाम ले कर बोलते हैं, लेकिन ये जितने भी विषय हैं इन सारे विषयों के ऊपर गम्भीरता से चिन्तन करना चाहिए ताकि आने वाले समय में यह जो व्यवस्था बनी है यह व्यवस्था न बनें। एक छोटी सी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक ग्राम पंचायत बाड़ी के अन्दर महिला प्रधान है। उस प्रधान को वहां पर कुछ शरारती तत्वों ने मारा है। शरारती तत्व बोल रहा हूं यदि पार्टी का नाम लेता हूं तो फिर आप नाराज होंगे। उसका केस संसारपुर टैरेस चौकी में दर्ज़ करवाया गया। आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। इलाके के अन्दर जगह-जगह पर खनन की समस्याएं आ रही हैं। यहां पर लम्बी डिटेल में चर्चा हुई है लेकिन मैं यहां पर एक क्षेत्र का नाम लूंगा चमुखा जो कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के साथ लगता है। नादौन के साथ बिल्कुल लगता है। वहां पर खनन इतना ज्यादा हो रहा है। वहां पर जो भी रोकने के लिए जाता है उसके साथ मारपीट की जाती है। माननीय मुकेश जी यहां पर बैठे हैं। इनकी बड़ी अच्छी टीम है और मैं चाहूंगा कि वहां पर उस टीम को भेजा जाए। वहां पर भी कानून-व्यवस्था बहुत बिगड़ी है और आने

15/25.08.20155/5जेएस/डीसी/2

वाले दिनों में वहां पर मर्डर भी हो सकता है। मैं यहां पर इतना ही बोलते हुए क्योंकि यहां पर काफी मित्रों ने बोलना है, मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय इन सभी बातों को गम्भरता से लें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

15/25.08.2015 5/5जेएस/डीसी/3

अध्यक्षः श्री रणधीर शर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री रणधीर शर्मः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ विधायक, श्री रविन्द्र सिंह तथा श्री वीरेन्द्र कंवर जी ने कानून-व्यवस्था पर नियम-130 के अन्तर्गत यहां पर चर्चा शुरू की और उस चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे भी आपने समय दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कानून-व्यवस्था पर चर्चा बहुत ही सार्थक समय पर आई है। ऐसा नहीं है कि हर सैशन में कानून-व्यवस्था पर चर्चा होती है, इसलिए चर्चा हो रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश जिसे शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। देवी-देवताओं की स्थली के रूप में जाना जाता है। उस प्रदेश में जब बलात्कार की घटनाएं बढ़ें, हत्याओं की घटनाएं बढ़ें, मंदिरों से मूर्तियों की चोरियों की घटनाएं बढ़ें और इन घटनाओं के बढ़ने के बाद दोषियों को पकड़ा न जाए, उससे भी बड़ी बात कि उन दोषियों को बचाने का काम सत्तापक्ष के लोग करें तो इस विषय पर चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं यहां पर श्री रविन्द्र सिंह और श्री वीरेंद्र कंवर जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यह चर्चा लाई । अध्यक्ष महोदय, आप यह जानकर हैरान होंगे कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है अभी तीन साल का समय पूरा होना है, परन्तु इस कार्यकाल में ही 306 हत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं। कई मामले ऐसे होते हैं जो दर्ज नहीं होते हैं। 306मामले तो मर्डर के, हत्याओं के दर्ज हुए हैं। उसी तरह से 714 मामले बलात्कार के सामने आए हैं जो दर्ज़ हुए हैं। 3,670 मामले चोरी के हिमाचल प्रदेश में दर्ज़ हुए हैं। तीन साल का कार्यकाल अभी पूरा होना है। ये ढाई साल के आंकड़ें हैं, जो दर्शाते हैं कि हिमाचल प्रदेश की

कानून-व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ चुकी है और उसे सुधारने के लिए जो सरकार को कदम उठाने चाहिए थे वह सरकार कदम नहीं उठा रही है। हमारे साथियों ने विस्तृत रूप से चर्चा की। मैं उन घटनाओं का जिक्र करना नहीं चाहता परन्तु कुछ घटनाएं निश्चित रूप से ऐसी है जो चिन्ता पैदा करती है कि हिमाचल प्रदेश के हालात कहां पहुंचे हैं।

15/25.08.20155/5जेएस/डीसी/4

चाहे वह ऊना में विस्टफोट की घटना हो। दुख इस बात का होता है जब सत्ता पक्ष मजाक में बात करते हैं जैसे कि दीपावली का बम्ब फटा हो।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी--------

/1600/25.08.2015केएस/एएस/1

श्री रणधीर शर्मा जारी---

चाहे वह ऊना में विस्फोट की घटना हो। दुख तब होता है जब सत्ता पक्ष के लोग मज़ाक में बात करते हैं कि धमाका हुआ जैसे पता नहीं दीपावली का बम्ब फटा हो। वह विस्फोट हुआ है। आप उसको बम्ब फटने या धमाके के नाम से हल्के में मत लीजिए। 15 अगस्त के दिन नाहन में विस्फोट होता है। यह कहीं हिमाचल प्रदेश में आतंकवाद शुरू होने के संकेत तो नहीं है? सरकार को इस तरफ गम्भीरता से देखना चाहिए। पंजाब से कमांडो आते हैं, उनको बाऊंसर बोला जाता है और वो आ कर किस तरह से आई.आई.टी. में दिन-दिहाड़े गोलियां चलाते हैं और किस तरह से वहां पर गुंडागर्दी का नंगा नाच होता है, वह आप सबने देखा। यह हिमाचल प्रदेश के हालात है। ये तीन घटनाएं ही बहुत है उन हालात को प्रदर्शित करने के लिए। बाकी जो जगह-जगह भिन्न-भिन्न विधान सभा क्षेत्रों में घटनाएं घटी हैं वह सबके सामने हैं और यह चिन्ता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था बिगड़ने के आखिर कारण क्या है? क्यों जब कांग्रेस की सरकार आती है तभी हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती है?

क्यों तभी ये आंकड़े इतने बढ़ते हैं? इसका कारण यह है कि कांग्रेस की सरकार में बैठे कर्णधार हमेशा असामाजिक तत्वों को, गुंडा तत्वों को संरक्षण देते हैं। हमेशा उन तत्वों को बढ़ावा दिया जाता है जो गुंडागर्दी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सतपाल सत्ती जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमले की चर्चा की। क्या यह सच्चाई नहीं है कि उस घटना में जिन्होंने पथराव किया, गुंडागर्दी की, चार दिन के बाद उन्हें ही सरकार में चेयरमैन के पद से सुशोभित कर दिया गया? क्या उन्हें गुंडागर्दी करने का सम्मान दिया गया? क्या यह सत्य नहीं है कि वहां पर जो गुंडागर्दी करने वाले थे उनमें दो तो सीटिंग चेयरमैन ही थे ,क्योंकि वह गुंडागर्दी करते हैं ?प्रदेश में ऐसी अनेक घटनाएं हैं, अभी शनिवार को रामपुर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने पुलिस कर्मचारी पर हमला किया। मुख्य मंत्री महोदय के प्राईवेट आवास के नज़दीक की घटना, कांग्रेस

/1600/25.08.2015केएस/एएस/2

के पदाधिकारी पुलिस के कॉंस्टेबल से मारपीट करते हैं । कोई मामला दर्ज नहीं होता उल्टा उस कॉंस्टेबल की बदली पुलिस लाईन में कर दी जाती है, ये घटनाएं दर्शाती हैं और जो आदरणीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि कानून सबके लिए एक होता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला हुआ, आपका बेटा नेतृत्व कर रहा था। आप गृह मंत्री भी हैं, आपको बोलने से पहले आवश्यकता थी कि जांच होने देते परन्तु अभी आप दिल्ली से शिमला नहीं आए थे, आपने रास्ते में ही कह दिया वहां कांग्रेस वालों का कोई कसूर नहीं है। जब गृह मंत्री बिना जांच किए क्लीन चिट दे दें तो जांच रिपोर्ट में आएगा क्या? जब मुख्य मंत्री क्लीन चिट दे दें तो जांच रिपोर्ट में किस पुलिस अधिकारी की हिम्मत है कि वह किसी मुख्य मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम दर्ज करवा दें। कानून व्यवस्था बिगड़ने के ये कारण हैं। धर्मशाला में बलात्कार की घटना हुई। वह सच था या झूठ था, हम नहीं कह रहे लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि जांच होने से पहले ही मुख्य मंत्री महोदय ने क्लीन चिट दे दी कि नहीं-नहीं बलात्कार हुआ ही नहीं है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह मैंने कभी नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा।

श्री रणधीर शर्माः आपने धर्मशाला जा कर कहा । आपने जांच होने से पहले अखबारों में कहा।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो मामला कोर्ट में है, इन्वैस्टिगेशन में है, मैंने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा।

श्री रणधीर शर्माः आपने कहा था। अभी तो पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई थी ।

मुख्य मंत्रीः Don't put words in my mouth.

/1600/25.08.2015केएस/एएस/3

श्री रणधीर शर्माः मुख्य मंत्री महोदय, जो आपने कहा वह अखबारों में छपा था। आपने इन दोनों प्रमुख घटनाओं का खंडन किया था।

मुख्य मंत्रीः अखबार की बात मत करिए। अखबार क्या कोई गीता है, कोई धर्मग्रन्थ है? इतने अखबार है, उनमें क्या छपता है, अगर मैं उन सबका खंडन करने लग जाऊं तो सारा समय तो इसी में लग जाएगा। आप झूठ मत बोलिए। आप मुझे कोट करके कहते हैं it is wrong. मैंने कभी नहीं कहा । कोई बलात्कार हुआ, चोरी या डकैती का काम है या कोई जुल्म किसी ने किया है उसके बारे में कभी झूठ नहीं कहा। धूमल जी, आप अपने सदस्यों को कहिए कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, यह तथ्य है। इन्होंने कहा, अखबारों में छपा। अगर इन्होंने नहीं कहा होता तो ये खंडन करते और इनकी पुरानी आदत है, कह देते हैं फिर शब्द वापिस ले लेते हैं, फिर मुकर जाते हैं परन्तु मुख्य मंत्री महोदय ऐसा करने से हम तो शांत हो जाते हैं, जब आप शब्द वापिस लेते हैं लेकिन उन शब्दों से जो प्रदेश की जनता पर असर होता है, जो कानून व्यवस्था बिगड़ने का असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है--

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

25.8.2015/1605/DC/av/1

श्री रणधीर शर्मा------क्रमागत

असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है; उसको फर्क नहीं पड़ता।

मुख्य मंत्री : ऐसा है, यह जिस अखबार में छपा है आप मुझे उसकी कटिंग दीजिए।

श्री रणधीर शर्मा : बिल्कुल भेज देंगे।

मुख्य मंत्री : आप फिजूल की बात करते हैं। देखिए, अखबार में कई बातें लिखी जाती हैं और हर चीज मेरे नोटिस में नहीं आती। मैं कह रहा हूं कि मैंने कभी ऐसे शब्द नहीं कहे।

श्री रणधीर शर्मा : आपने हमेशा क्लीन चिट दी है और हम आपको उसकी कटिंग दे देंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण राजनैतिक हस्तक्षेप है। कांग्रेस सरकार हमेशा पुलिस विभाग को दूसरे विभागों की तरह चलाती है। पुलिस विभाग में निष्पक्षता होनी चाहिए और विश्वसनीयता बरकरार रहनी चाहिए। वहां तो स्थानांतरण के लिए भी पुलिस ऐस्टेब्लिशमैंट कमेटी बनी हुई है। मगर दुःख का विषय यह है कि आज भी पुलिस विभाग में स्थानांतरण के आदेश मुख्य मंत्री कार्यालय से आते हैं और उन्हीं के आधार पर स्थानांतरण कर दिए जाते हैं। वहां पी.ई.सी. एक औपचारिकता बनकर रह गई है। कोई नियम कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि किसी एस.पी. को कम-से-कम दो साल तो किसी एक जिला में रहने दो। दो साल से पहले स्थानांतरण करने के भी कुछ कारण होने चाहिए। मुख्य मंत्री जी, आपने तो दो-दो महीने बाद एस.पी. बदल दिए, एक-एक महीने बाद कांस्टेब्ल और हैड कांस्टेब्ल बदल दिए। आपके कांस्टेब्ल और हैड कांस्टेब्ल अपने लोकल थानों और चौकियों में बैठे हुए हैं। आज स्थिति यह है कि हमारे बिलासपुर जिला में 12 पुलिस कांस्टेब्ल और हैड कांस्टेब्ल की सिक्योरिटी

25.8.2015/1605/DC/av/2

में ड्यूटी है। वे क्या सिक्योरिटी करते हैं कुछ पता नहीं। वे न तो वी.आई.पी. में, न थाने में और न ही चौकी में है। वे घर पर रहकर या तो अपने घर का काम करते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी का काम करते हैं। उनका राजनैतिक कार्यों में इस्तेमाल हो रहा है। अगर बिन्दल जी मुख्य मंत्री महोदय को ज्ञापन देने की कोशिश करते हैं तो ये चुने हुए विधायक है। आप वहां इनको रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को तो खड़ा कर देते हैं मगर जो ऊना में विस्फोट करके जाते हैं उनको ढूंढने के लिए पुलिस नहीं लगाते। आप जो पुलिस विभाग में इस तरह का राजनैतिक हस्तक्षेप करके पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं उसके कारण भी इस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं। आपने पुलिस को असली काम से हटा दिया है। हालांकि उद्योग मंत्री जी ने माइनिंग गार्ड लगा दिए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि माइनिंग गार्ड ने कितने चालान किए हैं? शायद कोई नहीं किए। वह चालान भी पुलिस वाले करेंगे। जंगलों में गैर कानूनी ट्री फैलिंग के लिए फॉरेस्ट गार्ड है मगर उसमें भी पुलिस देखेगी। हर विभाग का काम पुलिस वाले कर रहे हैं। यहां तक कि स्कूलों में भी अगर दो अध्यापक आपस में लड़ जाए तो उसको सुलझाने के लिए हैड मास्टर को मौका नहीं मिलता, वहां भी पुलिस आती है। इस तरह से हर जगह पुलिस है। उनका जो कानून-व्यवस्था कायम रखने का काम है उस पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि पुलिस तो दूसरे कार्यों में व्यस्त है। अगर कुछ पुलिस है तो वह हराये हुए और जनता द्वारा नकारे हुए लोगों की पायलट में लगे हुए हैं। सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। जिनको महामहिम राज्यपाल महोदय ने मंत्रियों की शपथ दी उनको तो पायलट नहीं मिल रहा है मगर जिनको आपने चेयरमैन बनाकर केबिनैट रैंक दे दिया वे आगे पायलट और पीछे ऐसकोर्ट लेकर घूम रहे हैं। पुलिस का इस्तेमाल ऐसे कार्यों में हो रहा है। शुरू-शुरू में तो गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जा रहा था। मुख्य मंत्री जी शुरुआत घर से करनी चाहिए। आपका बेटा विक्रमादित्य सिंह युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है। वह न विधायक है और न ही एम.पी. है मगर उसको भी पायलट दी हुई है। इसकी क्या जरुरत थी? इस तरह

से जो पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है उसके कारण पुलिस का असली कार्य प्रभावित हो

25.8.2015/1605/DC/av/3

रहा है। इसीलिए कानून-व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। (---घण्टी---) सर, दो मिनट की बात है। जो समय उन्होंने लिया, मुख्य मंत्री जी बीच में बोले हैं। इनकी पुलिस राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने में लगी हुई है। कभी धूमल जी के खिलाफ मुकदमा, कभी सांसद के खिलाफ और कभी एम.एल.एज. के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने में लगी है। चोरी और हत्या का मुकदमा पुलिस दर्ज करे न करे परंतु यदि विपक्ष के एम.एल.ए. या एम.पी. के खिलाफ बात आए तो पुलिस कानून साइड में रखकर मदद करती है। वहां एफ.आई.आर. एक महीने के बाद भी दर्ज हो जाती है-------------

श्री टी.सी.वर्मा द्वारा जारी

/1610/25.08.2015टीसी/ए0एस1/0

श्री रणधीर शर्मा --------जारी

दर्ज हो जाती है। पुलिस इन कामों में लगी है इसलिए अध्यक्ष महोदय कानून व्यवस्था तो बिगड़नी है। इसलिए इनको कानून व्यवस्था का ध्यान नहीं है। अगर इनको गिनाने लगूँ तो अध्यक्ष महोदय आप समय नहीं देंगे । कितनी मोटी फाईल है, यह केवल तीन महीने की फाईल है। आप समय नहीं देंगे, परन्तु अखबारों की सुर्खियां रोज़ बनी होती है कि किस तरह से कानून व्यवस्था का जनाज़ा हिमाचल प्रदेश में निकला है। मैं तो हैरान हूँ । अगर एक को भी पढ़ूं -पुलिस बेबस, 31 दिन 21 चोरियां, मर्डर-मर्डर-मर्डर आप देख लीजिए। आपके सामने हैं। यहां एक और है नाहन विस्फोट के व्यक्ति को बचाया जा रहा है। कौन कर रहा है। सारी कटिगं को पढ़ूंगा तो समय लगेगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, दुख का विषय है कि आज हिमाचल प्रदेश

में इस तरह कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। हमारे साथियों ने काफी चर्चा की है। आप मौका बाकियों को देते हैं, लेकिन सारे प्रदेश की तस्वीर नज़र आ जाती है। परन्तु मैं कहना चाहूँगा कि आज तो हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि इनके चहेतों ने भी ऊंगलियां उठानी शुरू कर दी है। बिलासपुर जिला में इन्होंने अपने चहेतों को कैबिनेट रैंक दिया है। जनता द्वारा हराने के बावजूद चेयरमैन, कैबिनेट रैंक दिया है। सोशल मिडिया पर एक न्यूज पोर्टल चल रहा है, उसमें कल इनका इन्टरव्यु आता है और वह कहते हैं, जिला बिलासपुर का प्रशासन और पुलिस पंगु हो चुकी है। ये सब हमने नहीं कहा यह सब आपके साथी कह रहे हैं, जिनको आपने कार दी है, कोठी दी है, दो-दो गाड़ियां दी है। हमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं। परन्तु सच्चाई ये है कि बिलासपुर की पुलिस पंगु है और पंगु बनाने वाले भी ये ही हैं। आज तकलीफ़ हो रही है। अध्यक्ष महोदय अभी यहां पर चर्चा हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। पूर्व मंत्री जी का बेटा है । कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है। हमारी कन्स्टीच्वंसी के एक लड़के को फोन पर डराता है, धमकाता है। उसकी रिकार्डिगं होती है। उसकी पुलिस में बाईनेम शिकायत दर्ज होती है। मैं यह सदन में उल्लेख करने को तैयार हूँ । अध्यक्ष महोदय उसको इसलिए रोकना पड़ता है क्योंकि वह मुख्य मंत्री के सामने दूसरे व्यक्ति को धक्का देता है। ये सब कारण है,

/1610/25.08.2015टीसी/ए0एस02/

आज पुलिस को पंगु उन्होंने ही बनाया है। सच्चाई यह है कि पुलिस पंगु बनी है। परन्तु वह कांग्रेस के लोगों के लिए बनी है। असामाजिक तत्वों के लिए बनी है, गुण्डा तत्वों के लिए बनी है। विपक्ष के लोगों के लिए बड़ी प्रोएक्टीव है। 22दिन की कम्पलैंड के बाद भी महीने के बाद एफ0आई0आर दर्ज होती है। परन्तु वह सच्चाई की घटना, विद प्रुफ उस पर आज तक एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय ये हालात बिलासपुर जिला के हैं। कौंडल जी की कॉन्स्टीच्वंसी में दो मर्डर हो गए । एक मर्डर में तो बी0जे0पी0 के वर्कर ही अन्दर किए हुए हैं । पंचायत के प्रधान जिनका कोई लेना-देना ही नहीं है और एन0जी0ओ0 लीडर इसमें अन्दर किए गये हैं। बदले की भावना से काम किया गया। एक व्यक्ति को पुलिस ने मार-मार के

मार दिया और बाद में उसको सुसाइड का केस बना दिया। कौंडल जी ने यह मामला पिछले सैशन में उठाया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ए0टी0एम0 चोरी हो गया । अध्यक्ष महोदय में बताना चाहूँगा खारसी में पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर ए0टी0एम0 चोरी हो गया। आज तक दोषी नहीं पकड़ा गया।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी ----

25082015/1615/AG-NS/1

श्री रणधीर शर्मा द्वारा ----- जारी

ए.टी.एम. चोरी हो गया। आज तक दोषी नहीं पकड़ा गया। मुख्य मंत्री जी जिस दिन आप 8 जुलाई को बिलासपुर,सर्कट हाऊस में ठहरे थे । सर्कट हाऊस से 150 मीटर की दूरी पर मेन मार्किट में ए.टी.एम. चोरी हो गया। आज तक उनको नहीं पकड़ा गया। इसलिए हालात बहुत साफ हैं। अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता है आज पुलिस के जो खाली पद हैं उनको भरा जाए। आवश्यकता है कि पुलिस की मोर्डनाइजेशन की जाए। मैं और एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि पुलिस की मोर्डनाइजेशन हुई नहीं हुई लेकिन चोरों ने मोर्डनाईजेशन कर ली। अभी पिछले हफ्ते मुख्य मंत्री मज़ाक में न लें चोरों ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में पंजाब से (व्यवधान---) सर आपके जिला में रहते हुए पुलिस सो जाए तो जब आप नहीं होगें तो पुलिस का क्या हाल होगा। ये बोलना चाह रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, पंजाब सीमा के साथ चोरों ने पिछले हफ्ते तीन घरों में चोरी की और उनसे गहने/नकदी ले गए और जो घर वाले सोये हुए थे उन पर स्प्रे से बेहोश कर दिया । मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि चोर कितने मोर्डनाइज़ हो गए हैं। पुलिस को भी इस तरह से मोर्डनाइज़ करने की जरूरत है। प्रोएक्टिव करने की जरूरत है। पंजाब के बार्डर पर पुलिस गश्त करे इसकी आवश्यकता है। पंजाब की सीमा पर बैरियर लगाए जाएं ताकि पंजाब से इस तरह के सामाजिक तत्व न आएं।

Speaker: No further recording please. If you don't stop then we will stop you also.

25082015/1615/AG-NS/2

श्री बम्बर ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम- 130 के अंर्तगत अन्तिम क्षणों में चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह से विपक्ष के कई नेताओं ने इस मुद्दे से हटकर के भी कई बातें की। आपको लॉ एंड ऑर्डर पर बोला था लेकिन आपने ट्रांसफरों से लेकर के और सारे मसले आपने उठा लिए जो आपने इस पूरे मसले को राजनीतिकरण का रंग दिया। सती जी बड़े प्यार -प्यार से बोले लेकिन उन्होंने राजनीति की पूरी बातें बोली। मैं वन विभाग के बारे में आपने सुबह कहा । मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा प्रदेश है छोटी-बड़ी घटनाएं आपके समय में भी हुई अब भी होती हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि अधिकारियों को जब हम कारवाई करते हैं तो आप कहते हैं कि कारवाई नहीं होती। जब चोरों को पकड़ते हैं तो आप कहते हैं कि यह चोर क्यों पकड़ा? हमने मगनी राम नाम का चोर पकड़ा। मगनी राम नाम का एक ठेकेदार पकड़ा जो प्रधान है । जो चम्बा क्षेत्र के अंदर वन कटा रहा था। जब उसके ऊपर एफ.आई.आर. और उसको अंदर दिया तो आप कहते हैं कि उसको अंदर क्यों दिया। हमने असली कलप्रिट पकड़ा। तस्कर को पकड़ा तो विपक्ष को समस्या हो रही है और यदि न पकड़ें तो कहते हैं कि यह घटना हो रही । आप क्यों नहीं पकड़ते? आपके शासन के अंदर कितने अपने बगीचों तक को आपने सड़क बनाने के लिए कितने पेड़ काटे? अपने घरों को सड़क बनाने के लिए आपने कितने पेड़ काटे। मैं एक-एक विधायक का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मेरे पास पूरे दस्तावेज़ हैं। बैम्लोई के अंदर आपने क्या किया? वहां पर आपने सैंकड़ों पेड़ों को रातों-रात काट दिया। (व्यवधान) आपने ही यह मुद्दा उठाया था। जब वहां सैंकड़ो पेड़ काटे तब आपका पुलिस प्रशासन कहां था? उस समय तो आपने कोई आवाज नहीं उठाई। आप उस समय बोलते तो हम मानते कि वाकई आप प्रदेश के हित की बात करते हैं। आपने हल्फनामे दिए माननीय धूमल साहिब की सरकार के अंदर जो राजस्व मंत्री थे उन्होंने कहा कि सारी अवैध जगह जिन-जिन के पास है उसके हल्फनामे दीजिए। आपने हल्फनामे दिए जिस-जिस

25082015/1615/AG-NS/3

का कब्जा है। सबने धड़ल्ले से हल्फनामे दिए । आपने यह कहकर लोगों को ठगा कि आपके कब्जे नियमित कर देंगे। आपने पैसे भी इक्टठे किए। उसको इक्टठा करने के लिए आप बहुत माहिर हैं। चंदा इक्टठे करने के लिए आपको पूरे देश में नंबर वन का ईनाम दिया जा सकता है। जैसे-तैसे आप वोट भी और नोट भी इक्टठा करते हैं । यहां पर भी आपने पैसा इक्टठा किया और लोगों को ठगा। 1,67 000 हल्फनामे आपने दिए थे।

श्री नेगी द्वारा ----- जारी।

25.08.2015/1620/negi/ag/1

श्री बम्बर ठाकुर.. जारी...

आपने 1 लाख 67 हजार हल्फनामें लिए थे। लोगों ने जो हल्फनामें दिए आज उस वजह से हाईकोर्ट को भी उनके ऊपर शिकंजा कसने का मौका मिल गया है। आज मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मजबूरी-वश कोई छोटे-मोटे कब्ज़ किए हैं उनको नियमित करने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है। जिन लोगों ने जान-बूझ करके बेश-कीमती ज़मीन को हथियाने के लिए कब्ज़े किए हैं उनको हटाया जाएगा। इसमें विपक्ष के बड़े-बड़े लोगों ने बेश-कीमती भूमि शहरों के अन्दर कब्ज़े किये हैं। अब उसको हटाएंगे तो आप लोग कहेंगे यह क्यों हट रही है। जो जरूरतमंद है जिन्होंने मज़बूरी-वश कब्जा किया है, यदि उस गरीब को हम ज़मीन देते हैं तो आप कहेंगे कि यह दोहरा माप-दण्ड हो गया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिलासपुर के अन्दर कॉलेज चौक और गुरूद्वारा चौक पर करोड़ों रूपये की बेश-कीमती ज़मीन चन्द भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घेर करके रखा है और वहां पर शॉपिंग कॉम्पलैक्स बनाया है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए किसने उनको शह दी ? जो गरीब लोग हैं, चाहे वे कांग्रेस के हैं और चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं जिन्होंने मजबूरी-वश कोई कब्जा किया है उसको नियमित किया जाना चाहिए।

जब सरकार इस प्रकार का फैसला करना चाहती है तो उसके बीच में भी आप अड़ंगे डालते हैं, उसमें भी आप टांग फसाने की कोशिश करते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। भाखड़ा विस्थापितों को आपने क्या दिया? हमारे मुख्य मंत्री जी ने मिनी सैटलमैन्ट भी किया और अब 150 वर्गमीटर भूमि कांग्रेस सरकार ने भाखड़ा विस्थापितों को दे दी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो बेश-कीमती ज़मीन कब्ज़ा करके रखी है अब जब हम उसको हटाने जा रहे हैं तो उसमें भी भाजपा के नेता कह रहे हैं कि नहीं हटनी चाहिए, हम यहां पर हड़ताल करेंगे। विस्थापितों को ज़मीन नही मिल रही है। लेकिन जब हम उस बेश-कीमती ज़मीन पर से कब्ज़े हटाने की बात करते हैं और विस्थापितों को ज़मीन देने की बात करते हैं तो आप वहां पर हड़ताल करने की बात कर रहे हैं। यह कैसा दोहरा माप-दण्ड है ,

25.08.2015/1620/negi/ag/2

इसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय रणधीर जी आधा घंटा बोले। .....(व्यवधान)..

अध्यक्षः बोलने दीजिए। Let him Speak. ......(व्यवधान)...

श्री रिखी राम कौंडलः माननीय सदस्य बिलासपुर का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्ज़े किए हैं, आप उनके नाम कोट कर दें।

मुख्य मंत्री : यह आपके बारे में नही कह रहे हैं। यह प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए कह रहे हैं और आप प्रभावशाली नहीं हैं। .....(व्यवधान)...

श्री बम्बर ठाकुरः सुनिये। कानून-व्यवस्था को ठीक करने में आप अड़चन पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रमुख व्यापारियों ने कॉलेज़ चौक के ऊपर और गुरूद्वारा चौक के ऊपर कब्ज़ा करके रखा हुआ है और वहां पर बड़े-बड़े कॉम्पलैक्स खड़े किए हैं। एक व्यक्ति ने तो पब्लिक टॉयलेट को घेर रखा है, उसके चारों तरफ से अपना मकान बना दिया और उसके बाद पब्लिक टॉयलेट तोड़ दी। यह आपके लोगों ने काम किया है। जब उसके ऊपर कार्रवाई हो गई तो फिर उसके बाद आपके

नेता कहते हैं कि इसको छोड़ दो। यह मैं आपसे कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक लॉ एण्ड आर्डर की बात है, माननीय धूमल साहब आप मुख्य मंत्री थे। *** यह मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके बाद आपने क्या...

Contd. By UK

*** Expunged as ordered by the Chair.

/1625/25.08.2015यूके/एएस1/

श्री बम्बर ठाकुर----जारी---

यह मैं आपसे कहना चाहता हूं तब उसके बाद आपने क्या ऐक्शन लिया? *** मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पुलिस की बात कर रहे हैं ?आप कहते हैं कि पुलिस महकमा पंगु हो गया है । तब कहां था लॉ एंड ऑर्डर जब फोन टैपिंग हो रही थी? जब हमारे कांग्रेस के नेताओं और भाजपा के नेताओं के भी फोन टैप किए जा रहे थे । *** इस तरफ भी मैं विपक्ष का और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आप इसका जवाब दीजिए । लॉ एंड ऑर्डर तब कहां था?

आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आक्रमण हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमने आपको इन्फार्म किया था, हमारे टिका साहब ने इन्फार्म किया था, माननीय धूमल साहब को कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन आपको देंगे। लेकिन एक किलोमीटर पीछे ही आपके लोगों ने पथराव करना शुरु कर दिया। जब राहुल गांधी जी के घर पर माननीय अनुराग ठाकुर जी गए थे, हम तो ऑफिस की तरफ जा रहे थे लेकिन आपने तो राहुल गांधी के घर पर ही धरना दे दिया। आपने वहां पर जा कर के हमला कर दिया ,इसलिए यह दृष्टिकोण अलग-अलग नहीं होने चाहिएं। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, काइंडली वाइंड अप।

***** Expunged as ordered by the Chair.**

/1625/25.08.2015यूके/एएस/2

श्री बम्बर ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जब आपकी सरकार थी, जब 2007 से लेकर 2012 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब मैं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारे ऑफिसर लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपने एक मजिस्ट्रेट से मेरे ऊपर एफ0आई0आर0 करवाई, तब लॉ एंड ऑर्डर कहां था? आज भी मुकदमा चल रहा है। मैं भुगत रहा हूं उसको। आप मजिस्ट्रेट से हमारे ऊपर मुकदमें करवा रहे हैं

श्री रिखी राम कौंडलः आपने कोई पंगा लिया होगा।

श्री बम्बर ठाकुरः यदि कोई अफसर कोताही करता है तो हम उसका घेराव करना जानते हैं और हमने किया है। लेकिन उसका क्या मतलब है कि आप एस0सी0/एस0टी0 के तहत मुकदमा दायर करवा देंगे ? आज दो-दो चीज़ें आप कर रहे हैं।

श्री रिखी राम कौंडल : एक जिलाधीश को आप जाति के नाम पर प्रताड़ित करेंगे तो मुकदमा नहीं होगा तो और क्या होगा?

श्री बम्बर ठाकुरः आप वहां पर मंत्री थी। आप लोगों ने पद का दुरूपयोग करके कांग्रेस के नेताओं के ऊपर इस प्रकार के मुकदमे बनाए आपने और आज आप लोग यहां पर इस तरह की बातें कर रहे हैं।

अध्यक्षः प्लीज़ आप खत्म करो।

श्री बम्बर ठाकुरः कांग्रेस पार्टी शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों की सबसे बड़ी हितैषी है। हमने उनके लिए बहुत से कानून बनाए हैं। लेकिन मेरे वोट बैंक को खराब करने के लिए इस प्रकार की घिनौनी हरकत आपने की है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में

घिनौनी हरकत आपने की । लेकिन आप मेरे को यहां पर आने से रोक नहीं पाए।(घंटी) मैं आज सदन में फिर यहां पर पहुंचा हूं । बिलासपुर के सारे एस0सी0 और एस0टी0 लोगों ने मुझे समर्थन दिया है । वे सच्चाई जानते हैं कि आपने किस

/1625/25.08.2015यूके/एएस3/

प्रकार से घिनौनी हरकत करने की कोशिश की है । मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपके दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिएं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक इनकी पार्टी से सम्बन्धित एक MPW है, वह 6 महीने से ड्यूटी पर नहीं जाता । यदि वहां पर गांव के लोगों ने धरना दिया, तो आज आपके बड़े-बड़े नेता डायरेक्टर हैल्थ को फोन कर रहे हैं कि वह सस्पैंड नहीं होना चाहिए । एक तरफ आप कहते हैं कि कार्रवाई करो और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इनको बचाओ । इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्षः अब आप समाप्त करो ।

श्री बम्बर ठाकुरः सर, बस मैं खत्म कर रहा हूं । जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, इनको मैं सबको एक-एक करके बता देना चाहता हूं कि

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

25.08.2015/1630/SLS-AS-1

श्री बम्बर ठाकुर... जारी

कि ये यहां पर ऊलजलूल बातें करते हैं जिनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस एम.पी.डब्ल्यु. ने सब-सैंटर को छः महीनों से बंद रखा है ,उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उसकी वहां पर 13-13 दिन गैर-हाज़िरी पाई गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर के नेता

डायरैक्टर को फोन कर रहे हैं कि यह हमारी पार्टी का निक्करधारी है, इसलिए इसको बचाया जाए, इसको ससपैंड न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जयहिंद, जय हिमाचल।

25.08.2015/1630/SLS-AS-2

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बम्बर ठाकुर जी जोश में आकर बड़ी उत्तेजना में यहां पर बड़ा कुछ कह गए हैं। इन्होंने कुछ नाम लिए हैं।

*** वह यहां पर नहीं हैं और खुद को डिफैंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम इस कार्यवाही में नहीं आना चाहिए। *** यह सारे शब्द इस कार्यवाही से एक्सपंज होने चाहिए। हमने बीच में इसलिए नहीं टोका क्योंकि ये नए सदस्य हैं। उत्तेजना में बहुत-सी बातें करना चाहते होंगे और सदन तथा लोगों की मर्यादा के बारे में इनको पता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाए। ---(व्यवधान)---

अध्यक्ष : ठीक है। ---(व्यवधान)--- इसके साथ ही ,प्रश्न काल के दौरान प्रश्न संख्या 1795 पर चर्चा के दौरान भी कुछ असंसदीय शब्द सदन में कहे गए हैं। मैं सचिव, विधान सभा से कहूंगा कि उन शब्दों को एक्सपंज किया जाए। जो शब्द सदन में नहीं कहने चाहिए, उनको मैं एक्सपंज करता हूं। नियम-130 की चर्चा अब समाप्त होती है। ---(व्यवधान)--- (श्री रिखी राम कौंडल जी से।) आप बैठ जाइए। मुझे बोलने दीजिए। ---(व्यवधान)---मैंने उनको एक्सपंज करने के लिए कह दिया है। उन शब्दों को एक्सपंज कर दिया गया है। जिस भी पुलिस अधिकारी का नाम आया है, उस नाम को हटा देंगे ,उसको एक्सपंज कर देंगे। मैंने यह कह दिया है। ---(व्यवधान)--- Please sit down. Not speaking. Not speaking. आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। I will not let you speak. जो यह चर्चा हुई है, इसमें मुख्य मंत्री जी अपनी बात रख सकते हैं। ---(व्यवधान)---

*** Expunged as ordered by the Chair.

25.08.2015/1630/SLS-AS-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जो आज लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चर्चा हुई है, उसका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री रविन्द्र सिंह और श्री वीरेन्द्र कंवर विधायकों द्वारा नियम-130 के अंतर्गत उठाए गए मामले पर आज माननीय सदन में चर्चा हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रदेश में ---(व्यवधान)--- I am called to speak.

अध्यक्ष : *(विपक्ष की ओर इशारा करते हुए)* अब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यह कह रहा हूं कि जब चर्चा वाईंड अप हो गई है तो अब आप मुख्य मंत्री जी का उत्तर सुनें। आप बीच में क्या प्वाईंट आऊट करना चाहते हैं? माननीय प्रेम कुमार धूमल जी, आप बोलिए।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से व्यक्तिगत प्रार्थना करता हूं कि श्री हंस राज जी बिल्कुल नए विधायक हैं और चुराह क्षेत्र से हैं; बार्डर एरिया से हैं। आप 5 मिनट के लिए इनको बोलने दीजिए और उसके बाद आप उत्तर दे दें। केवल 5 मिनट इन्हें कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय...श्री गर्ग द्वारा

25/08/2015/1635/RG/DC/1

प्रो. प्रेम कुमार धूमल---क्रमागत
व्यक्तिगत प्रार्थना करता हूं कि श्री हंस राज जी बिल्कुल नए विधायक हैं और चुराह क्षेत्र से हैं। ये बॉर्डर ऐरिया से हैं। इनको पांच मिनट आप दे दीजिए। उसके पश्चात माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दे दें। सिर्फ पांच मिनट दे दें।

अध्यक्ष : देखिए मेरे रिकॉर्ड में है कि इन्होंने स्वयं नाम देकर कटवा दिया था। आपका नाम काटा नहीं गया था। आपने चार नाम कटवाए, मैंने नाम काट दिए थे।

Chief Minister : This is not fair .It is on record.

श्री हंस राज : नहीं-नहीं, मैंने नहीं कटवाया है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि इन्होंने स्वयं अपना नाम कटवाया है।

अध्यक्ष : अब मैं आपको बोलने के लिए अलॉऊ नहीं करुंगा। I will not allow. The Debate is finish. There is end to debate. आप बैठ जाइए। No speaking please. आप बैठ जाइए, not to be recorded. मैं कह रहा हूं कि मैं आपको अलॉऊ नहीं करुंगा। अब खत्म हो गया। मुख्य मंत्री जी आप जवाब दीजिए। आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से शुरू करता हूं---(व्यवधान)------एक महिला की आवाज आ रही है मगर समझ नहीं आ रहा कि वह क्या बोल रही हैं?

श्री हंस राज : अध्यक्ष महोदय, आप गलत कर रहे हैं ,आप नए विधायक के साथ यह गलत कर रहे हैं।

अध्यक्ष : पहले आपने नाम कटवाया, इसलिए अब आप नहीं बोलेंगे। I will not allow you to speak . मैं नहीं बोलने दूंगा।----(व्यवधान)------

मुख्य मंत्री : मुझे कोई ऐतराज नहीं हैं, मेरी तरफ से आप बोलिए।----(व्यवधान)------

अध्यक्ष : वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कृपया इनको भी दो मिनट के लिए अपनी बात रखने दीजिए।

अध्यक्ष : मैं सिर्फ इनको बताना चाहता हूं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, जिस चुनाव क्षेत्र से माननीय विधायक आते हैं वहां पर वर्ष 1998 में 36लोग आतंकवादियों ने मारे थे। वह बॉर्डर का एरिया है जो जम्मू-कश्मीर के साथ लगता है। अगर ये पांच मिनट के लिए वहां का कोई दुःख-दर्द कहना चाहते हैं, तो मान जाइए।

25/08/2015/1635/RG/DC/2

अध्यक्ष : मैंने इनका नाम लिखा था, परन्तु इन्होंने अपना नाम कटवाया।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : इन्होंने नहीं कटवाया।

अध्यक्ष : मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। इसलिए मुझे बताया गया कि ये नहीं बोलेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाज : सब नाम काटे थे ,सिर्फ तीन नाम रखे थे।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, इस सबमें साढ़े नौ मिनट हो गए, इन्होंने पांच मिनट बोलना था और माननीय मुख्य मंत्री महोदय तो मान गए हैं।

अध्यक्ष : आप जो प्वाइंट रख रहे हैं उसमें शायद मैं अलॉऊ करूं या न करूं। लेकिन इन्होंने पहले नाम कटवाया है। इसलिए मैं इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री सुरेश भारद्वाज : अब तक तो इन्होंने बोल लेना था।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बेकार में समय जाया हो रहा है, अच्छा होगा कि आप इनको पांच मिनट बोलने दें। कोई बात नहीं है। But it is against tradition and etiquettes. न तो आप कोई रूल-रेग्युलेशन्ज को मानते हैं और न ही आप कोई ऐटीकेट्स को मानते हैं। यह कोई तरीका नहीं होता।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें जवाब दे सकते हैं ,वैसे अब यह डिसकशन के लिए खत्म है। हां, बोलिए।

श्री हंस राज : माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी जद्दोज़हद के बाद आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, यह मौका इसीलिए जरूरी था और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा क्योंकि मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर वर्ष 1998 में विपक्ष के नेता प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा और ये उस समय वहां स्वयं भी गए थे। जो आज के हालात हैं वे बहुत गंभीर हो चुके हैं । क्योंकि चुराह विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा विधान सभा क्षेत्र है ,मैडम आशा जी भी इस बात से सहमत होंगी कि क्योंकि इनके बांदल-तिआर से लेकर के जो पदरीजोत खोला है, वहां से लेकर साच-पास तक पांगी के इलाके तक अति संवेदनशील हो गया है। इस बार गुर्जरों को ज्यादा परमिट अलॉट हुए हैं। मैं किसी संप्रदाय विशेष या वर्ग का कोई विरोधी नहीं हूं। लेकिन उन तत्वों को जिनको रोका गया था ,वर्ष 1998 के बाद उनको अलॉऊ किया गया है और जो आई.टी.बी.पी. या सी.आर.पी.एफ. की जो सुरक्षा चौकियां थीं जो पहले यहां इनकी फोर्स तैनात रहती थी ,उसको अब हमारे प्रदेश की पुलिस देख रही है। उसके कार्य

25/08/2015/1635/RG/DC/3

के बारे में मैं थोड़ा सा बयान करना चाहता था इसीलिए मैं समय चाहता था और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो चीज गुरूदासपुर मुकेरियां में हुई ,उस तरह की घटना चंबा के डलहौजी से लेकर चुरह तक किसी भी क्षेत्र में कभी भी हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है।----------**जारी**

एम.एस. द्वारा जारी

25/8/2015/1640/MS/DC/1

श्री हंस राज जारी------------

उस तरह की घटना चम्बा के डल्हौजी से लेकर चुराह तक के किसी भी क्षेत्र में कभी भी हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो आवाजाही है, जैसे यू0पी0 और बिहार से गाड़ियां आती हैं, उन गाड़ियों को कभी नहीं रोका जाता है। जमातों के

नाम पर और अन्य गतिविधियों के नाम पर अलग-अलग तरह के लोगों की अलग-अलग जगहों से आवाजाही चली हुई है। उनको कोई रोक नहीं है। उनकी न कोई रजिस्ट्रेशन होती है और न उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन होती है। उनके संदर्भ में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी, पुलिस महकमे या किसी भी विभाग से पूछा जाए बल्कि अगर ए0पी0 साहब से भी पूछा जाए तो उनको भी पता नहीं होता है। मैं इसी ज्वलन्त विषय को यहां सदन में लाना चाहता था। मैं एक मार्च की घटना बताना चाहता हूं। मार्च के महीने में 16 गायों को हमारे सनवाल क्षेत्र से सप्लाई करके गन्दोह जोकि जम्मू-कश्मीर में पड़ता है, बिल्कुल लगता क्षेत्र है ,में पकड़ा जाता है। भद्रवाह और भलेशा दोनों हमारे चुनाव क्षेत्र के साथ टच हैं। वहां पर अगर गाय सप्लाई हो सकती है क्योंकि गाय बहुत बड़ी चीज होती है तो वह पुलिस विभाग पर प्रश्नचिह्न लगाता है कि पुलिस विभाग की चौकियां जैसे मक्कड़, आइला ,ब्रुइला, सनवाल, सुइला, गुइला या सतरूंडी में लगाई गई हैं, वे किसलिए लगाई गई हैं। 26-26 गाय और 16-16 बैल वहां सप्लाई होते हैं और गन्दोह की पुलिस उनको पकड़ लेती है और हमारी पुलिस नहीं पकड़ पाती है। तो इससे यही जाहिर होता है कि हमारी पुलिस उस इलाके के प्रति कितनी सतर्क और संवेदनशील है। इसी तरह से कुछ समय पहले एक मामला गद्दी-गुज्जरों का आया। जिसमें गद्दियों को वहां के गुज्जरों ने हमारे हिमाचल प्रदेश के गुज्जरों ने नहीं, जम्मू-कश्मीर के गुज्जरों ने धमकाया। मुझे इस विषय की जानकारी इसीलिए है क्योंकि सतरूंडी और कालावन जहां पर पड़ता है ,वह इलाका मेरे घर से छः किलोमीटर की दूरी पर है। मैं तो कई बार शिमला में या अपने विधान सभा क्षेत्र में रहता हूं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरा परिवार वहां कितना सुरक्षित है। क्योंकि मेरा परिवार तो वहीं पर रहता है। मेरे इलाके के लोग भी वहीं पर रहते हैं। वे कितने सुरक्षित हैं, इस बात को लेकर हम चिन्तित रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य

25/8/2015/1640/MS/DC/2

मंत्री जी के ध्यान में एक चीज लाना चाहूंगा। हम यह नहीं कहते कि हमें पुलिस की कपैसिटी,कपैबिलिटी या उनके पोटैंशियल पर कोई शक है परन्तु इतना शक जरूर

है कि जब इनकी एल0आर0पी0 गश्त निकलती है; वह गश्त निकलती है तीसा थाने से लेकर के सनवाल ,आइला, सुइला होते हुए सतरूंडी से फिर तीसा आनी होती है लेकिन वह कागजों में जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे कभी भी इलाके में गश्त नहीं करते हैं। गद्दी-गुज्जर लोग जिनको परमिट जारी हुए हैं, वे बॉर्डर में रहते हैं लेकिन जो हमारे पुलिस के लोग हैं, वे एक गाड़ी किसी कम्पनी वाले को बोल करके हायर करते हैं ,यह भी मैं ध्यान में लाना चाहता हूं। हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट्स बहुत लगे हैं। तो कोई-न-कोई अधिकारी आदेश करता है कि भई, तीन गाड़ियां चाहिए हमारे 10 या 20 जवान एल0आर0पी0 पर जा रहे हैं। तो वे बाई रोड जाते हैं और रोड से होते हुए जो-जो वैन्यु उनका लिखा होता है उनसे होते हुए फिर तीसा में जो हमारा मैन पुलिस स्टेशन है वहां पहुंचते हैं। ऐसे हालात में बॉर्डर्ज की सुरक्षा कौन करे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है? लॉ एण्ड ऑर्डर तो तभी चलेगा जब बॉर्डर सुरक्षित होगा। इसलिए इस तरह की गतिविधियों के कारण पूरा इलाका ही बहुत अशान्त सा बन गया है। मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से यही गुजारिश है कि आप स्वयं इंटरफेयर करें और आप वहां स्वयं मॉनिटर करवाएं और उस इलाके की ऑब्जर्वेशन हो कि कहां से गाय और बैल सप्लाई हो रहे हैं। कहां से लोग आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इन सारी चीजों की गतिविधियां डिकॉड हों। क्योंकि अखबारों में तो रोज छपता रहता है कि सुरक्षित चौकियां घटा ली गई हैं। अब वहां पर सुरक्षा चौकियां नहीं हैं जहां पर चाहिए थी। तो जहां पर फिजिबिलिटी है, जहां पर सुरक्षा चौकियां होनी चाहिए, वहां के जो स्थानीय वाशिन्दे हैं, वहां के जो स्थानीय लीडर हैं चाहे कोई प्रधान है या वार्ड पंच है, उनसे सलाह-मश्विरा करके कि कहां पर चौकी स्थापित होनी चाहिए ,इस संदर्भ में संज्ञान लिया जाए। इतना ही विषय माननीय अध्यक्ष जी मैंने रखना था। आपने इतना बड़ा हो-हल्ला कर दिया। 20 मिनट तो उसमें चले गए और यहां पर सदस्यों ने ऐसे विषयों को रखा, जिनको सुनकर हंसी भी आती है कि इतने महत्वपूर्ण सदस्य इस तरह के विषय रख रहे हैं। यह विषय अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील था, आपने बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

25/8/2015/1640/MS/DC/3

अध्यक्षः आप पहले बोल लेते तो अच्छा रहता। अब इस चर्चा का जरूरी नहीं है कि कन्सर्न्ड मिनिस्टर जवाब दे। लेकिन अगर माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहे, तो कह सकते हैं। नियमों में ऐसा तो नहीं है। प्रस्ताव पास हुआ है कि "प्रदेश में वर्तमान कानून-व्यवस्था पर यह सदन विचार करे।" विचार हो गया है और Your reply is not imperative. लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

मुख्य मंत्री श्री जे0के0 द्वारा-------

/1645/25.08.2015जेएस/डीसी/1

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का ज़वाब देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, श्री रविन्द्र सिंह एवं श्री वीरेंद्र कंवर, विधायक द्वारा नियम-130 के अन्तर्गत जो उठाया गया मामला है उसमें आज कई घण्टों तक माननीय सदन में कानून-व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई है। मुझे हैरानी है कि इस माननीय सदन में कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा प्रदेश में हो रही हत्याएं, बलात्कार, महिलाओं से छेड़छाड़-दुर्व्यवहार, चोरियां, लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि, गोला-बारूद का जखीरा बरामद होना, ड्रग्स माफिया, खनन माफिया, भू माफिया का राज। यह कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। मुझे भी छठी बार हिमाचल प्रदेश का मुख्य मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आमतौर पर ज्यादातर गृह मंत्रालय मेरे पास ही मुख्य मंत्री के तौर पर रहा है। जब भी लॉ एण्ड ऑर्डर के ऊपर चर्चा होती है इन्हीं बातों को लेकर चर्चा की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको और माननीय सदन को कहना चाहता हूं कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से नियन्त्रण में है। हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों को सुरक्षा प्रदान करने व उनकी जान व माल की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस सम्बन्ध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि वर्ष 2013 और 2014 के आपराधिक आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सरकार का प्रदेश में अपराधों पर पूरा नियंत्रण है। वर्ष 2011 एवं 2012 में कुल 34 हजार 812 अभियोग पंजीकृत हुए थे। जबकि वर्ष 2013 एवं 2014 में 32 हजार 855 अभियोग पंजीकृत हुए

हैं। इस प्रकार इन वर्षों की तुलना में वर्ष 2013 एवं 2014 में लगभग 5.6 प्रतिशत अभियोगों में कमी आई है। वर्ष 2015 में जुलाई तक 10 हजार 110 अभियोग पंजीकृत हुए हैं जो कि वर्ष 2014 के बराबर ही है। इस कमी के बावजूद प्रदेश सरकार की प्रभावी Law Enforcement Efforts के फलस्वरूप मादक पदार्थों एवं शराब की बरामदगी के मुकद्दमों में बढ़ौत्तरी हुई है।वर्ष 2011 व 2012 में हत्या के 244 अभियोगों की तुलना में वर्ष 2013 व 2014 में 235 अभियोग यानि 09 अभियोग कम

/1645/25.08.2015जेएस/डीसी/2

पंजीकृत हुए हैं। वर्ष 2015 में 31.07.2015 तक हत्या के 55 अभियोग ही दर्ज हुए हैं जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 09 कम है।

वर्ष 2011 व 2012 में पंजीकृत चोरी के 1809 अभियोगों की तुलना में वर्ष 2013 एवं 2014 में 1,470 अभियोग पंजीकृत हुए हैं जो कि 2014 के मामलों से 339 कम हैं। वर्ष 2015 में चोरी के 322 मामले पंजीकृत किए गए हैं जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 89 कम हैं। वर्ष 2011 व 2012 में पंजीकृत गृह भेदन के 1,788 अभियोगों की तुलना में वर्ष 2013 एवं 2014 में 1,673 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। इस प्रकार गृहभेदन के अभियोगों में 115 की कमी हुई। वर्ष 2015 में 31.07.2015 तक गृहभेदन के 364 अभियोग पंजीकृत हुए हैं जो कि वर्ष 2014 से 37 कम है। Hurt एवं Rioting के मामलों में भी भारी कमी है। वर्ष 2015 में Hurt के 373 एवं Rioting के 270 मामले दर्ज हुए हैं। वर्ष 2011 व 2012 में दहेज हत्या के छः मामले पंजीकृत हुए थे जबकि वर्ष 2013 एवं 2014 में केवल एक अभियोग पंजीकृत हुआ। वर्ष 2015 में दहेज हत्या का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी------

/1650/25.08.2015केएस/एएस/1

मुख्य मंत्री जारी----

वर्ष 2015 में दहेज का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। महिलाओं के प्रति अपराधों पर सरकार गम्भीर है। महिला कानूनों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार किए गए संशोधनों से उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता आई है तथा वह अपने साथ घटित अपराधों को निःसंकोच स्वतंत्र रूप से पंजीकृत करवा रही है। महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने तीन महिला पुलिस स्टेशन खोले हैं तथा निकट भविष्य में इसी तरह के अन्य पुलिस स्टेशन खोलने का भी प्रस्ताव है। परिणाम स्वरूप वर्ष 2015 में

31जुलाई तक महिलाओं के विरुद्ध 754 अभियोग दर्ज किए गए जो कि वर्ष 2014 की तुलना में 132 कम है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक महिलाओं के विरुद्ध रेप के 22, अपहरण के 14, क्रूरता के 74 एवं छेड़छाड़ के 5 मुकद्दमें कम दर्ज हुए हैं। ड्रग माफिया एवं मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश में आई.जी., क्राईम के सुप्रविज़न में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन एक नार्कोटिक्स सैल स्थापित है। वर्ष 2011 व 2012 में पंजीकृत ND&PS एक्ट के 1083 अभियोग की तुलना में वर्ष 2013 एवं 2014में 1,175 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। इस प्रकार इस अवधि में ND&PS एक्ट के अंतर्गत 92 अभियोग अधिक दर्ज हुए हैं एवं 101 किलोग्राम चरस की अधिक बरामदगी की है। वर्ष 2015 में अभी तक इस अधिनियम के अंतर्गत 343 अभियोग पंजीकृत हुए हैं।

अवैध खनन को रोकने के लिए खनन माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वर्ष 2013 एवं 2014 में 9,892 वाहनों के चालान किए गए जिससे सरकार को 5 करोड़ 12 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। इसकी तुलना में वर्ष 2011 एवं 2012 में अवैध खनन के 4,343 वाहनों के चालान किए गए थे जिनमें दोषियों से केवल एक करोड़ 40 रुपये का ही जुर्माना वसूल किया जा सका था। इस प्रकार अवैध खनन के अंतर्गत किए गए चालानों व जुर्माने में काफी वृद्धि हुई है। वर्तमान वर्ष में 3,311 वाहनों का

/1650/25.08.2015केएस/एएस/2

अवैध खनन के लिए चालान किया जा चुका है जिनसे 6 करोड़ 14 लाख 37 हजार 025 रुपये की राशि जुर्माने में वसूल की गई है।

वर्ष 2013 व 2014 में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत 9 लाख 54 हजार 811 चालान किए गए व 25 करोड़ 77 लाख जुर्माना वसूल किया गया है। वर्ष 2011 एवं 2012 में मोटर वाहन अधिनियम के 7 लाख 29 हजार 547 चालान किए गए थे व 19 करोड़ 35 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया था।

अध्यक्ष महोदय, मैं ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूं, इनको देने की जरूरत नहीं है मगर यह कहना कि लॉ एण्ड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, Police is not functioning. और लोगों को जान-माल व सम्मान का खतरा है, इस किस्म की जो एक तस्वीर बनाई जा रही है, वह तथ्यों से विपरीत है। The fact is that in any society there will be crime.

हिन्दी अ0व0 की बारी में-----

25.8.2015/1655/as/av/1

मुख्य मंत्री जारी ------

मोस्ट एडवांस्ड स्टेट से लेकर वैकवर्ड स्टेट; कोई भी हो हम मुकाबला करेंगे। कोई भी देश या प्रदेश ऐसा नहीं है जो क्राइम फ्री हो। Crime is there always. But the question is when crime takes place, are we taking action in it? Is the law being enforced? Is there rule of law? This is important. मैं यह नहीं कहता कि हम सौ प्रतिशत दुरुस्त होंगे, बीच में लैप्सिज भी होंगी। कई कमियां होंगी। जहां इनसान से काम लेना है वहां बीच में इनसानी कमजोरियां भी आ जाती है। Overall they are determined to see the law of the land is observed and people get justice and the grievances are redressed. हमारी जो पुलिस फोर्स है, I am proud of them. They are efficient, loyal and disciplined. अगर कहीं-कहीं बीच में लैप्सिज हो जाती है we should also take cognisance of that. उसमें

तभी जाकर सुधार लाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यहां पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं मगर मैं इनको रखना नहीं चाहता। (---व्यवधान---)

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दे हमने उठाये थे उनके बारे में मुख्य मंत्री जी की ओर से कोई जवाब नहीं आया।

मुख्य मंत्री : अभी तो मैं बोल ही रहा हूं। (---व्यवधान---) एक बात सूनो।

श्री रविन्द्र सिंह : मुद्दे की बात छोड़कर आप सिर्फ पिछली सरकार और वर्तमान सरकार के बीच की तुलना कर रहे हैं। इसलिए हम सदन से वॉकआउट करते हैं।

अध्यक्ष : इस चर्चा में, मैं (---व्यवधान---) एक मिनट, एक मिनट।

मुख्य मंत्री : यह क्या बात है, यह क्या बात है? (---व्यवधान---)

(विपक्ष के सभी सदस्य मान्य सदन से वॉकआउट करके चले गये।)

25.8.2015/1655/as/av/2

Chief Minister: I am still speaking, Sir. यह तो इनका बहाना है। ये अपनी बात सुनाकर दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते क्योंकि इनको अपनी कमजोरियां मालूम है। इनका काम ही यही है। This is a ineffective Opposition. ये जो सवाल उठाते हैं उसके जवाब सुनने की इनमें हिम्मत नहीं है और ये 'भिगी बिल्ली की तरह भाग जाते हैं।'

Speaker: Under this Rule there is no provision for clarification. आपके बाद सारा बाइंड-अप हो जायेगा।

Chief Minister: This is a pre-designed action on their part. यह पहली दफ़ा नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि ये लोग अपनी बात कहेंगे औनर जब ट्रेज़री बैंचिज से बात आती है तो ये लोग कोई-न-कोई बहाना करके भाग जाते हैं because they don't want to know the facts. They can't face the fact. ये कहते हैं कि हमने कोई राजनैतिक उत्पीड़न किया है। ये लोग हमें एक चीज तो बतायें ,विशेषकर

हमारे वर्तमान कार्यकाल में कि हमने किसी का उत्पीड़न किया हो। श्री प्रेम कुमार धूमल मुख्य मंत्री थे। धूमल जी दो बार मुख्य मंत्री बनें। दूसरों की बात तो छोड़ो, पूर्व मुख्य मंत्री और सैंटर में मिनिस्टर होते हुए भी उन्होंने मेरे खिलाफ हर टर्म में एक झूठा फौजदारी का मुकदमा चलाया। I faced session trial both times and I am honourably acquitted by the courts. पुलिस इनकी, कोर्ट इनकी, सरकार इनकी और आज ये लोग अपने आपको बड़ा पाक-साफ बताते हैं। इनसे ज्यादा मन के काले आदमी हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं मिलेंगे। यहां पर अभी माननीय विधायक श्री रणधीर शर्मा जी बड़ी बातें कर रहे थे। I am witness to that incident. I went in a function. इनके निर्वाचन क्षेत्र में फंक्शन हुए और वे सारा दिन मेरे साथ थे। उनकी खूब सेवा हुई तथा उनको पूरा सम्मान दिया गया। उसे बाद वहां पर पूर्व निर्धारित तरीके से मेरी एक पब्लिक

25.8.2015/1655/as/av/3

मीटिंग थी। It was organized by the Congress party of that Constituency. It was known to him.

श्री टी.सी.वर्मा द्वारा जारी

/1700/25.08.2015टीसी/ए0स01/

श्री मुख्य मंत्री --- जारी

सारा इन्तजाम उन्होंने किया था। शामयाने उनके, कुर्सियां उनकी, माईक उनके, पोस्टर कांग्रेस पार्टी के । ये वहां आये और मैंने अपने कमरे में बैठाया दिया। मैंने

कहा बैठे रहो। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने भाषण देना है। मैंने कहा कि आप काफी भाषण दे चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी का जलसा है। उसके बाद इनमें और कांग्रेस पार्टी के कुछ वर्करों में कुछ झड़प हुई और ये वहां से चले गये। इनके साथ 3-4 आदमी थे। लेकिन वहां पर चार-पांच हजार आदमी सारे इलाके से कांग्रेस की मीटिंग के लिए आये थे। उसकी भी इनको कोई शर्म नहीं है। ये समझते हैं They can break the law. They can do anything and get away with it. ये बातें हैं और आज ये दूसरों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरूआत किस ने की। प्रेम कुमार धूमल जी ने की, दो दफ़ा मुख्य मंत्री रहे और दोनों बार मेरे ऊपर भी फौज़दारी मुकदमें बने और कई और मंत्रियों के ऊपर भी फौज़दारी बने। झूठे मुकदमें बने। ये झूठे मुकदमें बनाने में माहिर है और झूठे मुकदमें बनाने के बाद भी इन्होंने कुछ अधिकारियों को भी अपने साथ शामिल किया और उन्होंने अपनी वचनबद्धता है, प्रतिवद्धता है अच्छे प्रशासन के प्रति उसको भुलाकर उनके साथ उस उत्पीड़न में शामिल हो गए। आज उनको बताया जा रहा है जैसे कि वे बिल्कुल पाक और साफ दाम के लोग हैं। किसके व़क्त में सी0डी0 काण्ड हुआ। मैं मानता हूँ कि हर सरकार के व़क्त में जो मुज़रिम होते हैं जिनके ऊपर कोई संगीन केस है, इन्वेस्टीगेशन की स्टेज़ में कुछ अर्से के लिए उनके टेलीफोन टेप किए जा सकते हैं। It is only for limited period. मगर जो टेप किए जाते है, वह छः महीने के अन्दर डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं। लेकिन मजे से ये आज उसका आन्नद लेते हैं। That is source of entertainment for them. मैं कहता हूँ ये ऐसा व़क्त होता है, जबकि ऐसी सरकार सत्ता में बैठी हो जो प्रशासन की मशीनरी को अपने लिए इस्तेमाल करती हो।

/1700/25.08.2015टीसी/ए0स02/

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक 5.15 बजे तक बढ़ाई जाती है।

(5.00 बजे माननीय सदन की बैठक 5.15 बजे तक बढ़ाई गई)

मुख्य मंत्री: मैं जबाव दे रहा था, सबका जबाव मेरे पास था, लेकिन वह आज अभी नहीं है, फिर भी मैं जबाव देता हूँ।

Shri Ravi has alleged that there is a mafia raj in Himachal Pradesh:

There is no mafia active in the state at present. As far as rape cases are concerned, there is no gang or mafia involved in such crimes against women. In almost all cases, the accused persons are known to the accused and in some cases their own relatives. Moreover, the incidence of crime against women, including rape, has shown a downward trend this year.

Regarding providing pilot vehicle to some persons:

There are no instructions of the Government to provide pilot vehicle to persons other than authorized ones. However, police provides security to any person on case-to-case basis depending on law and order and security considerations at any given time, place and occasion.

/1700/25.08.2015टीसी/ए0स0/3

Regarding alleged rape in Dharamshala College

As per investigation, there was absolutely no truth found on the alleged incident of rape. No such incident took place. Certain mischief mongers flared up this non-incident on social media.

Regarding Molestation incident in Majheen Hospital

The accused doctor has been arrested. Police fired one round in the air to disperse the mob which attacked the accused doctor who was in police custody.

Regarding Naura College student

A 21 year old girl committed suicide in December 2014 by cutting her wrists. A case was later registered on the complaint of one of her friends. Police has arrested 4 persons in the case, including her parents for offence of abetment to commit suicide.

Regarding recovery of Nagchatri from a policeman posted in PTC, Daroh

Nagchatri was not recovered from a policeman. The recovery was made by Forest Department and compounded by the Forest department as per law.

/1700/25.08.2015टीसी/ए0स0/4

Issued raised by Shri Virender Kanwar

Regarding recent firing incident in Una

A firing incident was reported in Mawa jungle near Chintpurni on 23-8-2015. A criminal case under Arms Act has been registered and 5 persons have been arrested. One of the five arrested persons belongs to Chintpurni area

but now settled in Punjab. He had taken the licensed rifle of his father and fired from it. The other 4 persons are his friends from Punjab.

Regarding explosion in a shop in Dhandhawal in Una District

An explosion occurred in a shop in Dhandhawal in Una District in the night of first July. On the allegations of the tenant of shop that the explosion could have been caused by the owners in order to get the shop vacated, 4 person from owner family were arrested. They were later

bailed by court after about 20 days. Director FSL has visited the scene. Further investigation is on.

Continued--Smt. DC --.

25.08.15/1705/DC/ NS-1

Chief Minister Continues . . .

These are some issues which were raised by the Hon'ble Members. I don't want to reply to others who are not here to hear. I thought some issues which were raised, I should reply.

अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से ऊना के अंदर एक विस्फोट हुआ था उसी प्रकार दिनांक 15 अगस्त, 2015 को नाहन में सल्फर से हुए एक धमाके की सूचना के सत्यापन के दौरान पुलिस ने भाईजान नामक व्यक्ति के घर से विभिन्न प्रकार के आर्म्ज एवं ऐम्युनेशन बरामद किए। इस विषय में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके भाईजान के तीनों बेटों को गिरफ्तार किया गया। जांच में यह पाया गया कि भाईजान जिनकी मृत्यु हो चुकी है के नाम आर्म लाईसैंस की ऐक्सटैंशन के लिए इसके बेटों ने अप्लाई किया है। जांच के दौरान सभी आर्म्ज शॉप की दुकानों पर छापेमारी की गई। मुकदमें में----

श्री नेगी द्वारा जारी

25.08.2015/1710/negi/Dc/1

माननीय मुख्य मंत्री महोदय... जारी..

मुकदमें में कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिला पुलिस सिरमौर द्वारा Additional SP की अध्यक्षता में एक Special Investigation Team का गठन किया

गया है जो कि मुकदमें के हर पहलू का गहनता से जांच कर रहा है। दोषियों के विरूद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अंत में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि. There were lot of things said directly and indirectly. Some were insinuations and some were suggestions. It is too sad that some Police officer of Himachal Pradesh who is at present on deputation with Enforcement Directorate, I can tell you, Sir, I know him. I met him long back. When he was posted to Shimla, he on his own request took time from me to extend courtesy call. He said that I want time for courtesy call. He came, talked to me for four-five minutes and went away. That was the last time when I saw him in my office. Some people are trying to exploit him. I have not been surprised because the man has also affected in the company he keeps. He is a tenant. He is living in a House where retired DGP is also living who is the mastermind of these crimes during the BJP time. So, he must be tutored him, to use him against the Government. I can tell you, Sir, he was investigating one of my Private Secretaries for a matter which pertains to foreign exchange violation which took place long back when his children were studying in USA. The matter pertains to that time. I must to say about it. Let the law takes its own course. If he is innocent, he will be released and if he is guilty he will face the consequences. But to politicize the issue this way, this officer has been going from one place to other. He

25.08.2015/1710/negi/Dc/2

has met most of the journalists along with the lawyer. It is my information that a conspiracy was hatched to bring it to the newspaper to embarrass me. I have nothing to do with it. If somebody done something wrong, let

him or her face the consequences of that. But try to drag in my name is wrong. And let me tell you the ED case against that gentleman is at Chandigarh, in fact his hearing is tomorrow i.e. on 26th August at Chandigarh, in spite of that this gentleman is trying to mislead the people and the Press and misused his position and misused the Press. It is for them to see what is right and what is wrong. I request to the Press whether they uphold the high traditions of the Press or they want to indulge in yellow journalism. अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरा किसी से कुछ नही है। I have lead a clean life. I have observed highest ethics of public life and highest ethics of administration. They should not consider my gentleness to be as my weakness. यह कि राजा साहब शरीफ हैं कुछ नहीं बोलेंगे और हम मुक्का मारते जाएंगे । अगर चांटा मारेंगे तो दूसरा गाल भी आगे कर देंगे, ऐसा नही है। एक हद तक मैं सब्र करूंगा लेकिन मैं भी एक ऐसा गूंसा मारूंगा कि वो भी याद रखेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं। This is rubbish the way the things have been built up. It is conspiracy against me in which many people have combined together. It is a conspiracy against the Government to defame the Government.

With these words, Sir, I would like to say the law and order is well in control. हिमाचल प्रदेश में कोई कानून-व्यवस्था का प्रश्न नही है। हां, अगर हमें फिक्र है तो वह यह है कि जो हमारा गिरता हुआ राजनीतिक स्टैंडर्ड है उसके बारे में मुझे फिक्र है।

Contd. by AG in English . . .

/1715/25.08.2015यूके/एजी/1

Chief Minister Continues . . .

To gain a political point people are prepared to go to any extent and to get a heading in the newspaper, some journalist do work overnight. I think by defaming something they will become famous. I am saying it with a heavy heart. I have highest respect for the Press, but I have no respect for those people who create stories and connive in making stories. Thank you, Sir.

Concluded

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा**
दिनांकः 25 अगस्त, 2015 **सचिव।**